लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

[खंड VII में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. VII contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

लोक-सभा वाद-विवाद का अनुदित संस्करण

26 जुलाई, 1966 | 4 श्रावण , 1888 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
	विषय सूची के आरंभ में निधन सम्बन्धी उल्लेख Obituary Reference 1-4 पढ़िये।
8	पंक्ति 3 के स्थान पर निम्नलिखित पढ़िये : `परिवहन , उड्डयन , नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी )`
18	प्रश्न संख्या 36 के बाद निम्नलिखित भी पढ़िये :-

खाद्य तेलों की कमी .

37 श्री नि.रं.लास्कर : श्री मौर्य : डा. श्रीनिवासन
श्री मधु लिमये : श्री बागड़ी : श्री राम हरख यादव
श्री किशन पटनायक : श्री राम सेवक यादव
श्री डा. राम मनोहर लोहिया : डा. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी
श्री नवल प्रभाकर : श्रीमती सावित्री निगम
श्री यशपाल सिंह : श्री दलजीत सिंह
श्री ईश्वर रेड्डी : श्री स.च. सामन्त
श्री हुकम चन्द कछवाय : श्री भागवत झा आज़ाद
श्री रामेश्वरानन्द : श्री म.ला. द्विवेदी :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : श्री सुबोध हंसदा
श्री बालगोविन्द वर्मा

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री 17 मई,1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1724 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उस के बाद से देश के विभिन्न भागों में खाद्य तेलों तथा वनस्पति घी की बहुत कमी होती जा रही है और उन के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने तथा मूल्यों को कम करने के लिये सरकार ने और क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य , कृषि , सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) (क) और (ख) : मई 1966 के अन्त में वनस्पति और खाद्य तेलों की कमी तथा उनके मूल्यों में वृद्धि के समाचार मिले थे । उसके बाद स्थिति में सुधार हुआ है और मूल्यों में वृद्धि रुक गई है । रूस से सूरजमुखी के तेल के आयात और अमरीका से सोयाबीन के तेल के शीघ्र आने की संभावना से वनस्पति के निर्माण के लिये वनस्पति तेलों की सप्लाई की स्थिति में सुधार हो गया है । वनस्पति घी के वितरण की

को पुनर्व्यवस्थित किया गया है। इसके अतिरिक्त एक अध्यादेश के द्वारा 12 जुलाई 1966 को आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया गया है जिसके अन्तर्गत खाद्य तिलहन और तेलों के लिये वसूली मूल्य निर्धारित करने का उपबन्ध किया गया है।

31 प्रश्न संख्या 100 से पहले निम्नलिखित को पढ़िये :

सहकारी / सरकारी क्षेत्र में चीनी की मिलें

99 श्री किशन पटनायक

डॉ. राम मनोहर लोहिया :

श्री मधु लिमये :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन राज्यों ने केवल सहकारी / सरकारी क्षेत्र में चीनी की मिलें खोलने का निर्णय किया है ; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में कितनी ऐसी मिलें खोली जायेंगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) :

(क) सभी राज्य सरकारें जहां कहीं संभव होता है सहकारी क्षेत्र में चीनी मिलें स्थापित करने को प्राथमिकता देती हैं।

(ख) चौथी योजना में 19 नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिये आशय-पत्र / लाइसेंस दिये गये हैं, जिनमें से 18 सहकारी मिलें हैं और एक संयुक्त स्कंध कम्पनी है। कुछ और मिलों के लिये लाइसेंस दिये जाने की संभावना है जो मुख्यतः सहकारी क्षेत्र में होंगी।

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय–सूची / CONTENTS

अंक 49 बुधवार, 26 जुलाई, 1967 / 4 श्रावण, 1889 (शक)

No. 49 Wednesday, July 26, 1967 / Sravana 4, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर / ORAL ANSWERS TO QUESTIONS :

ता. प्र. सं./S. Q.Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1381	विशाखापत्तनम बन्दरगाह के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by Visakhaptnam Port Employees ...	6575-6576
1383	कुतुब मीनार में खराबी	Defects in Qutab Minar ...	6576–6579
1384	शिक्षा के स्तर में सुधार	Improvement in Standard of Education ...	6579–6584
1385	दूरस्थ स्थानों के लिये टेलीफोन तथा तार संचार की व्यवस्था	Long distance Telephone and Telegraph Communications	6584–6585
1386	इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर	I. T. I. Ltd. Bangalore	6585–6588
1387	बनारस हिन्दू विश्व–विद्यालय	Banaras Hindu University	6588–6589
1389	संस्कृत के संगठनों को सहायता	Assistance to Sanskrit of Organisations	6589–6590
1390	हैदराबाद के निजाम की उपाधियां	Titles of Nizam of Hyderabad	6590–6592

अल्प सूचना पत्र/S. N. Q.

35	नागार्जुन सागर बांध परियोजना	Nagarjunsagar Dam Project ...	6592–6594

---

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता. प्र. संख्या/U.S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS :		
प्रश्नों के लिखित उत्तर / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
ता. प्र. सं./S.Q.Nos,		
1382 दिल्ली में छात्र-गृह	Students Home in Delhi ...	6595
1388 दिल्ली में चीनी के कोटे में कटोती	Cut in Sugar Cuota in Delhi ...	6595
1391 सेवानिवृत्त शिक्षकों को अधिछात्रवृत्ति	Fellowship to Retired Teachers	6595-6596
1392 उत्तर प्रदेश में शिक्षा	Education in U. P. ...	6596
1393 असैनिक अधिकारियों की राज्यपालों के रुप में नियुक्ति	Appointment of Civil Servants as Governors ...	6597
1394 इंजीनियरी के स्नातकों की बेरोजगार सम्बन्धी स्थिति का सर्वेक्षण	Survey the employment position of Engineering Graduates ..	6597
1395 पश्चिम पाकिस्तान गये व्यक्तियों का वापस लौट आना	Return of Migrants to West Pakistan ...	6597-6598
1396 पूर्व पाकिस्तान तथा बर्मा की ओर की भारतीय सीमाओं की नाकेबन्दी	Sealing of Indian Borders with East Pakistan and Burma ...	6598
1397 पुंछ—राजौरी क्षेत्र में पाकिस्तानियों की घुसपेठ	Pakistani Infiltration in Poonch-Rajouri Sector ...	6598-6599
1398 गैर-सरकारी व्यक्तियों में से राज्यपालों की नियुक्ति	Appointment of Governors from Non-Congressmen	6599
1399 वर्षा ऋतु में दिल्ली में मकानों को गिरने से बचाने के लिए पूर्वोपाय	Precautionary Measures to prevent House Collapses in Delhi during Rainy Season	6599-6600
1400 पाकिस्तान के जासूसी जाल का मामला	Pak Spy Ring Casa ..	6600

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

1401	'आशनोग्राफर', नामक अमरीकी जहाज	American Ship 'Oceanographer' ...	6601
1402	दिल्ली नगर निगम के स्कूल	Delhi Municipal corporation Schools... —	6601
1403	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की समीक्षा समिति	Reviewing Committee of C. S. I. R. ...	6601–6602
1404	चण्डीगढ और भांखड़ा के बारे में बातचीत	Talk on Chandigarh and Bhakra — ...	6602–6603
1405	गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों के लिये सुविधायें	Facilities for Labour in Private and Public Sector Industries	6603
1406	'एनल्स आफ बायो–केमिस्ट्री एण्ड एक्सपेरीमेंटल मेडिसिन' नामक पत्रिका का कार्यालय	Offiee of the Journal 'Annals of Bio-Chemistry and Experimental Medicine ...	6603–6604
1407	आन्तरिक्ष उपग्रह संचार केन्द्र	Space Satellite communication Centre ...	6604
1408	राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाएं	National Research Laboratories	6604–6605
1409	मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर	Level of Education in M. P.	6605
1410	उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति	Appointment of Judges in High courts ...	6606

अतां. प्र. सं./U. S.Q. Nos.

6673	आयोग तथा समितियां	Commissions and Committees	6606
6674	गुजरात में टेलीफोन केन्द्र	Telephone Exchang in Gujarat ... —	6606–6607
6675	गुजरात राज्य संग्रहालय, बड़ौदा को अनुदान	Grants to Gujarat State Museum, Baroda ...	6607

6676	गुजरात में नये जूनियर तकनीकी स्कूल	New Junior Technical Schools in Gujarat ...	6607–6608
6677	मध्य प्रदेश को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to M. P. ...	6608
6679	दण्डकारण्य क्षेत्र में बसाये गये शरणार्थी	Refugees Rehabilitated in Dandakaranya Area	6608–6610
6680	राष्ट्रीय पुस्तक न्यास	National Book Trust	6610–6611
6681	दण्डकारण्य परियोजना में उद्योगों का स्थापित किया जाना	Setting up of Industries in Dandakaranya Project	6611–6612
6682	मकान गिरने के कारण दिल्ली में लोगों की मृत्यु	Casualties in Delhi due to House Collapse ...	6612
6683	कोटरबाई (हिमालय प्रदेश) में टेलीफोन केन्द्र	Telephone Exchange, Kotarbai (H. P.) ...	6612–6613
6684	बचत बैंक खाते	Savings Bank Accounts ..	6613
6685	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियां	Scholarships to S. C. and S. T. Students ...	6614
6686	शिक्षा संस्थाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों का दाखिला	Enrolment of S. C. and S. T. in Educational Institutions	6614
6687	महाराष्ट्र के राजनैतिक पीड़ित	Political Sufferers in Maharashtra	6614–6615
6688	विदेशों में पढने वाले भारतीय विद्यार्थी	Indian Students studying abroad ..	6615
6689	घरेलू नौकर	Domestic Servants	6615–6616
6690	कृषि तथा आयुर्वेदिक छात्रों के लिये रोजगार	Employment for Agricultural and Ayurvedic Students	6616

6691	रूस से वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों की पुस्तकें	Scientific and Technical Books from USSR ..	6616–6617
6692	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये खादी की वर्दियां	Khadi Dresses for Class IV Employees	6617
6694	मध्य प्रदेश में प्राचीन मन्दिर	Ancient Temples in M. P, ...	6618
6695	दिल्ली में जालसाजी के मामले	Swindling Cases in Delhi	6618–6619
6696	केन्द्रीय सरकार में प्रतिनियुक्तियों पर असैनिक कर्मचारी	Civil Servants on Deputation to the Central Government	6619
6698	कुमाऊं में विश्वविद्यालय	University in Kumaon	6619–6620
6699	पटना में रेलवे डाक सेवा के कर्मचारियों के लिए मकान	Accommodation for R, M, S. Employees in Patna	6620
6700	पटना में रेलवे डाक सेवा के कर्मचारी	R, M. S. Employees in Patna	6620
6701	जयशंकर मिल्स, बारसी में भविष्य निधि की अदायगी	Payment of P. F. in Jyashanker Mills, Barsi ..	6620–6621
6702	घोघरडीहा (बिहार) में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	Industrial Taining Institute in Ghoghardhia (Biher)	6621–6622
6703	राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अस्पृश्यता का व्यवहार	Practising of Untouchability by Gazetted Officers	6622
6704	संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से न भरे गये पद	Posts not filled through U. P. S. C.	6622
6705	देश में उपद्रवों को भड़काने वाले पश्चिमी तत्व	Western Elements Instigating Disturbances in the country	6622-6623

6706	दिल्ली में मद्य-निषेध	Prohibition in Delhi ...	6623
6707	चौथी योजना में नई राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं	New National Laboratories in Fourth Plan	6623–6624
6708	केन्द्रीय मन्त्रालय में महिला राजपत्रित अधिकारी	Female Gazetted Officers in the Central Ministries ..	6624
6709	तिहाड़ जेल दिल्ली में गड़बड़ी	Scuffle in Tihar Jail, Delhi	6624
6710	सरकारी कर्मचारियों के लिये विवाह सम्बन्धी नियम	Marriage Rule for Government Employees ...	6625
6711	बुग्धा गांव में मकानों में आग लगना	Houses set on fire in Bungha Village	6625
6712	सोनाई (उत्तर प्रदेश) के डाक व तार कर्मचारियों के लिये आवास तथा चिकित्सा की सुविधाएं	Accommodation and Medical Facilities for P &. T. Employees of Sonai (U. P.) ...	6625–6626
6713	सोनाई डाक घर का दर्जा बढाना	Upgrading o Sonai Post-Office	6626
6714	राष्ट्रीय संग्रहालय, मुर्शिदाबाद	National Museum at Murshidabad ...	6626–6627
6715	केन्द्रीय मत्रालय में अखिल भारतीय सेवा के उच्च अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति	Deputation of All India Services Officers to the Central Ministries	6627
6716	यूनाइटेड प्रोविन्सेज कॉमर्शियल कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता	United Provinces Commercial Corporation (P) Ltd., Calcutta	6627–6628
6717	राष्ट्रपति के सचिवालय सेवा में विदेशी राष्ट्रजन	Foreign Nationals in Presidents Secretariat	6628

6718	रेयन के कारखाने	Rayon Factories –	6628–6629
6719	तुर्कमानिया में मिली पाण्डुलिपि	Manucript Found in Turkmania	65 29
6720	पिछड़े क्षेत्रों में डाक-घर	Post-Offices in Backward Areas ..	6629-6630
6721	पंजाब सर्किल में टेलीफोन शुल्क की दरें	Rates of Telephone Charges in the Punjab Circle	6630
6722	हल्दिया पत्तन में रोजगार दिलाऊ दफ्तर	Employment Exchange near Haldia Port ...	6630
6723	प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें	Recommendations of Administrative Reforms Commission	6631
6724	सुहागपुर उप–डाकखाने में धन का गबन	Misappropriation in Suhagpur Sub-P. O.	6631
6725	पुनर्वास मंत्रियों का सम्मेलन	Rehabilitation Ministers Conference	6631–6632
6726	किलोसिब के निकट विद्रोही नागाओं द्वारा घात लगाकर हमला	Naga Rebels Ambush near Kilosib ...	6632–6633
6727	हिन्दी निदेशालय के अधिकारियों द्वारा दौरे	Tours by Hindi Directorate Officers	
6728	'कार्यालय दीपिका' प्रकाशन	Publication of 'Karyalaya Deepika, ...	6633
6729	राष्ट्र चिन्ह	State Emmblem – –	6633-6634
6730	डाक विभाग, दिल्ली में धोखाधड़ी	Cheating of Postal Department, Delhi ...	6634
6731	प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के पदों का अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षण	Reservations of Class I & II Posts for S. C. & S. T. ...	6634–6635
6732	उपराज्यपाल, दिल्ली को शक्तियों का प्रत्यायोजन	Delegation of Powers to Lt. Governor, Delhi ...	6635–6636

6733	विद्युत चालित करघों में श्रमिक	Workers in Powerlooms	6636
6734	इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, नई दिल्ली	Institute of Petroleum, New Delhi ...	6636–6637
6735	जीव रसायन तथा व्यावहारिक औषध संस्था	Institute of Bio-chemistry and Experimental Medicine	6637
6736	राज्यपालों का चयन	Selection of Governors ...	6637–6638
6737	इटली की सरकार द्वारा छात्रवृत्तियां दी जाना	Award of Italian Government Scholarships	6638
6738	विद्रोही नागाओं से मुठभेड़ों में हताहत सैनिक	Casualties in Encounters with Nagas ...	6638
6740	बस्तर में दशहरे का त्योहार	Dassehra Festival in Bastar	6638–6639
6741	गृह–कार्य मंत्रालय के कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें	Corruption Complaints against Employees of the Ministry of Home Affairs	6639
6742	अखिल भारतीय शिक्षा सेवा	All India Educational Service	6639–6640
6743	मूल अनुसन्धान के प्रति छात्रों द्वारा उदासीनता दिखाया जाना	Indifference shown by Students to Original Research	6640–6641
6744	विश्वविद्यालय स्तर तक विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों का आधुनिकीकरण	Modernisation of Syllabi of Different Subjects upto University Standard	6641
6746	टेलीफोन काल	Telephone Calls ... –	641
6747	शेख अब्दुल्ला द्वारा लिखे गये पत्रों का भेजा जाना	Delivery of Letters addressed by Sheikh Abdullah	6642
6748	केरल में पुलिस आवास योजना	Police Housing Scheme in Kerala	6642

अता.प्र.संख्या/ U.S.Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Page
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
6749 दिल्ली में औद्योगिक विवादों का न्याय निर्णय	Adjudication of Industrial Disputes in Delhi ...	6642–6643
6750 बर्मा से स्वदेश लौटे लोगों को पुनर्वास ऋण	Loan to Repatriates from Burma ..	6643–6644
6751 गुरु गोविन्द सिंहजी की जन्म-शताब्दी पर धन का गबन	Misappropriation during Birth Centenary celebrations of Guru Govind Singhji ..	6644
6752 अन्दमान राजकीय परिवहन विभाग	Andaman State Transport Department —	6644–6645
6753 निकोवार द्विप समूह में नौभरण	Stevedoring in Nicobar islands ..	6645
6754 अनुसंधानकर्त्ता छात्रों का प्रव्रजन	Migration of Research Scholars	6646
6755 डाक व तार विभाग के कर्मचारियों के लिये वर्दियां	Uniforms for P. & T. Employees	6646–6647
6756 विद्यार्थियों के लिये विशेष रेलगाड़ी	Students' specials	6647
6757 पेट्रोलियम से प्रोटीन	Protein from Petroleum	6647–6648
6758 टेलीफोन के एक्सटेंशन	Extension for Telephone connections	6648
6759 हड़ताल करने वाले दिल्ली पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध आपराधिक मामले	Criminal ceses against striking Delhi Policemen ...	6648–6649
6760 तेल तथा पेट्रोलियम के लिये राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला	National Research Laboratory for Oil Petroleum ... —	6649
6761 दिल्ली के स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं में अंग्रेजी	English in Primary Classes in Delhi Schools ...	6649- 6650

6762	रूस द्वारा व्यक्तियों तथा संगठनों को दिया गया धन	Funds given by the USSR individuals and Organisations	6650
6763	दिल्ली में उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कालेज	Colleges affiliated to U. P. Universities in Delhi	6650
6764	स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता	Structural Engineering works Ltd. Calcutta...	6650–6651
6765	हिन्दी की नई लिपि	New Hindi Script	6651
6766	राज्य सरकारों को साप्ताहिक रिपोर्ट भेजना	Supply of Fortnightly Reports to State Governments	6651
6767	विदेशों को जा रहे वैज्ञानिक डाक्टर तथा इंजीनियर	Scientists, Doctors, and Engineers going abroad ...	6651–6652
6768	विदेशों में भारतीय वैज्ञानिक डाक्टर तथा इंजीनियर	Indian Scientists, Doctors and Engineers abroad	6652–6653
6769	भारत में काम करने वाले विदेशी विशेषज्ञ	Foreign Experts working in India	6653
6770	केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान केन्द्र, खड़कवासला	Central Water & Power Research Station, Khadakavasla	6654
6772	संगीत–नाटक अकादमी के भूतपूर्व सचिव के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा	Criminal Prosecution against Former Secretary Sangeet Natak Akademi	6654–6655
6773	विज्ञान के प्रतिभाशाली लोगों की योजना	Science Talent Search Scheme	6655
6774	लक्कादीव, मिनिकॉय तथा अमीनदीव द्वीप समूह में रुढ़िगत कानून	Customary Laws in Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands	6655–6656

6775 विपीन कारा में टेलीफोन की सुविधाएं — Telephone Facilities to Vypeen Kara ... 6656–6657

6776 एक राजभाषा के रूप में कोंकणी — Konkani as an Official Language 6657

6777 धेमो मुख्य कोयला खान, आसनोल में दुर्घटना — Accident in Dehmo Main Colliery, Asansol 6657–6658

6778 एरणाकुलम में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल — E. S. I. Hospital at Ernakulam 6658

6779 योगासन — Yogic Exercises 6658–6659

6780 विभिन्न मंत्रालयों में तृतीय श्रेणी के कर्मचारी — Class III Employees in Different Ministries.. 6659

6781 प्रशासनिक सुधार आयोग — Administrative Reforms Commission 6659–6661

6782 अवर सचिव तथा उससे ऊपर के पदों के अधिकारियों के सेवा-काल को बढाना — Extension of Service to Officers of the Rank of Under Secretary and above 6661–6662

6783 मैसूर–महाराष्ट्र सीमा विवाद — Mysore-Maharashtra Border Dispute ... 6662

6784 छात्राओं को सहायता — Assistance to Girl Students 6662–6663

6785 सरकारी नौकरी के लिये पुलिस द्वारा अभिपुष्टि (वैरिफिकेशन) किये जाने को समाप्त करना — Abolition of Police Verification for Government Employment 6663

6786 राष्ट्रीय राइफल संस्था को अनुदान — Grants to National Rifle Association .. 6663

6787 नक्सलबाड़ी क्षेत्र में साम्यवादी दल — Communist Party in Naxalbari 6664

6788 दिल्ली में तकनीकी शिक्षा — Technical Education in Delhi 6664

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

6789	मनीपुर राज्य में हत्या की घटनायें	Murder cases in Manipur State	6664-6665
6790	दिल्ली में 7 नवम्बर, 1966 को गोली चलाये जाने की घटना	Firing Incident in Delhi on 7th Nov. 1966 ..	6665–6666
6791	मैकेनीकल इंजीनियर	Mechanical Engineers ... –	6666
6792	मनीपुर में हिंसात्मक कार्यवाहियां	Violent Activities in Manipur State ...	6666–6667
6793	आन्ध्र प्रदेश के उर्दू स्कूलों में शुक्रवार की साप्ताहिक छुट्टी	Friday as weekly holiday in Urdu Schools in Andhra Pradesh ... –	6667
6794	वैकल्पिक विषय के रुप में अंग्रेजी	English as Optional Subjects ...	6667
6795	बीकानेर–जोधपुर सीमा पर पाकिस्तानी जासूसों की गिरफ्तारी	Arrest of Pak. Spies on Bikaner–Jodhpur Border ...	6667–6668
6796	त्रिपुरा के एक सिपाही का बच कर पाकिस्तान भाग जाना	Escape of a Tripura Constable to Pakistan ...	6668
6797	शाहदरा–सहारनपुर रोड़ पर कोका कोला की बोतलों का पकड़ा जाना	Seizure of Coca-Cola bottles on Shahdara-Saharanpur Road ..	6668
6798	'सी' डिवीजन गया के रेल डाक सेवा के कर्मचार	R. M. S. Employees, 'C' Division Gaya ...	6669
6799	शेख अब्दुल्ला का कोडाई–कनाल से चिकित्सा के लिये नई दिल्ली जाया जाना	Shifting of Sheikh Abdullah from Kodaikanal to New Delhi for medical check up ...	6669
6801	वर्ल्ड एजुकेशन इनकार–पोरेटेड, न्यूयार्क द्वारा लखनऊ में साहित्य सदन की स्थापना	Establishment of Literary House in Lucknow by World Education Inc. New York ...	6669–6670

6802	भारत में शिक्षा की पद्धति	Education Pattern in India	6670
6803	आसाम में प्राचीन स्मारक	Ancient Monuments in Assam	6670-6671
6804	पुरातत्व विभाग का सर्किल मुख्यालय	Circle H. Q. of Archaeology ..	6671
6805	मिजो लोगों के साथ मुठभेड़	Clash with Mizos ..	6671–6672
6806	आसाम में भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी	I. A. S. Officers in Assam	6672
6807	शैक्षिक प्रशिक्षण सम्बन्धी राष्ट्रीय परिषद्,नई दिल्ली	National Council of Educational Training, New Delhi	6672–6673
6808	विद्रोही मिजो	Mizo Rebels ...	6673
6809	पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य	Rehabilitation work in West Bengal ...	6673–6674
6810	डाक तथा तार विभाग की अखिल भारतीय पेन्शनर्स यूनियन	All-India P. & T. Department pensioners, Union	6674-6675
6811	मनीपुर में हथियारों का पकड़ा जाना	Seizure of Arms in Manipur ..	6675
6812	बिहार के दुर्भिक्ष-ग्रस्त क्षेत्र में कार्य करने वाले विदेशी धर्म प्रचारक	Foreign Missionaries working in Bihar Famine Area	6675-6676
6813	जमशेदपुर टेलीफोन केन्द्र	Jameshedpur Telephone Exchange	6676
6814	पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए मनीपुरी तथा बंगाली शरणार्थी	Manipuri & Bengali Refugees from East Pakistan ...	6676-6677
6816	दिल्ली में कारों की चोरियां	Car Thefts in Delhi	6677
6817	पाकिस्तान से आये शरणार्थियों का दिल्ली में पुनर्वास	Rehabilitation of Pakistan Refugees in Delhi	6678

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी) | WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

6818	मोहनजोदड़ो की पुरातत्व सम्बन्धी खुदाइयों को क्षति	Damage to Mohen-Jodaro Excavations ...	6678
6819	राजस्थान विश्वविद्यालय में हिन्दी में विज्ञान पढाना	Teaching of Science in Hindi in Rajasthan University	6679
6820	नक्सलबाडी में रह रहे उत्तर प्रदेश के लोग	People belonging to U. P. residing in Naxalbari	6679
6821	मिजो पहाड़ी क्षेत्र में गांवों का पुनर्गठन	Re-grouping of Villages in Mizo Hill Area...	6679–6680
6822	सरस्वती की मूर्ती का गुम हो जाना	Loss of Saraswati Statue ...	6680
6823	भारतीय संस्कृति की अन्तर्राष्ट्रीय अकादमी, नई दिल्ली	International Academy of Indian Culture, New Delhi	6680–6681
6824	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आन्ध्र प्रदेश को अनुदान	Grant of funds by University Grants commission to Andhra Pradesh	6681
6825	कलकत्ता विश्वविद्यालय प्रांगण में चीन–समर्थक नारे लगाया जाना	Pro–chinese slogans in Calcutta University Campus	6681
6826	ओलम्पिक खेलों सम्बन्धी नये नियम	New Rules of Olympic Games	6682
6827	तिहाड़ जेल, नई दिल्ली में जून, 1967 में जख्मी हुए गौवध – विरोधी सत्याग्रहियों को प्रतिकार	Compensation to anti-cow slaughter Satyagrahis injured in Tihar Jail, New Delhi scuffle in June 1967	6683
6828	'मैती राज्य समिति' मनीपुर	Mietie state committee, Manipur ...	6682–6683
6829	रेलवे कुली तथा खोमचे वाले	Railway porters and Vendors	6683
6830	कर्मचारी भविष्य निधि	Employees Provident Fund	6683–6684

6831	अफजल बेग की राजनैतिक गतिविधियां	Political activites of Afzal Beg ..	6684
6832	डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये अनावृष्टि भत्ता	Drought Allowance for P. &. T. Employees...	6684
6833	मुजफ्फरपुर में नियुक्त डाक व तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Accommodation for P. &. T. Employees Muzaffarpur	6685
6834	मनीपुर के कर्मचारियों के लिये अतिरिक्त भत्ता	Extra Allowance for Manipur Employees . .	6685
6835	मद्य निषेध	Prohibition	6685-6686
6836	मोदी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, मोदीनगर	Modi Spining and Weaving Mills, Modinagar	6686
6838	दिल्ली पोलिटेक्निक में दाखिला	Admission in Delhi Polytechnic	6686-6687
6839	विदेशों से वापस लौटे भारतीय	Repatriates from Abroad	6687-6688
6840	सेवानिवृत्ति की आयु से पहले सेवानिवृत्त किये जाने के मामले से सरकारी कर्मचारियों में असन्तोष	Discontentment among Government Employees on the issue of Premature Retirement ...	6688
6841	कृषि स्नातकों की बेरोजगारी	Unemployment among Agricultural Graduates ...	6688-6689
6842	अध्यापकों का वेतन	Pay of Teachers	6689
6843	दिल्ली में बोगस शिक्षा संस्थाएं	Bogus Educational Institutions in Delhi ...	6689-6690
6844	निकोबार में खोपरा तथा सुपारी के मूल्य	Prices of Copra and Betelnuts in Nicobar ...	6690
6845	जम्मू तथा काश्मीर में घुसपेठियों की गिरफ्तारी	Arrest of Infiltrators in J. &. K. ...	6691

6846	केरल के काजू कारखानों में मजदूरों की हड़ताल	Strike by workers of Cashew Factories in Kerala ..	6691
6847	क्लर्क ग्रेड की परीक्षा (जून, 1966)	Clerks' Grade Examination (June 1966.) ...	6691
6848	विशेष डाक टिकटें	Special Stamps	6692
6849	रूस को भेजे गये शिक्षा सम्बन्धी दल का प्रतिवेदन	Report of Educational Team to USSR	6692
6850	मिजों लोगों के साथ मुठ-भेड	Clash with Mizos ...	6692–6693
6851	कलपट्टू के टेलीफोन कर्मचारी	Telephone workers, Kalpattu –	6693
6852	मद्यनिषेध सम्बन्धी नीति	Prohibition Policy ...	6694
6853	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी	S. C. and S.T.,I. A. & I. P. S. Officers	6694–6695
6854	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत नई अनुसंधान प्रयोगशालायें	New Research Laboratories under C. S. I. R.	6695–6696
6855	आसाम राइफल्स	Assam Rifles	6696
6856	श्रमिक दिवस के रूप में पहली मई	May 1, as Labour Day	6696–6697
6857	विश्वविद्यालयों में तीन वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम	Three Years Degree Course in Universities ..	6697
6858	दिल्ली के कालेजों में दाखिला	Admission in Delhi Colleges – ..	6697–6698
6859	सैक्शन आफिसरों की ग्रेड एक के पदों पर पदोन्नति	Promotion of Section Officers to Grade I ...	6698

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.

प्रता.प्र.संख्या / U. S.Q. Nos. विषय	Subject			पृष्ठ/ Pages
6860 दिल्ली के कालेजों में प्रवेश	Admission in Delhi Colleges	...	—	6699
6861 छात्रों के लिये छात्रावास समिति	Hostel committee for Students	...	..	6699-6700
6862 दिल्ली नगर निगम को निष्क्रांत सम्पत्ति के प्लाटों का हस्तांतरण	Transfer of evacuee property plots to municipal Corporation, Delhi	—	..	6700
6863 मोती बाग, नई दिल्ली में स्कूल	Schools in Moti Bagh, New Delhi	—	...	6700-6701
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	...	...	6701-6705
श्री बलराज मधोक	Shri Bal Raj Madhok	...	...	6701
श्री मु. क. चागला	Shri M. C. Chagla	...	...	6701
पश्चिम जर्मनी द्वारा पाकिस्तान को सैनिक सामग्री बेचने के समाचार	Reported sale of military materials by West Germany to Pakistan	..	..	6701
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	..	...	6705
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	...	..	6706
छठा प्रतिवेदन	Sixth Report	...	...	6706
वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1967	Finance (No.2) Bill, 1967	...	...	6706-6725
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	...	...	6706
श्री हेम बरुआ	Shri Hem Barua	...	...	6706
श्री पहाडिया	Shri Pahadia	...	...	6708
श्री विश्वनाथ मेनन	Shri Viswanatha Menon	..	...	6709
श्री न. कु. साल्वे	Shri N. K. P. Salve		...	6710
श्री नारायण दांडेकर	Shri N. Dandeker	..	...	6711
श्री का. ना. तिवारी	Shri K. N. Tiwary		...	6713
डा. प. मंडल	Dr. P. Mandal	...		6714

अता. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS Contd.			
	श्री जे. के. चौधरी	Shri J. K. Choudhury ..	6715
	डा. राम मनोहर लोहिया	Dr. Ram Manohar Lohia ..	6717
	श्री कंवरलाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta ...	6717
	श्री म. र. कृष्ण	Shri M. R. Krishna ..	6720
	श्री मोरार जी देसाई	Shri Morarji Desai	6722
	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के घाटे के बारे में, आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion re. Loss in Hindustan Steel Ltd.	6726-6730
	श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy	6726
	डा. चन्ना रेड्डी	Dr. Chenna Reddy	6729

———

लोक-सभा
LOK-SABHA

बुधवार, 26 जुलाई, 1967/ श्रावण 4, 1889 (शक)
Wednesday, 26 July, 1967/Sravana 4, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

{ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the chair* }

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Strike By Visakhapatnam Port Employees

+

*1381. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that seven hundred employees of the Visakhapatnam port have gone on strike on the demand of bonus for the period 1964-67;

(b) whether it is also a fact that the ships anchored on that port have been affected by the strike;

(c) if so, the action taken by Government in the matter;

(d) the amount of bonus due for three years; and

(e) the extent of daily loss caused by the strike ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) 1186 employees of Stevedores of Visakhapatnam Port were on strike from 10th to 29th April, 1967.

(b) Yes.

(c) Government referred the dispute to an Industrial Tribunal for adjudication,

(d) The Industrial Tribunal has not yet passed its award.

(e) It has been reported that the approximate loss is Rs. 21 lakhs to ship owners, Rs. 2 lakhs to the workers and Rs. 1.20 lakhs to the Port Trust.

Shri Hukam Chand Kachwai : I want to know since when labourers have been agitating for their demands and why Government have taken such a long time in resolving this dispute ? May I know whether Government have taken any steps to ensure that such cases are not prolonged for such a long time ?

Shri Hathi : I fully agree with the hon. Member that such a long time should not be taken in resolving such cases. An attempt was made in the month of March to come to an agreement and it was hoped that the agreement would be reached. But the demands of the two Unions were divergent. The demand of the members of one Union was that atleast 4% bonus should be given, While the members of the other Union demanded that they should be given two and a half month's pay. So nothing could be settled, as their demands were divergent. The matter has been referred to the tribunal.

Shri Hukam Chand Kachwai : Will the hon. Minister be pleased to state whether labourers had submitted a memorandum to him which included not only there demands, but several other demands also. Now the hon. Minister says that the matter is under consideration and it has been referred to a tribunal. I want to know how long it will take to settle this dispute and what are the other demands and by what time the dispute would be settled ?

Shri Hathi : Now the matter is not under consideration. It has been decided and referred to a tribunal. It would be settled as soon as possible.

Shri Hukam Chand Kachwai : I have also asked about the memorandum.

Shri Hathi : The dispute is regarding bonus.

Shri Hukam Chand Kachwai : There are other demands also.

Shri Hathi : I have no knowledge of them.

Defects in Qutab Minar

\+

*1383. **Shri Sharda Nand** :
Shri J. B. Singh :
Shri Ranjit Singh :

Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether an **Expert** Committee appointed to go into the dafects in the foundations of the Qutab Minar has recently submitted its report;

(b) whether the Committee have recommended further cementing of its foundations; and

(c) if so, whether Government propose to provide necessary funds for the purpose ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh : (a) Yes Sir.

(b) Yes Sir.

(c) Yes, Sir. As soon as the funds are available.

Shri A. B. Vajpayee : Wherefrom the funds would be available ?

Shri Sher Singh : Wherefrom the hon. members will sanction.

Shri A. B. Vajpayee : Govt. should tell whether they are going to make available funds or not ?

Shri Sharda Nand : I would like to know the time taken by the Committee in submitting its report and the expenditure incurred thereon.

Shri Sher Singh : The Committee was constituted in July, 1964 and it submitted its report in May, 1965 So far as the question of expenditure is concerned, I require a separate notice for it.

Shri Sharda Nand : I want to know whether Government will take early action in this regard, so that necessary facilities are given to the tourists ?

Shri Sher Singh : An estimate for Rs. 10 lakhs and 20 thousands has been prepared for the purpose. This estimate has been prepared for recementing the foundations, which had weakend and for replacing the old stones with new ones. As soon as that amount is got sanctioned, work would be started. I think the work would be taken up either this year or next year. The work has not been started as yet, because necessary funds are not available at present. We do not want to start the work within sufficient funds. That is why I have stated that work would be started as soon as funds are made available.

Shri Hukam Chand Kachwai : I want to know by when funds would be made available and from what source these funds would be made available ?

Shri Sher Singh : I have already stated that an estimate for Rs. 10 lakhs and 20 thousands has been prepared and the work has to be done in three phases. An amount of Rs. one lakh and 20 thousand would be spent in the first phase, an amount of Rs. 5 lakhs in the second phase and amount of Rs. 4 lakhs in the third phase

Shri Prakash Vir Shastri : There are divergent views with regard to the history of the Qutab among the historians. Will the Government do something in respect of its history and allocate some funds ?

Shri Sher Singh : The question of its history is not being considered.

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मै जानना चाहता हूँ कि यह मरम्मत का कार्य वास्तव में कब आरम्भ किया जायगा – इस वर्ष अथवा अगले वर्ष ? क्या माननीय मंत्री कोई निश्चित तिथि बता सकते हैं ?

Shri Sher Singh : As soon as possible.

Shri A. B. Vajpayee : The hon. Minister has stated that the Committee was contituted in 1964 and it submitted its report in 1965. Now it is 1967. The Ministry of

Education has not so far been able to get an amount of Rs. 1 lakh and 20 thousands for the first phase of repair work. I want to know whether Education Ministry has submitted some concrete proposals to the Finance Ministry or should I understand that the Ministry of Finance is not wiling to give an amount of Rs. 1 lakh and 20 thousands to the Ministry of Education for the protection of Qutab Minar ?

Shri Sher Singh : We wanted to undertake this project this year. But this year we have started the repair work only for which an amount of Rs. 1 lakh and 50 thoussand has already been sanctioned We had previous Commitments for carrying out these works and as such we cannot abandon them in the middle. These are 13 small schemes for which this amount of Rs. 1 lakh and 50 thousands had been sanctioned and this amount would be spent on them. We cannot abondon the works, which are under way, because if they are abandoned and other works are undertaken then the amount spent on them would go waste. That is why we have earmarked this amount of Rs. one lakh and 50 thousands for these 13 smaller schemes and it would be utilised for these schemes.

श्री चपलाकांत भट्टाचार्य : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कुतुब मीनार किसी ओर को झुक रही है और यदि हां तो किस ओर को झुक रही है। कहा गया है कि कुतुबमीनार उत्तर पश्चिम अथवा दक्षिण पश्चिम को झुक रही है। अब तक कुतुबमीनार में कितना झुकाव पैदा हुआ है ?

श्री शेरसिंह : कुतुबमीनार अभी तक सीधी खड़ी है, उसमें कोई झुकाव पैदा नहीं हुआ है, न दायें को न बायें को।

Shri Madhu Limayee : Will the Qutab remain standing in between ?

Shri A. B. Vajpayee : Only still adopt such a policy.

श्री तेन्नेटि विश्वनाथ : मरम्मत के मुख्य काम के अतिरिक्त क्या सरकार कुतुब के निकटवर्ती क्षेत्र को अधिक स्वच्छ रखने की ओर भी अधिक ध्यान देगी ताकि उद्यान अधिक आकर्षक प्रतीत हो तथा न केवल विदेशियों अपितु दिल्ली के बाहर से आने वाले भारतीयों पर भी अच्छा प्रभाव डालने के लिये क्या कैंटीन को भी अधिक आकर्षक बनाया जायेगा, क्योंकि के कुतुब के बारे में बहुत उच्च धारणायें लेकर आते हैं ?

श्री शेरसिंह : पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिये शिक्षा मंत्रालय पर्यटन मंत्रालय से सम्पर्क स्थापित करने के बारे में विचार कर रहा है ताकि उस मंत्रालय के मार्गदर्शन एवं सहायता से हम इन स्मारकों की देख रेख में सुधार कर सकें और इन्हें पर्यटकों के लिये अधिक आकर्षक बना सकें।

श्री बलराज मधोक : ऐतिहासिक अनुसंधान के अनुसार कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन एबक द्वारा, जिसने दिल्ली पर वर्ष 1612 से 1616 तक केवल चार वर्ष के लिये राज किया था, नहीं बनवाया गया अपितु इसे विशाल देव द्वारा जिसने दिल्ली पर बहुत समय तक राज किया था बनाया गया था। इस तथ्य को देखते हुए तथा इस बात को देखते हुए कि हमारा 'आदर्श सत्यमेव जयतः' है, क्या सरकारे इस ऐतिहासिक तथ्य को मान्यता देगी तथा इस स्तम्भ का नाम कुतुबमीनार के स्थान पर विशाल स्तम्भ रखेगी ?

श्री शेर सिंह : जब यह सिद्ध हो जायेगा कि यह सत्य है, तो हम इसे स्वीकार कर लेंगे।

श्री बलराज मधोक : क्या आप इसके वास्तविक निर्माता के नाम का पता लगाने के लिये कोई समिति नियुक्त करने को तैयार है। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। यदि आप इसे

स्वीकार नहीं करते तो आप इस सारे मामले पर विचार करने के लिये विद्वानों की एक समिति नियुक्त कर सकते हैं ।

श्री शेर सिंह : इस बात का निर्णय करना इतिहासकारों तथा विशेषों का काम है । सरकार इस सम्बन्ध में कोई घोषणा नहीं कर सकती ।

श्री बलराज मधोक : क्या आप इस सारे मामले पर विचार करने के लिये विद्वानों की एक समिति नियुक्त करने को तैयार है ? क्या हां या नहीं में उत्तर दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप तैयार हैं या नहीं इस बात का उत्तर दिया जाये ।

श्री शेर सिंह : पहले ही एक ऐसी समिति है, जो भारत का इतिहास लिख रही है ।

Shri Bal Raj Madhok : Are you prepared to appoint such a comittee that will go into matter on the basis of the historical data and decide as to who was the real builder of this tower and then name it accordingly ?

श्री शेर सिंह : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं डा० तारा चन्द की अध्यक्षता में पहले ही एक समिति बनी हुई है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या उसे इस उद्देश्य के लिये नियुक्त किया गया है ?

श्री शेर सिंह : जी नहीं (अन्तर्बाधाएं)

उपाध्यक्ष महोदय : फिर । आप इस प्रश्न का हां या नहीं में उत्तर दें ।

श्री शेर सिंह : यह मामला भी उस समिति को सौंपा जा सकता है । मैं समझता हूं दूसरी समिति नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है जब पहले ही एक समिति है, तो इस मामले को भी उसे सौंपा जा सकता है ।

Shri S. K. Tapuriah : The hon. Minister names reply in affirmitive or negative. Is there brain drain ?

शिक्षा के स्तर में सुधार

\+

***1384. श्री क० ना तिवारी :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री मोलहू प्रसाद :
श्री शिवपूजन शास्त्री :
श्री राम चरण :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1950-51 से 1965-66 तक की अवधि में परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या की दृष्टि से शिक्षा के क्षेत्र में जो विस्तार हुआ है, उसके अनुपात में शिक्षा के स्तर में सुधार नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में आशानुकूल रोजगार मिल रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो छात्रों की शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1203/67]** सदस्यों के लाभार्थ मैं कुछ बातें और बताना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, कहिये।

श्री त्रिगुण सेन : प्रश्न के भाग (क) के सन्दर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि गत 15 वर्षों में उर्तीण होने वाले छात्रों का प्रतिशतता में वृद्धि हुई है, परन्तु इसे शिक्षा के स्तर में सुधार होने अथवा उसमें गिरावट आने का मापदण्ड नहीं समझा जा सकता वास्तव में शिक्षा के स्तर का समूचा चित्र एक मिश्रत चित्र है जिसमें प्रगति एवं अवनति दोनों के चिन्ह विद्य' मान हैं। एक ओर तो शिक्षा के तीव्र विस्तार तथा पर्याप्त पूंजी और संशोधनों के कारण ऐसी संस्थानों की संख्या में वृद्धि हुई है जिन्हें उचित स्तर की संस्थायें नहीं कहा जा सकता। प्रथम पीढ़ी के छात्रों की संख्या में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई है। परन्तु इस चित्र का दूसरा पहलू भी है। प्राकृतिक विज्ञानों, कृषि, इन्जीनियरी, डाक्टरी, अर्थ शास्त्र तथा समाज शास्त्र इत्यादि विषयों की पढ़ाई में बहुत सुधार हुआ है। पहले की अपेक्षा अब ऐसी संस्थायें अधिक हैं जिन्हें प्रथम श्रेणी की संस्थायें कहा जा सकता है तथा ऐसे छात्रों की संख्या भी अधिक है जिन्हें उच्च श्रेणी के छात्रों की पंक्ति में रखा जा सकता है। परन्तु शिक्षा के विस्तार तथा संसाधनों और शिक्षकों की कमी के कारण निम्न श्रेणी की संस्थाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। अत: यह एक मिश्रित तस्वीर है।

प्रश्न के भाग (ख) से मैं सहमत हूं कि प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं में कला तथा वाणिज्य के विषय से उतीर्ण हुए मैट्रिक तथा स्नातकों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है तथा रोजगार के उतने अवसर उपलब्ध नहीं हो सके हैं। इससे शिक्षित में बेरोजगारी बढ़ी है, तथा बहुत से छात्रों को उनकी योग्यता अनुसार रोजगार नहीं मिल सका है।

प्रश्न के भाग (ग) के सन्दर्भ में मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षा का स्तर कई कारणों पर निर्धारित है परन्तु मेरे विचार में सबसे बड़ा कारण यह हैं कि छात्र को उस भाषा में शिक्षा दी जाये जिसमें वह सोचता है तथा स्वप्न देखता है। शिक्षा का स्तर शिक्षकों की योग्यता तथा छात्रों की मनोवृति पर भी आधारित है। इस सम्बन्ध में शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी राष्ट्रीय परिषद् द्वारा विभिन्न उपाय किये गये हैं। शिक्षा आयोग ने भी कुछ सिफारिशें की हैं और मंत्रालय उन पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा हैं। परन्तु आप मुक्त से सहमत होंगे कि अभी तक हम कठिन परिश्रम तथा कर्तव्य निष्ठा की भावना जागृत नहीं कर सकते हैं तथा सुविधाओं का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा है। यह भी एक कारण है जिससे हम शिक्षा के स्तर में सुधार नहीं कर सके हैं।

Shri K. N. Tiwari : In the statement at one place it is given that good institutions and first rate students are now more numerous and qualitatively even better while at another place it says that there are substandard schools and teachers. The poor students cannot afford to study in good institutions and therefore their standard is bound to be low. Is there any scheme under consideration of the Government for having uniform standards of education for all the people ?

डा० त्रिगुण सेन : सभी विद्यार्थियों को समान अवसर देने के हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु माननीय सदस्य को पता होना चाहिये कि विशेष रूप से व्यावसायिक संस्थानों में अध्यापकों की भर्ती में 25 से 30 प्रतिशत तक रिक्त स्थान रहते हैं। हमारे पास अध्यापकों, उपकरणों आदि की कमी है।

श्री रंगा : हजारों प्रशिक्षित अध्यापक बेकार हैं।

Shri K. N. Tiwari : In part (b) of the statement it is given :

"It is true that in the first three five year plans, the output of matriculates and graduates in arts and commerce has been very large and has outstripped employment opportunities available. What is the number of unemployed amongst the graduates in science medicines, technology etc. ?

डा० त्रिगुण सेन : इसके लिये मुझे सूचना चाहिये।

Shri Sidheshwar Prasad : There has been no fall in the standard of education for the students belonging to the affluent sections of the populace since they can afford to study in costilier institutions. But there has been a deplorable fall in the standard of education received by the masses because of the lack of facilities provided by the Government to the institutions and also because of the neagra salaries of the teachers, What steps have been taken by the Government to bridge this gulf ?

डा० त्रिगुण सेन : हम इससे सहमत हैं कि अध्यापकों के स्तर में सुधार होना चाहिये। वास्तव में शिक्षा आयोग की यह पहली सिफारिश है। हाल ही में विश्वविद्यालय आयोग ने कालिजों और विश्वविद्यालयों के वेतन क्रमों में सुधार किया है। शिक्षा मन्त्रालय प्राथमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतनक्रमों में सुधार करने को प्राथमिकता दे रहा है।

Shri Molhu Prasad : What steps are being contemplated by the Government to abolish convent. nursery and montessory schools mainly responsible for the propagation of English and folling standards of education in view of the fact that unless regional languages are made the official language and unless educatian is imparted through the medium of regional languages educations cannot be percolated to the masses ?

डा० त्रिगुण सेन : मेरा ख्याल है मैंने इस पर व्यक्तव्य दिया था कि शिक्षा प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से दी जायेगी।

Shri Molhu Prasad : Unless Fancy schools are abolished, standard of education cannot improve.

डा० त्रिगुण सेन : यह प्रश्न नहीं, मत है।

Shri Madhu Limaye : What action is being taken by Govt. to stop the increasing number of Fancy English schools ? Stand of education will improve when pich students are admitted in school if poor.

डा० त्रिगुण सेन : संसद् विज्ञों की समिति के प्रतिवेदन में कुछ सिफारिशें दी गई है जिन पर हम अगले मास की 9, 10 और 11 तारीख को विचार करेंगे। अब हम कोई निर्णय नहीं कर सकते हैं।

Shrimati Jayaben Shah : Is not the falling standard of education attributable to the prevailing competition and the bad practices among the educational institutions and universities where donors children are given the admission in engineering and medical colleges despite the low percentage of their marks, if so, what steps are being contemplated in this regard ?

डा० त्रिगुण सेन : मैं समझता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति इस बात से सहमत है कि ऐसा नहीं होना चाहिये। हमें ईमानदार होना चाहिये। हम विभागों के प्रमुखों से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि वे ईमानदार और न्योयोचित रहें और योग्यता के आधार पर ही विद्यार्थियों को दाखला दें न कि दबाव में आकर या अन्य किसी कारण से।

श्री स्वैल : क्या यह सच है कि बहुत सी प्रादेशिक भाषाएं इतनी कम विकसित हैं कि उन्हें स्कूलों में भी शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया जा सकता ? ऐसी स्थिति में क्या मन्त्री महोदय अब भी अपने उस निर्णय पर टिके हुए हैं कि प्रादेशिक भाषाएं 5 वर्ष में अंग्रेजी का स्थान ले लेंगी और किस प्रकार यह आशा करते हैं कि इस अवधि में शिक्षा का स्तर उठ जायेगा ?

डा० त्रिगुण सेन : मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि कुछ प्रादेशिक भाषाएं शिक्षा का माध्यम नहीं हो सकतीं। जब तक हम प्रयत्न नहीं करते हम सुधार नहीं कर सकते। मेरा पक्का विश्वास है कि यदि हम ऐसा करना चाहें तो कर सकते हैं। माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वे पांच वर्ष तक प्रतीक्षा करें और फिर देखें कि हम भाषाओं में सुधार कर सकते हैं या नहीं।

श्री कण्डप्पन : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा घोषित किये गये वेतनक्रम अनेक रा यों द्वारा क्रियान्वित नहीं किये गये हैं। क्या सरकार इनकी क्रियान्वित को सुनिश्चित करने के लिये कदम उठायेगी ?

डा० त्रिगुण सेन : पुनरीक्षित वेतनक्रमों के कारण जो अतिरिक्त व्यय होगा, सरकार ने उसका 80 प्रतिशत वहन करने का निर्णय किया है; केवल 20 प्रतिशत राज्य द्वारा दिया जायेगा। क्या मैं माननीय सदस्य से अनुरोध कर सकता हूं कि वह इसकी क्रियान्वित के लिये राज्य में अपने दल के नेता पर प्रभाव डालें।

Shri Bibuhit Mishra : May I know whether the standard of education in Delhi School of Economics is the same as in Patna University or any other University, if not, why the other Universities are being starved for funds ?

डा० त्रिगुण सेन : शिक्षा संस्थानों के स्तर में सुधार के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है और यह हमारी कोशिश होगी कि सारे देश के संस्थानों का स्तर ऊंचा किया जाये ।

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार को पता है कि कुछ के साथ तो शिक्षा लगभग एक उद्योग बन गया है–विशेषरूप से दिल्ली तो इसके लिये कुख्यात है–और यह देश में शिक्षा के स्तर में गिरावट के लिए जिम्मेदार है; यदि हां, तो सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं कि इस देश में गैर-सरकारी प्रबन्धकों द्वारा शिक्षा का विकास एक उद्योग के रूप में न किया जाये ।

डा० त्रिगुण सेन : इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य का ध्यान शिक्षा आयोग की सिफारिश की ओर दिलाना चाहता हूं । उन्होंने यह भी सलाह दी है कि इन चीजों को समाप्त करने के लिये प्रत्येक राज्य को एक शिक्षा नियम बनाना चाहिये । इस पर यहां भी चर्चा होगी ।

Shri Sheo Narain : Do Government propose to enforce uniform educational curriculum throughout the country ?

डा० त्रिगुण सेन : सरकार, अपने अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रत्येक विषय के लिये एक अच्छा पाठ्यक्रम तैयार करने का प्रयत्न कर रही है, इसके साथ ही इसमें विश्वास नहीं करता कि सारे देश के लिये एक ही पाठ्यक्रम होना चाहिये । प्रत्येक राज्य में कुछ प्रमाप रखे जायेंगे ।

श्री रंगा : क्या सरकार आर्थिक मन्दे के कारण अध्यापकों की छंटनी को रोकने का भरसक प्रत्यन करेगी ? आन्ध्र प्रदेश में हजार से अधिक अध्यापकों के बेरोजगार हो जाने की शंका है । सरकार इन प्रशिक्षित अध्यापकों के लिये कम से कम इतना तो करे ।

डा० त्रिगुण सेन : मैंने यह नहीं सुना है कि आन्ध्र प्रदेश में प्रशिक्षित अध्यापकों को नौकरी से निकाला जा रहा है; मैं इसकी जांच करूंगा । बल्कि पिछले सप्ताह ही मैंने सभी राज्यों के शिक्षा मन्त्रियों को पत्र लिखा है कि प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क की जानी चाहिये और यदि ऐसा नहीं किया जा सकता है तो कम से कम देश के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने का अवसर दिया जाये ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : क्या सरकार ऐसे विषयों की संख्या कम करने की चेष्टा करेगी जो कि चरित्र निर्माण के लिये आवश्यक नहीं हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है ।

Shri S. C. Jha : Our system education is different and inferior to that in vogue in America and England. Here the students do very little of writing, they take help of notes and adopt short cut methods, whereas in England and America the students have to do original work from the first year. In veiw of this do Government propose to make research a compulsory subject ?

डा० त्रिगुण सेन : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत नहीं हूं कि अमरीका की शिक्षा पद्धति को अपनाया जाये । हमें ऐसी पद्धति अपनानी चाहिये जो हमारे देश के लिये अनुकूल हो ।

दूरस्त स्थानों के लिये टेलीफोन तथा तार संचार की व्यवस्था

+

*1385. **श्री यशपाल सिंह :**

श्री स० चं० सामन्त :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम और जम्मू तथा काश्मीर जैसे सामरिक महत्व के दूरस्त क्षेत्रों के सरकार टेलीफोन तथा तार संचार की व्यवस्था में सुधार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो यह व्यवस्था कब तक पूरी हो जायेगी और चालू हो जायेगी ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : जी हां ।

(ख) कलकत्ता और शिलोंग तथा आसाम के कुछ दूसरे नगरों के बीच एक सूक्ष्म तरंग सम्बन्ध चालू कर दिया गया है जिसमें यह क्षमता है कि उससे उच्च स्तरीय टेलीफोन व तार परिपथों की व्यवस्था हो जाए । जम्मू तथा श्रीनगर से दिल्ली को जोड़ने वाली एक प्रणाली, जिसमें सहधुरिया केबिल तथा सूक्ष्मतरंग सम्बन्ध की व्यवस्था होगी, लगभग पूरी हो चुकी है । सूक्ष्मतरंग प्रणालियों तथा जमीन पर लाइन वाहक प्रणालियों को लगाने की दूसरी योजनाओं को भी क्रियान्वित करने की कार्रवाई लगातार होती रहती है ।

Shri Yashpal Singh : It had been announced by the Government that direct-dialling telephone service connecting Delhi with strategic areas like Jummu and Kashmir would be introduced by October, 1966, But this has not so far been done. May I know the reasons for this so much delay and the time by wnich this will be done ?

Shri I. K. Gujral : The hon. Member has rightly pointed out that the microwave link connecting Delhi with Jammu and Kashmir should have been introduced by that time but due to certain circumstances there has been this delay. I may, however assure the hon. Member that this work will how be completed within two months' time.

Shri Yashpal Singh : Whenever any information is asked about the border areas, Governments' usual reply is that the information has not yet been received whereas China has been able commission 65 radios there and the are carrying on mischevous propagand against us by means of microphones whereas we have not been able to do this even in our own territory so that we may be able to get replies to our questions relating to Naga Hills and Mizo Hills. May I know the time by which this microwave link will be commissioned.

Shri I. K. Gujral : So far as border areas are concerned, microwave link has already been commissioned between Shillong and Calcutta. Calcutta is also being connected with the remmaining towns in Assam and this work will be completed by the end of July. I want to assure the hon. Member that the Government dorealise the importance of introducing the microwave system in bo rder areas and this is why first priority has been accorded to Jammu and Kashmir in this matter.

श्री स० चं सामन्त : क्या आसाम और जम्मू तथा काश्मीर के सामरिक क्षेत्रों तथा अन्य सीमान्त क्षेत्रों में सूक्ष्मतरंग प्रणाली चालू कर दी गई है और यदि हां, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसमें क्या सुधार किया जायेगा ?

श्री इ० कु० गुजराल : मुख्य प्रश्न के उत्तर में यह बता दिया गया है कि कलकत्ता का शिलांग और जोरहात के साथ सूक्ष्मतरंग सम्बन्ध स्थापित हो चुका है। जम्मू तथा काश्मीर से भी सम्बन्ध स्थापित किया जा रहा है। यह कार्य जल्दी पूरा होने वाला है।

श्री लोलाधर कटकी - क्या यह सच नहीं है कि दिल्ली और आसाम में गोहाटी तथा अन्य स्थानों के बीच टेलीफोन सेवा में प्रायः बिगाड़ आ जाता है ? क्या वह इसकी जांच करेंगे ?

श्री इ० कु० गुजराल : इसकी जांच की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर

+

*1386. **श्री जार्ज फरनेन्डीज़ :**
श्री मधु लिमये :
श्री जे० एच० पटेल :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन टेलोफोन इन्डस्ट्रीज़ लिमिटेड, बंगलौर में निर्मित टेलीफोन की लागत कितनी है और क्या यह लागत विदेशों में निर्मित टेलीफोनों की लागत की तुलना में कम है;

(ख) क्या भारत में बने टेलीफोनों का किसी देश में निर्यात किया जाता है; और

(ग) क्या इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज, बंगलौर ने नये किस्म का एक ऐसा टेलीफोन बनाया है जो अब तक के टेलीफोनों की तुलना में कहीं अच्छा काम करने वाला है तथा जिस पर लागत कम आई है ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज़ लिमिटेड विभिन्न प्रकार के टेलीफोन उपकरण बनाता है। एक प्रारूपिक स्वचल टेलीफोन उपकरण का मूल्य 112 रुपये हैं और यह विदेश-निर्मित टेलीफोन से कम है।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं। किन्तु इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज़ लिमिटेड ने विद्यमान टेलीफोन के साथ काम में लाने के लिए एक नये प्रकार के संग्राहक (रिसीवर) का निर्माण किया है जो अधिक अच्छा काम करता है और जिसकी लागत भी कम हैं।

Shri George Fernandes : In view of the fact that there is shortage of telephones in the country so much so that in Bombay city alone, there are 30,000 people on the waiting list may I know as to why telephones are being exported,

Shri I. K. Gujral : So far as our internal requirements are concerned, these are met on the basis of the funds provided in the Plan for this purpose. While speaking on the Budget, I have pointed out that the amount provided in the Budget for this Department is very small. If more funds are made available to us, more telephones can be provided to the people. In regard to exports, the manufacturing capacity of the III is enough and it is in the interest of the country if there is an increase in our exports from the foreign exchange point of view.

Shri George Fernandes : May I know whether the present requirements of the people can be met by increasing the present capacity of the Indian Telephone Industries or by setting up another telephone factory in the country ?

Shri I. K. Gujral : So far as capacity of the Indian Telephone Industries Ltd. is concerned, it is being utilised fully. In regard to setting up another factory, it may be pointed out that only 6¾ lakhs telephones have been provided against the total requirements of 60 lakhs telephones and the reason for not meeting this demand is that the funds which have been provided to us are very meagre. If the requisite amount of funds are made available to us, I may assure the House that the demand of the people will be fully met by us.

Shri Madhu Limaye : I have been writting to Ministers about the defect in my telephone. There is a bell but as soon as the receiver is picked up there is no call. May I know whether this is due to some defect in the instrument or due to some defect in the line or in the exchange itself ? Has be ever enquired into it ?

Shri Nath Pai : Tapping the lines also goes on ?

Shri Madhu Limaye : This is a different thing. It relates to the Ministry of Home Affairs. I am not asking about tapping the lines now. I wanted to know where the defect lies.

The Minister of Parliamentry Affairs and Communications (Dr. Ram Subhag Singh): A letter was received by me in this connection one month back and the matter was enquired into and he was then very much satisfied with it. Whatever he has now said is very surprising. Since then he is now pointing out that his telephone is not working, But if still there is any defect in it, efforts will be made to rectify the same.

Shri Madhu Limaye : Whatever I have said about my telephone it was only a background. The question is whether there is defect in the machine or the line is defective or there is something wrong with the telephone exchange.

Shri I. K. Gujral : There is no question of any defect Actually the number of telephones which have been provided is very small in comparison to the demand with the result that the load of calls from a telephone is beyond the capacity of the exchange and this results in confusion. He will excuse me, if I give an example. If 6 motors are put on a 16 feet wide road meant for only two motors, this will only result confusion.

Shri Maharaj Singh Bharati : The hon. Minister has just stated that they can meet the demand of the country in regard to the telephone connections and there is good

return from this Industry also. May I know the reasons as to why efforts are not made by him to get more funds when they are in the position to get them without allowing any discussion on the demands for grants ?

Shri I. K. Gujral : The hon. Member has rightly pointed out that we are in a position to manufacture all material etc. required for this purpose and there is demand of the people also. It is also correct that the return from this industry is more than from any other industry. But the difficulty is this that when a plan is formulated a specific provision is made by the Parliament that so much amount is allotted for this item and we have to manage within that limit It that amount is increased, I can assure the House that all the requirements of the country will be much so far as telephone connection are concerned.

श्री क० लकप्पा : क्या सरकार ने इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड में बन रहे खराब टेलीफोनों के उत्पादन के बारे में जांच कराने के लिये कोई समिति नियुक्त की है और यदि हां, तो समिति ने इस मामले की जांच क्यों नहीं की और यदि समिति नियुक्त नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री इ० कु० गुजराल : मैं नहीं जानता माननीय सदस्य किस मतलब के लिये समिति नियुक्त कराना चाहते हैं।

श्री क० लकप्पा : इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा जो सामान बनाया जाता है वह खराब है। क्या सरकार इस मामले की जांच कराने के लिये कोई समिति नियुक्त कर रही है ?

श्री इ० कु० गुजराल : माननीय सदस्य द्वारा लगाये गये उक्त आरोप का मैं खण्डन करता हूँ इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज मानक सामान सप्लाई कर रहा है और यही नहीं किन्तु हमारे निर्यात में भी वृद्धि हो रही है। हम दूरसंचार के मामले में प्रत्येक विदेशी मंडी मे विकसित देशों का सफलतापूर्वक मुकाबला कर रहे हैं।

श्री मं० रं० कृष्ण : उन देशों के नाम क्या है जो भारत में बने टेलीफोन खरीद रहे हैं ? क्या उन देशों से, जिन्होंने पहले हमारे से टेलीफोन खरीदे हैं, प्राप्त हुए सुझावों के आधार पर टेलीफोनों में कोई रूपभेद किया गया है ?

श्री इ० कु० गुजराल : ऐसे देशों की तो एक लम्बी सूची है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उन्हें एक सूची दे सकता हूँ। हाल ही में हमने कुवैत और अन्य मध्य पूर्व देशों को टेलीफोन दिये हैं। अब हम मलेशिया में भी प्रयत्न कर रहे हैं और हम इराक में भी टेंडर भरने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह एक लम्बी सूची है और यह इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के वार्षिक उत्पादन में दी जा चुकी है जो मैंने सभा पटल पर रखा है।

जहां तक उपकरण में रूपभेद करने की बात का सम्बन्ध है, ऐसे कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके विपरीत यहां पर किये गये अनुसन्धान के आधार पर हमने जिस नये उपकरण का विकास किया है, उसकी ओर ध्यान दिया जा रहा है और विदेशों में इस के बारे में एकत्व प्राप्त किया जा रहा है।

श्री सु० कु० तापड़िया : टेलीफोन का महत्व तो इस बात में है कि उसमें से हम दूरस्थ तथा निकट स्थानों से क्या सुनते हैं न कि उसकी दिखावट और उसकी सुन्दरता में। टेलीफोन के एक माडल को "प्रियदर्शनी" के नाम से पुकारा गया है। क्या यह नाम प्रधान मंत्री के नाम पर रखा गया है ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री प्र० के० देव : मंत्री महोदय को इसका उत्तर देना चाहिये।

:श्री नाथ पाई : उन्हें उत्तर देना चाहिये, आप मुझ से इस बात में सहमत होंगे कि ऐसा व्यक्ति कोई भाग्यशाली ही होता होगा जिसे पहली बार ही नम्बर मिल जाये अथवा जिस की बातचीत में कोई अन्तर्बाधा न डाली जाती हो। लाइन की अधिक व्यवस्था, खराब उपकरण आदि के अलावा अन्तर्बाधा डालने में श्री चव्हाण के मंत्रालय का क्या योगदान है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : बिल्कुल कुछ भी नहीं है।

Shri Tulshidas Jadhav : It is not very difficult to do something to make the people working in the telephone exchanges to show some courtesy. It will be better if they are replaced by female employees. May I know whether any such arrangement are going to be done.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न केवल इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड में उत्पादन की लागत के बारे में है परन्तु हम ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं जिनका इससे कोई सम्बन्धी नहीं है। यदि हम अगला प्रश्न ले लें तो यह ज्यादा अच्छा होगा।

Banaras Hindu University

***1387. Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether the Commission constituted to enquire into the incidents which occurred in the Banaras Hindu University on the 3rd February, 1966 has submitted its report;

(b) if so, the main features thereof; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) एक सदस्य वाले जांच आयोग ने, जिसकी स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 फरवरी को की थी. इस बीच राज्य सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा प्रतिवेदन अभी जारी किया जाना है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Sidheshwar Prasad : The Banaras Hindu University is a Central University and this University has suffered considerable damage as a result of riots took place in the month of February, 1966. Inspite of this, no enquiry has so far been made into those

incidents. No effort has been made to find out as to what is in the Report of the Enquiry Commission. May I know the reasons for this negligence on the part of the Government.

डा० त्रिगुण सेन : उत्तर प्रदेश सरकार से सूचना मिली है कि आयोग का प्रतिवेदन उन्हें प्राप्त हो गया है। किन्तु उन्होंने बताया है कि उसे पहले राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा। अत: ऐसी स्थिति में यह जानकारी प्राप्त करना सम्भव नहीं है कि प्रतिवेदन में क्या दिया हुआ है।

Shri Sidheshwar Prasad : It is not a fact that the situation there is going on worsening day by day due to serious differences within the management and their divergent views have no good effect on the students ? It is also not a fact that this state of affairs neither the vice-chancellor Could be requistated and nor any other arrangement could be made and if it is so, why the Government of India do not take the necessary steps in this regard ?

डा० त्रिगुण सेन : माननीय सदस्य ने बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय के बारे में जो कुछ कहा है वह सही है। मैं वहां काफी समय रहा हूँ और मैं यहां केवल 4 महीने ही पहले आया हूँ। मेरे ध्यान में आता है कि हमने इस मामले में विधि मंत्रालय की राय ली है। उन्होंने भी हमें यही सलाह दी है कि जब तक वे इसे जारी नहीं कर देते तब तक हम उन पर दबाव नहीं डाल सकते कि वे प्रतिवेदन हमें दे दें। इसे जारी करने से पूर्व वे इस पर विधान सभा में चर्चा करना चाहते हैं। हम इसके बारे में तभी जान सकेंगे।

Dr. Ram Manohar Lohia : Is it not a fact that the riots took place after the name of the University ? Is it also not a fact that the inscription on the foundation stone which was laid by Pandit Madan Mohan Malaviya, reads thus : "Banaras Hindu University in English and only Kashi Vishwavidyalaya in Devanagari script ? There is no 'Hindu' word there At the same time, is it not a fact that the certificates issued by this University always bear only Kashi Vishwavidyalaya ?

Shri A. B. Vajapayee : How does this question arise out of the main question ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने प्रश्न पूछा है और उसका उत्तर दे दिया गया है। आपने केवल उसका सत्यापन करना है।

डा० त्रिगुण सेन : जो कुछ उन्होंने कहा है वह सही है।

संस्कृत के संगठनों को सहायता

*1389. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री ना० स्व० शर्मा :
श्री श्रीगोपाल साबू :
श्री शारदानन्द :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री यज्ञ दत्त शर्मा :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संस्कृत के स्वयंसेवी संगठनों तथा संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने के लिये उनसे आवेदन पत्र मांगे है; और

(ख) यदि हां, तो कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और सरकार द्वारा उन्हें कुल कितनी सहायता दी गई है तथा संस्कृत को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिये वर्ष 1965-66 तथा 1966 67 में और क्या कार्यवाही की गई है ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) 240 and 260 applications were received during 1965–66 and 1966-67 respectively. Rs. 7.77 lakhs and Rs. 8.07 lakhs were sanctioned to voluntary Sanskrit organisations/institutions (including Sanskrit Gurukulas) during 1965-66 and 1966-67, respectively.

Besides, Rs. 15.19 lakhs and Rs. 15.47 lakhs were spent during 1965-66 and 1966-67 respectively, as grants to individuals, institutions and State Governments under other schemes of the Ministry for development of Sanskrit.

Shri A. B. Vajpayee : It is quite clear from the reply of the hon. Minister that the financial assistance given by the Government was not adequate. I want to know the amount of assistance asked for by the organisations which applied for it and the percentage of their demands met by the Central Government.

Shri Sher Singh : I do not have the detailed information at present, moreover, it is very difficult to give a detailed account of the assistance asked for by each organisationed institution and the percentage of their demands met in each case. I have already stated in my answer the amounts we have spent on these organisations during 1965-66 and 1966-67 we propose to spend Rs. 35.22 lakhs during 1967-68.

Shri A. B. Vajpayee : The question is this : how much financial assistance was asked for by these organisations; and to what extent their demand was met by the Government. If the requisite figures in this respect are now not available with the hon. Minister, he can assure the House that he will place the requisite information on the Table as and when the same is available or collected.

Shri Sher Singh : This information will be placed on the Table of the House.

Shri Sharda Nand : I want to know the number of applications received from organisations in Uttar Pradesh for grants for development of Sanskrit.

Shri Sher Singh : We do not sanction grants State-wise. Efforts are made to give grants to almost all such organisations as apply for the same from various states. If the hon. member desibes to have the exact number of applications received from U. P. in particular, it can be supplied only after it is collected. But it requires notice.

Titles of Nizam of Hyderabad

*1390. **Shri Praksh Vir Shastri** : **Shri Raghuvir Singh Shastri**:
Shri Shiv Kumar Shasiri : **Shri M. R. Krishna** :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether Government have recognised the grandson of the late Nizam of Hyderabad as the Nizam's successor;

(b) if so, whether the pressent successor of the late Nizam has been entitled to suffix some titles also to his name;

(c) whether the present Nizam has been entitled to suffix some of those titles also to his name which were conferred on the late Nizam by the British Government; and

(d) if so, the extent to which this is consistent with the Constitution ?

The Home Minister (Shri Y. B. Chavan) : (a) Yes Sir.

(b) and (c) Under Article III of the Agreement dated the 25th January 1950 between the Governor General of India and the Nizam, he was entitled to the titles enjoyed immediately before 15th August 1947, and under Article IV, the Government of India guaranteed succession (according to law and custom) to the titles also.

(d) We are advised that this is not inconsistent with the Constitutions.

Shri Prakash Vir Shastri : To entitle an ex-ruler to suffic a title to his name which was conferred on him by the Government during the British regine is inconsistent with the dignity of an independent India. I want to know from the hon. Minister whether this Parliament or the constituent Assembly was given any understanding in respect of the agreement that the same would entitle the ex-rulers of India to use these titles even after twenty years of our independence and that the Government of India would recognise them.

Shri Vidya Charan Shukla : Since India became a Republic, all such titles were abolished and none was allowed to use them. But as an exception, the old rulers were granted this privilege in the convenent which entitles them to prefix or suffix such titles to their names as were conferred on them by the Britishers.

Shri Prakash Vir Shastri : May I know the obstacle which is in the way of abridging the privilege thus granted to the Nizam while a considerable act in the privy purse of the present Nizam has since been effected by the Government. The agreement referred to by the hon. Minister was entered into with the late Nizam and not with his successors. In that case, one fails to understand as to how the successors of the late Nizam are entitled to suffix those titles and how the Government of India recognise them as consistent with the constitution.

Shri Vidya Charan Shukla : This is a question of privilege. It is true that a cut has been effected in the privy purse of the successor of the Late Nizam. but his privileges have not been abridged under the agreement, the Government of India guaranteed succession to the titles also. So many questions raised in respect of the privileges are under consideration of the Government. If a decision is taken to curtail then, necessary action will certainly be taken for its implementation.

Shri Madhu Limaye : Sir, I raise a point of order.

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था के प्रश्न का कोई सवाल नहीं है हमने निश्चय किया है कि प्रश्न काल में व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठाया जायेगा ।

Shri Madhu Limaye : My point of order is this : In our country the Constitution is supreme. In accordance with the provisions of Article 18, we cannot continue the titles conferred on by the Britishers. In addition to this, it has been stated in Article is that all laws inforce before the commencement of the Constitution in so far as they are inconsistent with the provision of this part shall be void. In this article, the definition of law is such a wide one as covers convenents, customs and traditions as well. In this context, may I know whether it is not our duty to dishonour or rescind all such agreements or treaties as are inconsistent with the basic principles of our Constittiuon.

Mr. Speaker : I will do it.

Shri Madhu Limaye : When will you give your ruling ?

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

नागार्जुन सागर बांध परियोजना

\+

इ. सू. प्र. *35 श्री रंगा :
श्री गाडिलिंगन गौड :

क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कृष्णा नदी के डेल्टा में 75 प्रतिशत से अधिक भूमि में (लगभग 4 लाख एकड़) अभी तक अर्थात एक महीने का विलम्ब धान के पौधों की पौध नहीं लगाई गई है;

(ख) क्या यह सच है कि इतने विलम्ब के परिणामस्वरूप कीड़े लग जाने तथा हानिकर और तूफानी हवाएं चलनी आरम्भ हो जाने तथा पौधों के बढ़ने की अवधि कम हो जाने के कारण अन्ततोगत्वा धान की उपज लगभग 25 प्रतिशत कम हो जाती है;

(ग) क्या कृष्णा नदी की नहरों के द्वारा कृष्णा नदी के एनीकट में पानी की सप्लाई करने में विलम्ब होने का कारण यह है कि नागार्जुन सागर बांध में पानी की सतह ऊंची उठाने के लिये बांध में पानी रोकने के लिये आन्ध्र प्रदेश सरकार प्रयत्नशील थी, ताकि पानी की सतह इतनी ऊंची हो जाये कि सागर नहरों के उद्घाटन समारोह के अवसर पर तथा उसके बाद सागर नहरों के द्वारा पानी छोड़ा जा सके;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एनीकट में पानी जाने देने में हुए इस विलम्ब से एनीकट तक पानी की सप्लाई की स्थिति और भी खराब हो गई है क्योंकि इस वर्ष मानसून पवनें देर से आई हैं ओर निचले अपवाह (कैचमेंट) क्षेत्र में इस वर्ष वर्षा बहुत कम हुई; और

(ङ) क्या सागर में इस प्रकार पानी रोकने तथा इसके परिणामस्वरूप विजयवाड़ा एनिकट और डेल्टा क्षेत्रों को पानी की सप्लाई में विलम्ब होने देने के लिये भारत सरकार को अनुमति ले ली गई थी ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) कृष्णा डेल्टा में धान के पौधों की रोपायी ट्रान्सप्लान्टेशन में कुछ विलम्ब हुआ है । इस विलम्ब से, यदि स्थिति अनुकूल न रही तो, धान की फसल पर प्रभाव पड़ सकता है ।

(ख) से (घ) यह सच नहीं है कि उद्घाटन के अवसर पर पानी छोड़ने की सुविधा की व्यवस्था करने के उद्देश्य से नागार्जुन सागर पर पानी रोका जा रहा है, इस वर्ष दोनों ही

जगह, नदी के शीर्ष भू भाग में तथा कृष्णा डेल्टा में जहां कि अभी हाल ही में अर्थात् जुलाई के मध्य बारिस में होनी शुरू हुई है, बरसात काफी देर से आरम्भ हुई है, देर से बारिस होने के कारण पौधों की रोपायी में काफी देर हो गई है, नदी में पानी कम होने के बावजूद भी, व्यावहारिक रूप में जहां तक संभव हो सका है कृष्णा डेल्टा को नागार्जुनसागर में जमा किये पानी से पानी की सप्लाई की जाती रही है। 200 स्तर पर अस्थायी सुरंग की मुंहबन्दी के लिये यह जरूरी हो गया था कि नागार्जुन सागर बांध से कुछ दिन तक पानी की बाहर को सप्लाई न की जाये किन्तु इस अवधि के दौरान, कृष्णा बांध पर जमा किये गये पानी जितना दिया जा सकता था कृष्णा डेल्टा को उतना पानी दिया गया। कृष्णा बांध का पानी खत्म होने से पहले इस जलाशय से पानी की सप्लाई पुनः आरम्भ कर दी गई थी। इस डेल्टा के लिये जितना भी पानी उपलब्ध हो सकता है, उसकी सप्लाई करने के लिये सभी पग उठाये गये हैं।

जुलाई के मध्य से इस डेल्टा में भारी वर्षा हो रही है और नहरों में पूरा पानी बह रहा है। इस डेल्टा में इस समय पौधों की रोपायी भी जोर—शोर से हो रही है।

श्री रंगा : प्रत्येक वर्ष जून के अन्त तक इस कुल क्षेत्र के आधे भाग, उस डेल्टा में पांच लाख एकड़ भूमि में पौधों की पोध लगाई जाती थी जून के मध्य तक 75 प्रतिशत और इस महा के अन्त तक करीब करीब उस समूचे इलाके में पौधों के पौध आमतौर पर लगा ली जाती थी, क्या यह सच है कि इस वर्ष इस क्षेत्र के एक तिहाई भाग में पौध नहीं लगाई गई है और केवल पिछले सात-आठ दिनों में कुछ वारिस हुई है और कुछ पौध लगाई जा रही हैं ?

डा० कु० ल० राव : जुलाई 5 और 11 के बीच नागार्जुन सागर बांध से पानी बाहर नहीं आ रहा था, इन दिनों पानी बाहर नहीं आ रहा था। यह सच है कि इस समूचे डेल्टा क्षेत्र में पौध लगाने का उपयुक्त समय यही है। इस वर्ष, दुर्भाग्यवश, मानसून देर से आया है और नदी में पानी भी कम रहा है, जैसा कि मैने कहा हैं एक सप्ताह तक तो कुछ किया ही नहीं जा सका, लेकिन बाद में हालत सुधर गई और अब इस समूचे डेल्टा में पौध लगाई जा रही है।

श्री रंगा : क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि इस डेल्टा में कम से कम लाखों टन खाद्यानों की क्षति पहुचाने के बाद भविष्य में नागार्जुनसागर बांध में ये तथा कथित प्लानिंग (मुंहबन्दी) सम्बन्धी कार्यवाहियां नहीं की जायेगी और नागार्जुनसागर के ऊपर तथा निचले भाग में वारिस को ध्यान में रखते हुए पौधों की पौध लगाने के समय नागार्जुनसागर बांध से पानी की नियमित सप्लाई बनाये रखी जायेगी ?

डा० कु० ल० राव : मुंहबन्दी तो केवल एक बार की जाती है और इसे फिर से खोलने का कोई प्रश्न ही नहीं है, सुरंग कॉंक्रिट से बन्द किया गया है, इसे फिर से खोलने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। यदि माननीय सदस्य आश्वासन चाहते हैं, तो हम निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि इस डेल्टा को नागार्जुनसागर से काफी लाभ पहुंचेगा।

श्री गाडिलिंगन गौड : उस क्षेत्र से आने वाले राज्य-सभा के सदस्यों ने मुझे यह बताया है कि इस विलम्ब के परिणामस्वरूप लगभग 10 लाख एकड़ भूमि पर प्रभाव पड़ा है, क्या मन्त्री जी यह बता सकेंगे कि इस कारण वास्तव में कितनी क्षति हुई है ?

डा० कु० ल० राव : कितना क्षेत्र प्रभावित हुआ है, इसका कोई सवाल नहीं है क्योंकि मैने पहले ही निवेदन किया है कि नदी में बहुत कम पानी था और इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया जा सका ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् : मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि नदी में पानी कम था, इसके प्रारम्भिक कारण क्या हैं ? क्या केवल ठीक समय पर वारिस न होने के कारण ही ऐसा हुआ था अथवा इसका कारण यह था कि आन्ध्र प्रदेश की जानकारी या अनुमति के बिना 98 टी० एम० सी० से अधिक पानी कोयना जलाशय में डाल दिया गया है ?

डा० कु० ल० राव : मैं यह कहना चाहता था कि इसका मुख्य कारण असामयिक वर्षा तथा कम वारिस का होना लेकिन मैं अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता कि कोयना जलाशय के कारण इस पानी के बहाव में कमी हुई है और यदि इस जलाशय से वास्तव में प्रभाव पड़ा है तो कितना ।

श्री तिरूमल राव : क्या वर्षा के कम होने तथा अब भी पौध लगाने में विलम्ब को दृष्टि में रखते हुए सरकार यकीनन यह समझती है कि कृष्णा बेसिन के अन्तर्गत समूची आयकट में जो कि लगभग 12 लाख एकड़ भूमि है, अन्ततोगत्वा पौध लगाई जायेगी,—हो सकता है इस कार्य में थोड़ा सा विलम्ब जरूर हो जाये ?

डा० कु० ल० राव : वास्तव में पानी दोनों ही नहरों में है और पौध लगाने में कोई विलम्ब नहीं होगा, यदि सब ठीक-ठाक रहा, तो फसल भी अच्छी होगी ।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : देश की हालत आज बहुत खराब है और जरुरत इस बात की है कि एक एकड़ भूमि के लिये भी ठीक समय पर पानी की सप्लाई करने व्यवस्था की जाये । यह एक राष्ट्रीय फोरम (मंच) है जहां राज्यों के इस किस्म के सभी झगड़े अथवा विवाद नहीं लाये जाने चाहिए और केवल राष्ट्रीय महत्व की बातों पर ही विचार किया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ?

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : मैं तो व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहती थी, जहां तक प्रश्न का सम्बन्ध है, इस बारे में कोई विवाद नहीं है । कोयना परियोजना

अध्यक्ष महोदय : अब आप विवाद खड़ा कर रही हैं । श्री गिरिराज शरण सिंह ।

श्री गिरिराज शरण सिंह : क्या इस पानी को अब तक न छोड़ने का एकमात्र कारण यह है कि प्रधान मंत्री इसका उद्घाटन करने वाली हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

दिल्ली में छात्र-गृह

*1382. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में कोई छात्र-गृह खोला है;

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली में हजारों छात्र हैं जिनके पास उचित रिहायशी स्थान नहीं है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी नहीं ।

(ख) शिक्षा संस्थाओं, विशेषकर कालेजों से सम्बद्ध होस्टलों में रिहायशी स्थान की व्यवस्था होती है । शेष छात्र अपने अभिभावकों के साथ या शहर में रहते हैं ।

(ग) यह हो सकता है कि बहुत से छात्रों के पास उपयुक्त रिहायशी स्थान न हो । सरकार को उनकी संख्या के बारे में सही आंकड़े मालूम नहीं हैं ।

दिल्ली में चीनी के कोटे में कटौती

*1388 **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में चीनी के कोटे में कटौती किये जाने के परिणामस्वरूप 'एरेटेड वाटर' कारखानों में काम करने वाले लगभग 25,000 व्यक्तियों के बेरोजगार हो जाने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सेवानिवृत्त शिक्षकों को अधिछात्रवृत्ति

*1391. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री ओंकार सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेवानिवृत्त शिक्षकों को अधिछात्रवृत्तियां देने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है,

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है, और

(ग) इससे कितने सेवानिवृत्त शिक्षकों को लाभ होगा ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सेवा निवृत सुविशिष्ट शिक्षकों की सेवाओं से लाभ उठाने के लिए विश्वविद्यालयों तथा कालेजों की सहायतार्थ एक योजना पहले ही चला रहा है। यह योजना 1961-62-में चालू की गयी थी। कोई दूसरी योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) योजना के अन्तर्गत, उन सुविशिष्ट शिक्षकों की सेवाओं को काम में लाने के लिए विश्वविद्यालयों और कालेजों की मदद दी जा रही है, जिन्होंने वृद्धावस्था की औसत आयु पार कर ली है, परन्तु वे पढ़ाने और अनुसंधान को जारी रखने के लिए अन्यथा स्वथ्य हैं। 6,000 रुपए का वार्षिक मानदेय और 1,000 रुपए का वार्षिक अनुदान प्रत्येक अध्यापक को दिया जाता है। इसके अलावा वह सस्था, जहां शिक्षक काम करता है, उसको 4,000 रुपए वार्षिक तक की सहायता भी प्रदान कर सकती है। चुनाव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की समिति द्वारा किए जाते हैं।

यह सहायता शुरू में तीन वर्ष की अवधि के लिए सीमित होती है और एक बार में दो साल तक 68 वर्ष की आयु तक बढ़ाई जा सकती है और अपवाद रूप में यह सहायता 68 साल के आगे भी दी जा सकती है।

इन अध्यापकों से, अपने निजी अनुसंधान कार्य के अतिरिक्त प्रत्येक सप्ताह में कम से कम छः घण्टे तक शिक्षण तथा संगोष्ठी कार्य में भाग लेने की अपेक्षा की जाती है।

(ग) जब से यह योजना आरम्भ हुई है, 280 पारितोषिक दिए गए हैं। इस समय 173 सेवा निवृत्त शिक्षक योजना के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में शिक्षा

***1392 श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में दूसरे राज्यों की तुलना में पिछड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसे अन्य राज्यों के स्तर पर लाने के लिए केन्द्रीय सरकार कोई योजना बना रही है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा का सामान्यतया तथा लड़कियों की शिक्षा का सभी स्तरों पर विकास सभी राज्यों के औसत से काफी नीचे गिरा हुआ है।

(ख) जी, नहीं। शिक्षा मंत्रालय की केन्द्रीय तथा केन्द्र-प्रायोजित योजनाएं सभी राज्यों के लिए हैं और उनको लागू करते समय सभी पिछड़े राज्यों को तरजीह दी जाती है, जिनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

असैनिक अधिकारियों को राज्यपालों के रूप में नियुक्ति

*1393 **श्री समर गुह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन बुनियादी बातों के आधार पर असैनिक कर्मचारियों का सेवा निवृत्ति के उपरान्त राज्यों के राज्यपालों के रूप में चयन किया जाता है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : राज्यपाल के ऊंचे पद पर नियुक्ति करते समय प्रमुख रूप से सम्बन्धित व्यक्ति की उपयुक्तता को विचार में रखा जाता है।

इंजीनियरी के स्नातकों की बेरोजगार सम्बन्धी स्थिति का सर्वेक्षण

*1394 **श्री देवकी नंदन पाटोदिया** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने इंजीनियरी के स्नातकों तथा डिप्लोमाधारकों की रोजगार सम्बन्धी स्थिति के बारे में समूचे देश में व्यापक सर्वेक्षण करवाया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण कब पूरा हो जाने की सम्भावना है और यह सर्वेक्षण किस उद्देश्य से कराया गया था; और

(ग) क्या इंजीनियरी के स्नातकों तथा अन्य इंजीनियरों के लिये नियोजन के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिये सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त उपाय किये गए हैं ।

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) : इस तरह के सर्वेक्षण की एक योजना बनाई गई है और उसके प्रथम चरण के अधीन रूड़की विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है ।

रूड़की में हो रहे सर्वेक्षण के इस प्रथम चरण के फलस्वरूप, अखिल भारतीय सर्वेक्षण के लिए प्रश्नावली तैयार करने तथा उसमें परिवर्तन करने के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त होगी। अस्तु इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि उक्त अखिल भारतीय सर्वेक्षण के परिणाम कब तक उपलब्ध हों इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य इंजीनियरों की नियोजन स्थितियों का पता लगाना है। इस जानकारी की सहायता से इंजीनियरी की शिक्षा की योजना बनाने में सहायता प्राप्त होगी।

चौथी पंच वर्षीय योजना में शामिल की विभिन्न विकास आयोजनाओं द्वारा, आशा है बेरोजगारों को जिनमें इंजीनियर भी शामिल हैं, बढ़े हुए रोजगार अवसर मिलेंगे।

पश्चिम पाकिस्तान गये व्यक्तियों का वापस लौट आना

*1395. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-पाक संघर्ष छिड़ने के समय बाड़मेर क्षेत्र से कितने लोग पाकिस्तान चले गए थे;

(ख) कितने वापस आ गए हैं; और

(ग) क्या वापिस आने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 325 के अन्तर्गत कोई कार्यवाही की गई है अथवा भारतीय प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत की गई जांच में राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध कुछ आरोपों का पता चला है ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार भारत-पाक संघर्ष के दौरान बाड़मेर जिले के 14713 व्यक्ति स्वेच्छा से पाकिस्तान चले गए थे ।

(ख) 64.

(ग) 34 व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय प्रतिरक्षा नियमों में से नियम 25 (क) के अन्तर्गत मामले दर्ज किए गए हैं ।

पूर्व पाकिस्तान तथा बर्मा की ओर की भारतीय सीमाओं की नाकेबन्दी

***1396. श्री लोलाधर पटकी :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री श्रीगोपाल साबू :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान और बर्मा की ओर की भारतीय सीमा की नाकेबन्दी करने के लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि नागा तथा मिजो लोग इन देशों को न भाग निकल सकें; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) भारत की पूर्वी पाकिस्तान और बर्मा के साथ की सीमा पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है किन्तु कठिन भौगोलिक स्थिति और सीमा की लम्बाई जैसे कई तत्वों के कारण सारी सीमा की नाकेबन्दी करना सम्भव नहीं है ।

पुंछ-राजौरी क्षेत्र में पाकिस्तानियों की घुसपैठ

***1397. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :**
श्रीमती शारदा मुकर्जी :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम सिंह अयरवाल :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री शिवकुमार शास्त्री :
श्री आत्म दास :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री मरंडी :
श्री ओ० प्र० त्यागी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार-पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तानी अधिकारी लगभग 10,000 व्यक्तियों को युद्ध विराम रेखा के इस पार काश्मीर में दाखिल कराने के लिए पुंछ-राजौरी क्षेत्र में युद्ध-विराम रेखा की ओर धकेल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की बड़े पैमाने पर घुसपैठ को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) जम्मू तथा काश्मीर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में इस समय कितने घुसपैठिये हैं तथा उनको निकालने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (ग) सरकार ने उस समाचार को देखा है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने उन व्यक्तियों को युद्ध बंदी रेखा की ओर धकेल दिया है जिनमें से अधिकांश 1965 में पाकिस्तान-अधिकृत काश्मीर में चले गये थे। इस बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 4572 के 5 जुलाई, 1967 को दिये गये उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। ऐसी कोई बड़ी संख्या में लोग नहीं आये जैसा समाचार-पत्रों में कहा गया है।

जो घुसपैठिये अगस्त-सितम्बर 1965 में आये थे वे या तो मार डाले गये या पकड़ लिये गये थे अथवा खदेड़ दिये गये थे और जहां तक सरकार को पता है कोई घुसपैठिये बचे हुए नहीं हैं। पाकिस्तानी घुसपैठियों को घुसने देने से रोकने के लिये प्रत्येक सम्भव उपाय किया जाता है।

गैर-कांग्रेसी व्यक्तियों में से राज्यपालों की नियुक्ति

*1398 **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री धीरेन्द्रनाथ देव :
श्री म० माझी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों ने भारत सरकार से गैर-कांग्रेसी व्यक्तियों में से राज्यपालों की नियुक्ति करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Precautionary Measures to Prevent House Collapses in Delhi During Rainy Season

*1399. **Shri Y. S. Kushwah :**
Shri Atam Das :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Ram Avtar Sharma :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi Municipal Corporation have taken precautionary measures in respect of old houses in Delhi before the commencement of the rainy season;

(b) whether it is also a fact that with the commencement of rains, 6 old houses have collapsed so far in the Capital;

(c) if so, whether Government have ordered any action against the Officers concerned; and

(d) the number of persons killed and of those injured in house collapses?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Delhi Municipal Corporation have taken precautionary measures in respect of old houses in Delhi before the commencement of monsoon.

(b) Portions of six houses collapsed during the rains.

(c) This was not considered necessary by the Corporation as no negligence was found on the part of the staff,

(d) One girl aged 3 died; Nine persons sustained injuries.

पाकिस्तान के जासूसी जाल का मामला

*1400. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**
श्री हेम बरुआ :
श्री भृत्युंजय प्रसाद :
श्रीमती सुशीला रोहतगी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री रणधीर सिंह :
श्री प्र० कु० घोष :
डा० सुशीला नायर :
डा० रानेन सेन :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री राम चरण :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता के एडीशनल चीफ प्रेजीडेन्सी मैजिस्ट्रेट ने पाकिस्तान के जासूसी जाल के मामले में मोहित चौधरी तथा सुनिल दास सहित सब अभियुक्तों को रिहा कर दिया हैं क्योंकि केन्द्रीय जांच विभाग के डी० एस० पी०, श्री रमेश सिंह, जिन्होंने यह मामला दायर किया था, न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए थे;

(ख) क्या सरकार ने इस अधिकारी को ऐसा करने का आदेश दिया था ताकि मामला आगे न चलाया जाये;

(ग) क्या अभियुक्तों के विरुद्ध कोई अन्य मामला अथवा मामले चल रहे हैं; और

(घ) क्या उनके विरुद्ध जांच पूरी हो चुकी है और यदि नहीं, तो इसमें इतना अधिक समय क्यों लगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) (क) से (घ) : सभा-पटल पर एक विवरण रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1204/67]**

American ship "Oceanographer"

*1401 **Shri K. M. Madhukar :**
Shri Ramavatar Shastri :
Shri Chandra Shekhar Singh :

Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the discoveries made and the information collected by the American Ship "Oceanographer" in the Indian Ocean; and

(b) if so, the details of the benefits regarding training for which Government of India permitted the American Ship to move in the Indian Ocean ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) Not yet, Sir. The data will become available through the International Data Exchange Channels after the ship completes her voyage and completes the processing and analysis of the data.

(b) The small number of Indian Scientists who joined in the cruise were able to see and acquaint themselves with the various modern oceanographic equipment.

दिल्ली नगर निगम के स्कूल

*1402. **श्री बलराज मधोक :**
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम ने अपने सभी माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को, दिल्ली प्रशासन को, सौंपने का प्रस्ताव रखा है; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली नगर निगम के इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की समीक्षा समिति

*1403. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** । क्या शिक्षा मंत्री 5 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4556 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संस्था की समीक्षा समिति ने मुख्यालय में कई तकनीकी सेवा एकक खोलने के बारे में वैज्ञानिक और औद्योगिक परिषद् की प्रशंसा की है;

(ख) क्या इन एककों को सुदृढ़ करने की दृष्टि से वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की शासी निकाय ने उन्हें निदेशालयों में बदल दिया है;

(ग) यदि हां, तो नीति में इस परिवर्तन के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या यह सच है कि समीक्षा समिति की एक सिफारिश पर कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के मुख्यालय स्थित कर्मचारियों को तकनीकी एककों में लगाया जाना चाहिए, अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । चौथी पंचवर्षीय आयोजना की अग्रिम कार्यवाई के अंग स्वरूप ।

(ग) निदेशालय अभी चल रहे हैं । वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के शासी निकाय ने 19 नवम्बर, 1966 को हुई अपनी बैठक में निर्णय किया था कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की चौथा पंचवर्षीय आयोजना के प्रस्तावों की नए सिरे से सावधानी के साथ छानबीन करनी चाहिये और उन मदों को, जो देश की जरूरतों के लिए तत्काल संभव नहीं हैं, निकाल दिया जाए और यदि कोई पूर्व अथवा अग्रिम कार्रवाई शुरू की जा चुकी है, तो इसका भी उसी दृष्टि से पुनर्विलोकन करना चाहिए । शासी निकाय ने आगे निर्णय किया था कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष को इस कार्य में महानिदेशक की सहायता के लिए एक छोटी समिति नियुक्त करने का अधिकार दिया जाए ।

चौथी आयोजना समिति का यह विचार है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने शोधेतर कार्यकलापों में काफी वृद्धि की थी और सिफारिश की थी कि मुख्यालय की तकनीकी यूनिटों को, जिनका काम कुछ स्टाफ सम्बन्धी कृत्यों को करने और महा निदेशक के काम में उसे मदद देने का है, अलग अस्तित्व नहीं रखना चाहिये जैसी कि वे इस समय हैं और अपनी निजी कार्यकारी परिषदें तथा अधिकार रखती हैं, जैसे वे प्रयोगशालाओं के समान हों और उनका इस रूप में स्थापित होना उन कार्यों के साथ असंगत था जिन्हें इन यूनिटों से कराने की आशा की जाती थी ।यह रिपोर्ट 15 जुलाई, 1967 को हुई शासी निकाय की बैठक के सम्मुख पेश की गई थी । समिति की सिफारिशों पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

(घ) जी, नहीं । तकनीकी सेवा यूनिटों के साथ जरूरी पोषक प्रशासनीय कर्मचारियों की व्यवस्था कर दी गई है ।

चण्डीगढ़ और भाखड़ा के बारे में बातचीत

*1404. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चन्डीगढ़ तथा भाखड़ा-नंगल परियोजना के भविष्य के बारे में बातचीत करने के लिये पंजाब और हरियाना के मुख्य-मन्त्रियों को आमन्त्रित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों मुख्य-मंत्रियों को सरकारी निमन्त्रण पत्र भेज दिये गये हैं; और

(ग) प्रस्तावित बातचीत के कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) अभी तक नहीं, किन्तु दोनों मुख्य मंत्रियों को शीघ्र ही बातचीत के लिये आमन्त्रित करने का विचार है ।

गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए सुविधायें

***1405. श्री शिवचन्द्र झा** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र में श्रमिकों को जो सुविधाएं प्राप्त होती हैं, वे गैर-सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को प्राप्त नहीं होती हैं;

(ख) यदि हां तो वे सुविधाएं क्या हैं और इस भेदभाव के कारण क्या हैं; और

(ग) चौथी योजना में सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र के कृषि और अन्य उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों के प्रति सरकार की क्या नीति रहेगी ।

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) इस प्रकार का सामान्यीकरण करना सही नहीं होगा ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की नीति चौथी पंच वर्षीय योजना के मसविदे की रूप रेखा में श्रमनीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी अध्याय 12 में बिस्तार से दी गई है ।

Office of Journal "Annals of Bio Chemistry and Experimental Medicine

***1406 Dr. Ram Manohar Lohia :**
Shri Rabi Ray:

Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the office of a journal entitled "Annals of Bio-Chemistry and Experimantal Medicine", which was being published from Calcutta since 1941 and which was of late being brought out as a monthly, has been shifted to Delhi and after changing the name of the journal, it has been converted into a quarterly;

(b) whether it is also a fact that when the said journal was being published from Calutta, its circulation was large and that foreign papars and periodicals worth thousands of rupees were received in its exchange;

(c) whether its circulation has now declined considerably;

(d) whether any assurance was given at the time of shifting the office of the journal to Delhi and if so, how this has been fulfilled; and

(e) whether Government have any proposal under consideration to shift the office of the journal back to Calcutta and restore it to its old management ?

The Minister of Educatioa (Dr. Triguna Sen) : (a) Yes, Sir. The jonrnal is being published as a quarterly under the title-"Indian Journal of Biochemistry."

(b) and (c) The number of subscribers to the new Journal and the foreign periodicals received in exchange for the journal have not declined but have increased,

(d) Though an assurance was given to publish the Journal under its original title at the time of its transfer, the title of the Journal was changed in deference to the wishes of bio-chemists in the country and with the approval of the Governing Body of the C. S. I. R.

(e) No, Sir.

अन्तरिक्ष उपग्रह संचार केन्द्र

*1407. श्री म० ला० सोंधी :
श्री टी० पी० शाह :
श्री ओ० प्र० त्यागी :
श्री वेणीशंकर शर्मा :
श्री बृज भूषण लाल :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1968 में हिन्द महासागर के ऊपर छोड़े जाने वाले अन्तरिक्ष उपग्रह से संचार सम्बन्ध स्थापित करने के हेतु सरकार ने पूना के निकट एक भू केन्द्र स्थापित करने के लिये 3 करोड़ रुपये के उपकरणों का आयात करने का निर्णय किया है;

(ख) सरकार इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा कर लेगी;

(ग) प्रस्तावित उपग्रह से किन किन देशों को लाभ होगा; और

(घ) प्रस्तावित उपग्रह के चालू हो जाने पर वर्तमान बिदेश संचार प्रणाली को कहां तक लाभ होगा ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) भूमि स्थिति केन्द्र के लिये उपस्कर के आयात का प्रश्न अभी विचाराधीन है;

(ख) भूमि स्थित केन्द्र 1968 के अन्त तक स्थापित कर देने का प्रस्ताव हैं ।

(ग) इस समय संकेत ये हैं कि प्रावधिक रूप से सन्नद्ध होते हीं भारत समेत कोई बीस देश 'हिन्द महासागर उपग्रह' से काम लेंगे । इन देशों के नाम ये हैं :–ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, स्पेन, नाइजीरिया, पूर्वी अफ्रीका, जाम्बिया, बहरीन, कुवैत, लेबनान. हांग कांग, लंका, थाइलैण्ड, इन्डोनेशिया, जापान, मलेशिया, पाकिस्तान, फिलिप्पीन, आस्ट्रेलिया ।

(घ) जो देश उपग्रह-कार्यप्रणाली को नहीं अपना पायेंगे उनसे संसार के लिये विद्यमान प्रणाली ही जारी रहेगी तथा जो उपस्कर फालतू हो जायेंगे उन्हें देश के भीतर की अन्य आवश्यकताओं के लिये उपलब्ध कर दिया जायेगा ।

राष्ट्रीय अनुसन्धान प्रयोगशालाएं

*1408. श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री रमानी :
श्री नायनार :
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री ना० रा० पाटिल :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अधीन चल रहा राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाएं अधिक स्वायत्तता की मांग कर रही हैं;

(ख) वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्ताओं में व्याप्त असन्तोष को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) डा० रामास्वामी मुदालियार समिति की सिफारिशें क्या थीं; और

(घ) ये प्रयोगशालाएं परिषद की सामान्य नीतियों के अनुसार लगभग स्वायत-शासी रूप में काम कर सकें, इसके लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं। संस्थानों के कुछ निदेशकों ने अगले निदेशक-सम्मेलन में विचार करने के हेतु अधिक स्वायत्तता के लिए प्रस्ताव भेजे हैं।

(ख) सरकार 4 मार्च, 1958 के वैज्ञानिक नीति संकल्प में बताई गई कार्यवाइयों के अनुसरण के लिए वचनबद्ध है।

(ग) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद सम्बन्धी रामास्वामी मुदालियार समिति की सिफारिशें रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित की गई हैं जिसकी एक प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(घ) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की शासी निकाय के काम और अधिकार राष्ट्रीय प्रयोगशाला/संस्थानों को पर्याप्त रूप से प्रत्यायोजित कर दिए हैं ताकि वे नियत बजट व्यवस्था के भीतर प्रयोगशालाओं के कार्यों का प्रबन्ध कर सके। इसके अलावा राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशकों।प्रमुखों को वित्तीय तथा प्रशासनीय अधिकार दे दिए गए हैं। जहां तक अनुसन्धान का सम्बन्ध है, उनके चालू करने का पूरा मौका है।

Lavel of Education in M. P.

*1409 **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Madhya Pradesh is the most backward State in the field of education in comparison to other States :

(b) if so, whether Government are preparing any scheme to bring this State at par with other States;

(c) if so, the details thereof; and

(d) if not, the steps Government propose to take in this direction ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) The Percentage of enrolment in the age-group 6-10, 11-13 & 14-16 by the end of the Third Plan in Madhya Pradesh was approximately 54, 23 and II as against the II-India precentages of about 79, 32 and 18 respectively. According to the 1961 Census while the literacy precentage for the country was 23.7, the figure for Madhya Pradesh was only 16.9 Madhya Pradesh is obviously one of the educationally hackward States in the country.

(b) No. Sir, no special scheme to assist the Madhya Pradesh Government is under preparation.

(c) and (d) Do not arise:

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति

1410. श्री श्रीचंद गोयल :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री भारत सिंह चौहान :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने यह मत व्यक्त किया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय योग्यता को छोड़कर अन्य बातों को ध्यान में रखा जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या विधि आयोग ने यह भी सिफारिश की थी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियां मुख्य रूप से वकीलों में से की जानी चाहिये और यदि हां, तो उपरोक्त सिफारिश को कार्य रूप देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवंत राव चव्हाण) : जी, हां ।

(ख) सरकार विधि आयोग के इस मत से सहमत नहीं है और किसी भी क्षेत्र में किसी के ऐसा महसूस करने का कोई कारण नहीं है कि ये नियुक्तियां अन्य बातों के प्रभाव के कारण की गई हैं ।

(ग) सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है । उच्च न्यायालय में नियुक्तियां केवल योग्यता का विचार करते हुऐ की जाती हैं ।

आयोग तथा समितियां

6673. श्री अटल बिहारी बाजपेयी :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में सरकार ने कितने आयोग/समितियां स्थापित कीं;

(ख) ऐसे आयोगों/समितियों की संख्या कितनी है जिनकी सिफारिशें सरकार ने स्वीकार नहीं की; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय (राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

गुजरात में टेलीफोन केन्द्र

6674. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में डाक व तार विभाग ने गुजरात सर्किल में कितने स्वचालित टेलीफोन केन्द्र खोलने का विचार है;

(ख) क्या गुजरात राज्य बनने के बाद इस राज्य में कितने स्वचालित टेलीफोन केन्द्र खोले गये; और

(ग) उनके द्वारा कितने टेलीफोनों का नियंत्रण किया जाता है और नये केन्द्रों के द्वारा कितने टेलीफोनों पर नियंत्रण किया जायेगा।

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 92

(ख) 74

(ग) क्रमश: 7278 तथा 7000।

गुजरात राज्य संग्रहालय बड़ौदा को अनुदान

6675. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार ने तृतीय योजना अवधि में गुजरात राज्य संग्रहालय. बड़ौदा को अनुदान के रूप में कोई सहायता दी है;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य संग्रहालय को इसके अग्रेतर विकास के लिये अनुदान देने का है। यदि हां. तो कितनी राशि का; और

(ग) गुजरात राज्य संग्रहालय के अग्रेतर विकास के लिये मिली योजना का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जैसे ही चौथी योजना के अधीन अन्तिम नियतन उपलब्ध होगा गुजरात राज्य संग्रहालय के अग्रेतर विकास सम्बन्धी अनुरोध पर उचित ध्यान दिया जायेगा।

(ग) योजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है :

(एक) विद्यमान भवनों का लघु विस्तार तथा विशेष मरम्मत	5,50,000 रुपये
(दो) उपकरण	1,72,000 ,,
(तीन) प्रयोगशाला	85,000 ,,
(चार) प्रकाशन	40,000 ,,
(पांच) पुस्तकालय	20,000 ,,
	8,67,000 रुपये

गुजरात में नये जूनियर तकनीकी स्कूल

6676. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967-68 में गुजरात में कोई जूनियर तकनीकी स्कूल खोलने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Financial Assistance to M. P.

6677. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether the Government of Madhya Pradesh have received any financial assistance from 1950 to 1967 from the Central Government for compilation and publi cation of District Gazetteers;

(b) if so, the amount thereof;

(c) whether the Gazetteer of East Nimar district has been compiled;

(d) if not, the reasonst herefor; and

(e) the amount of expenditure on its compilation and printing which was to be met from the amount of financial assistance ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Prof. Sher Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Rs. 35,400 00

(c) Yes, Sir.

(d) Does not arise.

(e) Rs. 14,000 were given as grant-in-aid for compilation of East Nimar District Gazetteer during 1966-67. 40% of the expenditure incurred by the State Government on its printing will be paid as Central subsidy to the Government of Madhya Pradesh when the Volume is published.

दण्डकारण्य क्षेत्र में बसाये गये शरणार्थी

6679. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दण्डकारण्डय क्षेत्रों में अब तक कितने शरणार्थी बसाये जा चुके हैं;

(ख) कितने शरणार्थी इन क्षेत्रों से लौट आये हैं और उन्होंने वहां बसने से इन्कार कर दिया है तथा उसके क्या कारण हैं;

(ग) दण्डकारण्य क्षेत्र में कितने एकड़ भूमि पर खेती की गई है;

(घ) इस क्षेत्र में आयातित तथा अन्यथा निर्मित मशीनरी के लिये कितनी पूंजी लगाई गई है;

(ङ) आजकल कितनी तथा कितने मूल्य की मशीनरी अप्रयुक्त पड़ी है;

(च) वास्तव में कृषि योग्य बनाया गया क्षेत्र वर्ष प्रतिवर्ष किन कारणों से कम होता जा रहा है; और

(छ) अधिक भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) मई, 1967 के अन्त तक 13,928 परिवार जिन्हें आवास स्थानों पर ले जाया गया था, उनमें से 10,392 परिवार दण्डकारण्य परियोजना क्षेत्र के ग्राम स्थानों तथा अन्य आवास स्थानों में बसा दिये गये हैं।

(ख) 1960 के वर्ष से 31 मई, 1967 तक 3,536 परिवार दण्डकारण्य के गांवों को छोड़ गये। जो परिवार गांवों को छोड़कर चले गये हैं, उनके छोड़ने के मुख्य कारण निम्न बताए गये हैं:-

(1) कुछ परिवार इस कारण छोड़कर चले गये ताकि वे उनके परिवारों के कुछ सदस्य जो पहले ही अन्य स्थानों में बसे हुए हैं, उनके साथ रह सकें।

(2) कुछ क्षेत्रों में, अनचाहे तत्वों ने परिवारों को अन्य स्थानों में उत्तम पुनर्वास की आशाएं दिलाई जिससे कुछ परिवार उनके मिथ्या प्रचार में फंस गये।

(3) 1964 के वर्ष में मानसून अनियत थीं और विशेषकर उमरकोट खण्ड में 1965 में मानसून देर से आरम्भ हुई और बहुत कम थी। फसलों को हानि हुई। कुछ परिवार जिन्हें कम उपज हुई, गांवों को छोड़कर चले गये।

(4) बहुत से परिवार 1964 में इस इच्छा से चले गये कि वे अपने आपको नये प्रव्रजक पंजीकृत करवाकर नकद बेकारी अनुदान पा सकें।

(ग) 54,065 एकड़ भूमि खेती के अधीन है।

(घ) और (ङ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(च) 1958-59 के कार्य-वर्ष में 2000 एकड़ क्षेत्र खेती के योग्य बनाया गया था जिसकी संख्या आगामी 1961-62 के कार्य वर्ष में 34,259 एकड़ तक पहुँच गई थी। उसके उपरान्त आगामी वर्षों में खेती योग्य बनाये जाने वाले क्षेत्र में कुछ कमी आई है।

किसी वर्ष में भी खेती योग्य बनाया जाने वाला क्षेत्र केवल उद्धार खण्डों की क्षमता पर ही निर्भर नहीं करता किंतु उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश की सरकारों द्वारा उद्धार के लिये दी गई भूमि पर निर्भर नहीं करता है। कार्यवर्ष 1961-62 के बाद कमी का मुख्य कारण यही है जिसका बाद में उल्लेख किया गया है।

(छ) आवास खण्ड जो पहले ही खोले गये हैं, उनमें प्राप्त क्षेत्र को खेती योग्य बना दिया गया है या बनाया जा रहा है। दण्डकारण्य विकास प्राधिकार तथा भारत सरकार ने नये

दो क्षेत्रों में भूमि देने के लिये प्रार्थना की है । एक क्षेत्र में सर्वेक्षण हो रहा है । जहां तक दूसरे क्षेत्र का सम्बन्ध है राज्य सरकार को भूमि देने की इच्छा नहीं है किन्तु राज्य सरकार से भूमि प्राप्त करने के लिये प्रयास जारी है ।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास

6680. श्री बाबूराव पटेल : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की स्थापना से लेकर अब तक उसके द्वारा कितनी पुस्तकें, भाषावार, प्रकाशित की गई;

(ख) इन पुस्तकों को प्रकाशित करने में कितना खर्च आया;

(ग) इन पुस्तकों की बिक्री से कितनी आय हुई, तथा कितनी पुस्तकें बिकीं;

(घ) गोदाम में कितनी पुस्तकें बिना बिकी पड़ी हैं;

(ङ) उनके न बिकने का क्या कारण है;

(च) प्रकाशन के लिये पुस्तकों को किस आधार पर चुना जाता है;

(छ) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अध्यक्ष, श्री बी० वी० केसकर को, अब तक वेतन तथा उपलब्धियों के रूप में कितनी राशि दी गई;

(ज) उसमें कितने कर्मचारी है और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा उनके वेतनों पर प्रति वर्ष कितना धन खर्च किया जाता है; और

(झ) वर्ष 1967-68 में किन-किन पुस्तकों का प्रकाशन करने का विचार है और उनके प्रकाशन पर कितना खर्च हो जायेगा; और

(अ) क्या ये पुस्तकें विदेशों में बिकती हैं; और उससे कितनी विदेशी मुद्रा कमाई जाती है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने 10 पुनः मुद्रित पुस्तकों सहित 173 पुस्तकें प्रकाशित की हैं:-

हिन्दी	40	उड़िया	7
अंग्रेजी	31	पंजाबी	9
असमिया	5	संस्कृत	1
बंगला	10	तमिल	10
गुजराती	7	तेलुगु	8
कन्नड	13	उर्दू	7
मलयालम	9		
मराठी	16		

173

(ख) न्यास द्वारा 1965 से स्वतंत्र रूप से 52 पुस्तकें प्रकाशित की गई है, जिनकी लागत 2,93,622.98 रुपये है। बाकी पुस्तकें सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन प्रभाग द्वारा अपने स्वयं की निधियों में से प्रकाशित की गई थीं।

(ग) 1965 के बाद न्यास द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रकाशित पुस्तकों के लिए 31 मार्च, 1967 तक 69,202.05 रुपये वसूल किये गये थे।

(घ) 1965 के बाद न्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में से 1,32,000 पुस्तकें स्टाक में पड़ी हुई हैं।

(ङ) पुस्तकों को बाजार पकड़ने में कुछ समय लगता हैं। कुछ संस्करण केवल 2 से 3 वर्ष में बेचे गये हैं।

(च) पुस्तकों का चुनाव, प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर प्रमुख विद्वानों और साहित्यकारों के एक सलाहकार मण्डल द्वारा किया जाता है। आमतौर पर, न्यास ऐसी पुस्तकों के प्रकाशन का कार्य अपने हाथ में लेता है, जो उपयोगी समझी जाती है, किन्तु जिनमें निजी प्रकाशकों की रुचि नहीं होती है।

(छ) न्यास के अध्यक्ष को अब तक वेतन तथा परिश्रमिक के रूप में कुल 41,000 रुपये दिये गये है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के वर्तमान अध्यक्ष अवैतनिक रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्हें मुफ्त सज्जित मकान और न्यास के कार्य के लिए मुफ्त सवारी दी जाती है।

(ज) स्टाफ कर्मचारियों की संख्या 35 है और उनके वेतनों आदि पर लगभग 1,70,000 रुपये वार्षिक खर्च होता है।

(झ) 1967-68 की प्रकाशत की अनुसूची से संबंधित विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या। एल० टी० 1205/67**] इस स्तर पर पुस्तकों की लागत बताना सम्भव नहीं है; इसका हिसाब पाण्डुलिपियों की प्राप्ति के बाद ही लगाया जा सकता है।

(ञ) न्यास की स्थापना देश की पुस्तकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये की गई थी। फिर भी इन पुस्तकों में से कुछ की मांग विदेशों में भी है। इसलिये न्यास ने हाल ही में विदेशों में अपनी पुस्तकों की बिक्री के वितरकों की नियुक्ति की है। किन्तु इसके परिणाम निकालना अभी समय से पहले है।

दण्डकारण्य परियोजना में उद्योगों का स्थापित किया जाना

6681. श्री झा० सुन्दरलाल : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में मध्य प्रदेश में दण्डकारण्य परियोजना में कुछ उद्योग स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर दण्डकारण्य परियोजना क्षेत्र में जो औद्योगिक

योजनाएं चालू की जाएंगी उनमें, सीमेंट, पेपर तथा पल्प प्लांट, कताई मिल तथा हार्डबोर्ड, पार्टिकल बोर्ड, प्लाईवुड, आर० सी० सी० पाईप, स्टोनवेयर पाईप, एसबेस्टो शीट, शीशे के सामान तथा कृषि औजारों के कारखाने सम्मिलित हैं। पुनर्वास उद्योग निगम सहित विभिन्न एजेन्सियों द्वारा संभाव्य अध्ययन तथा परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के उद्देश्य से आगे सर्वेक्षणत तथा छान बीन की जा रही है। इस बीच में दण्यकारण्य परियोजना प्रशासन द्वारा कुछ लघु उद्योग खण्डों के सम्बन्ध में, जैसे लाईम बर्निंग, होजरी, छतरियों का निर्माण, छापाखाना तथा जिल्द साज़ी तथा खपरैल की योजनायें तैयार की गई हैं।

मकान गिरने के कारण दिल्ली में लोगों की मृत्यु

6682. **श्री भा० सुन्दरलाल :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(ख) वर्षा के कारण मकानों के गिरने के फलस्वरूप जुलाई, 1967 के महीने में अब तक दिल्ली में कितने व्यक्ति मारे गये; और

(ख) ऐसी घटनाओं को न होने देने के सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) एक।

(ख) दिल्ली नगर निगम द्वारा। मई, 1967 से खतरनाक तथा मरम्मत के योग्य मकानों का पता लगाने के लिये घर-घर जाकर सर्वेक्षण शुरू किया गया। अब तक 146965 मकानों का सर्वेक्षण किया गया है जिनमें से 293 के खतरनाक और 2563 के मरम्मत के काबिल होने का पता चला है। खतरनाक और मरम्मत के योग्य दोनों ही प्रकार के मकानों को नोटिस जारी किए गए और 204 मकानों के बारे में मकान गिराने की कार्यवाही की गई है। शेष खतरनाक मकानों के गिराने की कार्यवाही की गई है। शेष खतरनाक मकानों के गिराने की कार्यवाही नगर निगम द्वारा नोटिस में दी गई अवधि की समाप्ति के बाद की जाएगी। इसके अलावा नगर निगम ने एक अधीक्षक के अधीन दो लिपिकों वाला एक नियंत्रण कक्ष टाउन हाल में खोला है जो चौबिसों घंटे काम करता है। नगर निगम के इंजीनियरिंग तथा अन्य विभागों के तकनीकी कर्मचारी शिकायतों पर अविलम्ब कार्यवाही करने के लिए चौबिसों घंटे ड्यूटी पर रहते हैं। नगर निगम के सभी क्षेत्रों में ऐसे प्रबन्ध किए गये हैं।

कोटरवाई (हिमाचल प्रदेश) में टेलीफोन केन्द्र

6683. **श्री वीरभद्र सिंह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में महासू जिले के कोटरवाई नामक स्थान में टेलोफोन केन्द्र स्थापित करने का कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या बाधाएं आ रही हैं; और

(ग) यह टेलीफोन केन्द्र कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) इस टेलीफोन केन्द्र के चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अर्थात अधिक से अधिक 31 मार्च, 1968 तक लगा दिये जाने और चालू हो जाने की संभावना है ।

Savings Bank Accounts

6684. Shri Ramachandra Veerappa : Will the Minister of Communications be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the difficulties experienced by illiterate and semi-illiterate depositors of Post Office Savings Bank in getting their signature attested when their signaturess do not tally. while withdrawing the money;

(b) whether the attestation made by Mukhiyas and village elders such as Panch is accepted by the Posts and Telegraphs Department;

(c) whether the use of photograph attached to the Pass Book and attested by the Post Offices is considered sufficient for the purposes of withdrawal; and

(d) the other steps contemplated to encouage the illiterate persons to maintain their savings bank accounts in Post Offices ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes, Sir. The following provisions exist to obviate any difficulties experienced by illiterate and semi- literate depositors for attestation of their thumb impressions and signatures when they do not tally with the specimen signatures on record and for being identified properly:-

1. Attestation of signature by any person known to the Post Office.
2. Identification of the depositor and attestation of his signature by any person who knows him hand holds an account since more than a year at the same post office with a balance generally not less than Rs. 500/-
3. Attestation of the signature by any of the following:-
   - i) District Organisers of the National Savings Organisation.
   - (ii) Justices of Peace, Magistrates (including Honorary Magistrates) and Judges:
   - (iii) Members of Parliament or a Legislative Assembly/Council, Presidents of Municipalities, Local Bodies, Sarpanches of Panchayates.
   - (iv) Principals of Colleges and Heads of High Schools recommended by the Education Secretary or Director of Public Instructions.
4. A postal identity card or a Pass Port or any other identity card containing the depositors photograh and issued by proper authority.

(b) Yes. Sir, if they are known to the P. O.

(c) The proposal of attaching photographs to pass books has been considered more that once, but found unacceptable. The facility of keeping a photograph on record at Head Offices and bigger Sub Post Offices to be used as a means of Identification is likely to be made available shortly to those depositors who desire to avail of it.

(d) An illiterate depositor can operate his account through a literate agent nominated by him for this purpose.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियां

6885, श्री देवराव पाटिल : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1966-67 और 1967-68 में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने छात्र विदेशी छात्रवृत्तियों के लिये चुने गये; और

(ख) उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिये किन किन देशों में भेजा जायेगा ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेरसिंह) : (क) 1966-67 तथा 1967-68 की छात्रवृत्तियों के लिये 15 उम्मीदवार (10 अनुसूचित जातियों के और 5 अनुसूचित आदिम जातियों के) चुने गये ।

(ख) अमरीका तथा ब्रिटेन ।

शिक्षा संस्थाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों का दाखिला

6686. श्री देवराव पाटिल : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1964-65 के सम्बन्ध में देश में विभिन्न शिक्षा संस्थाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों के दाखिले के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्रित कर लिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) यह जानकारी एकत्र की जा रही है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Political Sufferers in Maharastra

6687. Shri D. S. Patil : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) the number of applications received upto June, 1967 for the allotment of land and financial assistance from the political sufferers in Maharashtra;

(b) the number of applicants allotted land;

(c) the number of applicants given financial assistance, the amount incurred thereon and amount given to the State of Maharashtra; and

(d) whether Government propose to give additional amount to the State Government so that they may lessen the difficulties of the political sufferers ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charn Shukla) : (a) and (b) According to informaton made available by the Government of Maharashtra in October, 1966, they had allotted 2486 acres and 42 gunthas of land to 282 political sufferers. The latest figures have been called for from that Government and will be laid on the table of the House as soon as received.

(c) and (d) The relief and rehabilitation of political sufferers is primarily the responsibility of the State Government. In individual cases of hardship, assistance in the form of lump sum cash grants is also given from the Home Minister's Discretionary Grant. Financial assistance to the extent of Rs 47,022.50 paise has been given from this Grant to 119 political sufferers of Maharasntra.

विदेशों में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थी

6688. श्री शिवचन्द्र झा : क्या शिक्षा मंत्री 28 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3874 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशों में इस समय पढ़ रहे कितने विद्यार्थी सरकार द्वारा भेजे गये हैं तथा कितने विद्यार्थी अपने खर्चे पर गये हैं।

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : जानकारी उपलब्ध नहीं है।

1965-66 में जो छात्र विदेशों में गये थे उनके बारे में आंकड़ों का परीक्षण के तौर पर विश्लेषण किया गया था और यह पता लगा है कि छात्रों के वित्तीय सहायता के साधन निम्न थे :-

साधन	कुल संख्या का प्रतिशत
सरकार द्वारा भेजे गये।	15.3
अपने खर्चे पर	31.0
अन्य स्रोत	53,7

ऐसा समझा जाता है कि देश से बाहर अध्ययन कर रहे सभी छात्रों का वितरण मुख्यतया यकसां है।

घरेलू नौकर

6689. श्री गा० शं० मिश्र :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किशोर व्यवस्था के घरेलू नौकरों की जिनमें से अधिकतर देहाती होते हैं दशा सुधारने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं;

(ख) क्या सरकार ने उनके कल्याण के लिये योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) घरेलू नौकरों को सांविधिक रक्षण देने तथा उनकी दशा को सुधारने के उपाय व साधन खोजने के प्रश्न पर राज्य सरकारों व केन्द्रीय सरकार ने विचार किया है। परन्तु इसके लिये कोई सांविधिक व्यवस्था करना संभव नहीं

हो सका। इसका कारण मुख्य रूप से यह हैं कि ऐसा कानून लागू करने में कठिनाई होगी और ऐसे कानून से बड़े पैमाने पर घरेलू नौकरों की छंटनी की संभावना है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि तथा आयुर्वेदिक छात्रों के लिये रोजगार

6690. श्री गा० शं० मिश्र :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि कालेजों तथा आयुर्वेदिक कालेजों से उत्तीर्ण होकर निकलने वाले छात्रों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार मिल रहा है;

(ख) उनमें से प्रति वर्ष औसतन कितने छात्र अपने नाम दर्ज करवाते हैं तथा उनमें से कितने छात्रों को तथा किस किस प्रकार के रोजगार मिलते हैं;

(ग) क्या रोजगार विभाग की इन युवक छात्रों को कृषि व्यवसाय अपनाने तथा सहकारी आन्दोलन में भाग लेने के लिये प्रोत्साहन देने की कोई नीति है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) इस तरह का कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ख) जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

रूस से वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों की पुस्तकें

6691. श्री गा० शं० मिश्र :
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों पर रूसी पुस्तकें देश में बहुत ही कम दामों पर बिक रही है;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि इन पुस्तकों में तकनीनी विषयों पर ऊंचे दर्जे की जानकारी उपलब्ध है और ये पुस्तकें विद्यार्थियों में संदर्भ-ग्रन्थों के रूप में बहुत लोक प्रिय हो गई है परन्तु इन पुस्तकों में प्रयुक्त नामों और संकेतों में अन्तर होने के कारण विद्यार्थियों को इनका अध्ययन करते हुए कठिनाई का सामना करना पड़ता है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस विषय में प्रकाशकों से बातचीत करने का है ताकि वे इन पुस्तकों में मानक नामों और संकेतों का प्रयोग करें।

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों पर रूसी पुस्तकें देश में तुलनात्मक रूप से सस्ती बिक रही है।

(ख) और (ग) इन पुस्तकों में संकेत, आम तौर पर मिट्रिक प्रणाली में प्रयुक्त किये गये हैं, जो भारत द्वारा भी अपना ली गई है। इस बात से भारत सरकार को जानकारी नहीं करायी गई है कि इन पुस्तकों में नामों की विभिन्नता के कारण, विद्यार्थियों को इनके अध्ययन में कठिनाई होती है। संयुक्त भारत सोवियत कार्यक्रम के अधीन पुनः प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में, भारत सरकार का अनुमोदन सूचित करते समय, भारत के विशेषज्ञों द्वारा ऐसी किसी विभिन्नता के बताये जाने पर, जिनकी सलाह पर कार्यक्रम के अधीन किसी विशेष पुस्तक को पुनः प्रकाशित करने का अनुमोदन किया जाता है; रूसी सरकार को तदनुसार सूचित कर दिया जाता है।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये खादी की वर्दियां

6692. श्री गा० शं० मिश्र : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और शिमला में केन्द्रीय सरकार के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को उनकी वर्दियों के लिये खादी दी जाती है;

(ख) क्या अन्य स्थानों तथा राज्यों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को उनकी वर्दियों के लिये मिल में बनी 'सर्जे' दी जाती है;

(ग) यदि हां, तो इस भेदभावपूर्ण व्यवहार के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इसका कारण यह है कि खादी के मूल्य मिल में बनी सर्ज से अधिक है ?

गृह कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (घ) सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की गर्मियों की वर्दी के लिये सूती खादी इस्तेमाल की जाती है, चाहे वे दिल्ली में काम करते हों या भारत में कहीं और। हां सारे देश की चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचारियों और बाहर के छोटे छोटे कार्यालयों के पुरुष कर्मचारियों के मामले में, जिनकी कपड़ों की आवश्यकताएं बहुत थोड़ी होती है और स्थानीय खरीद से पूरी की जा सकती हैं, आवश्यक सूती खादी के उपलब्ध न होने पर; मिल का बना हुआ कपड़ा इस्तेमाल किया जा सकता है। दिल्ली और शिमले में काम करने वाले तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (स्टाफ कार ड्राइवरों को छोड़कर) को ऊनी खादी से बनी हुई सर्दियों की वर्दियां दी जाती हैं क्योंकि इस समय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा तैयार की जाने वाली निर्धारित किस्म की ऊनी खादी केवल इन्हीं दो स्थानों के कर्मचारियों की आवश्यकता के लिए पर्याप्त होती है। इसलिये दिल्ली और शिमला के अलावा अन्य स्थानों पर काम करने वाले श्रेणी तीन और चार के कर्मचारियों को मिल बने हुए सर्ज की सर्दियों की वर्दियां दी जाती हैं। ऐसा उस समय तक किया जाएगा जब तक कि उनकी आवश्यकताओं के लिये ऊनी खादी उपलब्ध नहीं हो जाती। नीति यह है कि खादी के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाए चाहे वह मिल के कपड़े से मंहगी ही क्यों न हो।

Ancient Temples in M. P.

6694. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) the names of ancient temples and palaces in Madhya Pradesh taken over by the Archeological Department;

(b) whether the Sun temple of Madkhaira in District Tikamgarh and Palaces of Orcha have also been taken over by the Archaeological Department of India;

(c) if not, the reasons therefor;

(d) whether these have been repaired; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Minisiry of Education (Shri Sher Singh) : (a) An all-India list of centrally protected monuments/sites which is available with Parliament may please be referred to.

(b) No, Sir.

(c) (i) The question of the protection of the temple is being considered.

(ii) As the State Government agreed to protect the Palaces of Orchha including other monuments, the question of central protection of the Palace was dropped.

(d) No, Sir.

(e) **Sun Temple : :** The question of repairs can be considered only after it has been declared protected.

Palaces of Orchha : Since these are not under central protection the question of repairs is the concern of the State Government.

Swindling Cases in Delhi

6695. Shri K. M. Madhukar
Shri Ramavatar Shastri :
Shri Chandra Shekhar Singh :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether it is a fact that on average 29 incidents of swindling occur in Delhi every day :

(b) whether the Delhi Administration has not been successful in checking the increasing incidence of swindling;

(c) whether it is also a fact that such incidents increase in rainy season only; and

(d) if so, the steps taken by Government to check such incidents in this season ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (d) Only 86 cases of swindling were reported to the police in the Union Territory of Delhi during the period from 1.1.1967 to 15.7.67. as against 123 cases reported during the corresponding period of the preceding year. There has been a down-ward trend It cannot be said that such cases increase during the monsoon.

A special squad (Anti-cheating squad) is functioning under the supervision of the Superintendent of Police, Crime and Railways to deal with major swindling cases.

केन्द्रीय सरकार में प्रतिनियुक्तियों पर असैनिक कर्मचारी

6696. श्री म० ला० सोंधी :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री बृजभूषण लाल :
श्री ओ० प्र० त्यागी :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री भारत सिंह चौहान :

क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्य सरकारों के कितने असैनिक कर्मचारी केन्द्र में प्रतिनियुक्ति पर हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के अधीन इन अधिकारियों की नियुक्तियों का अनुमोदन करने वाली कोई चयन समिति है;

(ग) राज्यों के कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लेने की क्या कसौटी है; और

(घ) क्या दिल्ली प्रशासन में नियुक्ति के सम्बन्ध में पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश, जैसे पड़ौसी राज्यों को कोई वरीयता दी जाती है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायगी।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार के अधीन पदों को प्रत्येक पद के लिए बनाये गए भरती नियमो के अनुसार भरना होता है। तदनुसार, जहां कहीं सम्बन्धित भरती नियमों में किसी पद को राज्य सरकार के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाने की व्यवस्था होती है वहां नियुक्ति अधिकारी द्वारा, राज्य सरकारों के परामर्श से पद की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, चयन किया जाता है। केन्द्र में ऐसे अधिकारियों के चयन के लिए कोई स्थायी समिति नहीं है, और न चयन के लिए कोई एक समान आधार ही है। चयन का आधार प्रत्येक पद की आवश्यकताओं पर निर्भर होगा।

(घ) जी नहीं, श्रीमान।

University in Kumaon

6698. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a delegation of the residents of nainital met the Chairman of the University Grants Commission recently and demanded the setting up of a University in Kamaon;

(b) whether any proposal in this regard has also been received from the State Government; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Education (Dr. Trigun Sen) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) A proposal for setting up a University at Nainital was received by the University Grants Commission. The Commission has Made certain recommendation which are under consideration of the Government.

Accommodation for R. M. S. Employees, Patna

*6699. **Shri Ram Avtar Shastri :**
Shri K. M. Madhukar :
Shri Chandra Shekhar Singh :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the number of employees workiing in the R. M. S. Office, Patna;

(b) the number of those who have been allotted Government accommodation; and

(c) the time by which the remaining employees are expected to be allotted Government accommodation ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Guiral) : (a) 431

(b) 34

(c) The percentage of quarters allotted to R. M. S. staff is about 8, which is about the same as for other employees of the Department at Patna. The aim of the Department is to construct quarters to a maximum of 25% of total staff (including R. M. S. staff) at places like patna, subject to availability of sites and funds.

No time limit for the provsion of this target percentage can be laid as this depends on the availability of resources and land.

R. M. S. Employees, Patna

*6700, **Shri Ramavatar Shastri :**
Shri K. M. Madhukar :
Shri Chandra Shekhar Singh :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether the R. M. S. Employees Union, Patna have sent a memorandum in regard to their 8-point demands; and

(b) if so, the details of these demands and the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Such a memorandum was received on 27 6.1967.

(b) A list of the demands is placed on the Table of the Sabha. **[Placed in Library See No. LT-1218/67]** As the Memorandum was submitted by a local Branch Union, the local Officer will take necessary action under the existing rules. All the PMGs have been requested to look into the grievances. of the R. M. S. Employees. Similar memoranda have been sent by Branch, Divisional and Circle Unions to various P&T Authorities.

जयशंकर मिल्स, बारसी में भविष्य निधि की अदायगी

6701. **श्री जार्ज फरर्नेन्डीज :**
श्री जे० एच० पटेल :
श्री मधु लिमये :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(ख) क्या सरकार को इस बात का पता है कि जयशंकर मिल्स, बारसी, महाराष्ट्र के प्रबन्धकों ने भविष्य निधि के, कर्मचारियों के अंशदान तथा नियोजक के अंशदान दोनों को, भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा नहीं कराया है;

(ख) क्या उस मिल के प्रबन्धकों के विरुद्ध विश्वासघात करने और अथवा भविष्य निधि अधिनियम का उलंघन करने के कारण कोई दीवानी अथवा फौजदारी मुकदमा चलाया गया था और यदि हां, तो कब; और

(ग) जो लोग सेवा निवृत्त हो रहे हैं या अन्यथा अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं उन्हें भविष्य निधि की देय राशि देने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, वसूली कार्यवाही अप्रैल, 1965 में शुरू की गई और फौजदारी मुकदमे जुलाई, 1966 तथा अक्टूबर, 1966 में दायर किए गए। मैनेजमेंट ने वर्तमान देय राशि को नियमित रूप से और बकाया राशि को किश्तों द्वारा अदा करने का वायदा किया है। अतः राज्य सरकार ने फौजदारी मुकदमे वापस ले लिये हैं, परन्तु जो सम्पत्ति पहले कुर्क की जा चुकी है वह बकाया राशि अदा होने तक कुर्क के अधीन रहेगी।

(ग) जो लोग सेवा निवृत हो रहे हैं या अन्यथा अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं उनके सम्बन्ध में मिल ने वर्तमान अंशदानों तथा बकाया राशि की किश्तों के अलावा भविष्य निधि की जमा राशि अदा करने का वायदा किया है।

घोघरडीहा (बिहार) में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

6702. श्री शिवचन्द झा : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दरभंगा (बिहार) जिले में घोघरडीहा स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कितने प्रशिक्षु तथा अशिक्षु अध्यापक है;

(ख) इन प्रशिक्षुओं को अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद किस किस्म का रोजगार मिलता है;

(ग) क्या इस संस्थान को वहां से हटाकर किसी अन्य स्थान पर ले जाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) इस संस्थान में काम कब आरम्भ हुआ था ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था घोघरडीह, में 328 प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। इन प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए 26 अनुदेशकों को नियुक्त करने की स्वीकृति है।

(ख) प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उन्हें निजी और सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक संस्थापनों में कुशल दस्तकार के रूप में काम मिल जाता है।

(ग) बिहार सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

(ङ) सवाल पैदा नहीं होता।

(घ) इस संस्था को चालू करने की मंजूरी फरवरी 1962 में आरम्भ होने वाले सत्र से दी गई थी।

Practising of Untouchability by Gazetted Officers

6703. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the number of Gazetted Officers of the Central Government against whom action was taken for practising untouchability during the last five years; and

(b) whether any representation has been received in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : The requisite information has been called for from the various Ministries/Departments. According to the information so far received from 10 Ministries/Departments, the reply is as follows :—

(a) Nil.

(b) Two; the allegations made therein were, however, found to be incorrect.

The information regarding remaining Ministries/Departments will be laid on the Table of the House.

संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से न भरे गये पद

6704. **श्री राम चरण :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न मंत्रालयों में प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के ऐसे राजपत्रित पदों की संख्या कितनी है जिन्हें पिछले पांच वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से नहीं भरा गया;

(ख) उनमें से ऐसे पदों की संख्या कितनी हैं जिनकी स्वीकृति संघ लोक सेवा आयोग ने बाद में दे दी थी; और

(ग) 1967–68 में सरकार का विचार कितने पदों को संघ लोक सेवा आयोग से बाद में अनुमोदन कराने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

देश में उपद्रवों को भड़काने वाले पश्चिमी तत्व

6705. **डा० कर्णी सिंह :**
श्रीमती निर्लेप कौर :
श्री मनीभाई जे० पटेल :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ पश्चिमी तत्व पृथकत्व और धार्मिक प्रश्नों पर देश में विभिन्न राज्यों में उपद्रव भड़काने का प्रयत्न कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन तत्वों की गतिविधियों को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि कुछ पश्चिमी तत्व पृथकत्व और धार्मिक प्रश्नों पर विभिन्न राज्यों में उपद्रव भड़काने का प्रयत्न कर रहे हैं। किन्तु कुछ राज्यों में कुछ विदेशी धर्म प्रचारकों की अवांछनीय गतिविधियां ध्यान में आई हैं और उचित कार्यवाही की गई है।

Prohibition in Delhi

6706. Shri Kanwar Lal Gupta : Will the Mintster of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the consumption of liquor has increased considerably in Delhi in spite of Prohibition; and

(b) if so, the action being taken to check the increase in consumption ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

चौथी योजना में नई राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं

6707. श्री शारदानन्द :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री रणजीत सिंह :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नई राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिये चौथी योजना में कोई व्यवस्था की गई है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी प्रयोगशालाएं स्थापित की जायेंगी ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की चौथी पंचवर्षीय आयोजना के प्रस्तावों के लिए 153 करोड़ रुपये की मांगी गई रकम की जगह 46 करोड़ रुपये के विनिधान को देखते हुए, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के शासी निकाय ने यह निर्णय किया था कि इन प्रस्तावों को नये सिरे से ध्यानपूर्वक जांच करनी चाहिए और उन मदों को जिनका देश की आवश्यकताओं से तात्कालिक सम्बन्ध न हो छोड़ देना चाहिए और यदि कोई प्रत्याशित अथवा अग्रिम कार्यवाही शुरू भी कर दी गई हो, तो इसका भी पुनरीक्षण इसी बात को ध्यान में रख कर किया जाना चाहिए।

शासी निकाय के उपर्युक्त निर्णय के अनुसार, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के प्रस्तावों का पुनरीक्षण करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी। समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसमें सिफारिश की गई है कि विद्यमान प्रयोगशालाओं/संस्थानों के लिए चौथी आयोजना में से सब से पहले खर्च करना चाहिए, ताकि वे फलदायक परिणाम दे सकें; और यदि कोई खास विवशता न हो, तो चौथी पंचवर्षीय आयोजना के दौरान कोई भी नया संस्थान नहीं खोलना चाहिए। रिपोर्ट शासी निकाय के सामने उसकी 15 जुलाई, 1967 को हुई बैठक में पेश कर दी गई थी। समिति की सिफारिश पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

Female Gazetted Officers in the Central Ministries

6708. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state ;

(a) the number of female Gazetted Officers working in the Central Ministries; and

(b) the names of the Ministries in which they are working ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) 77 female Gazetted Officers are at present employed in the various Ministries/Departments of the Government of India as shown in the statement laid on the Table of the House. **[Placed in Library See No. L. T. 1206/67]**

Scuffle in Tihar Jail, Delhi

6709. **Shri Ram Singh Ayarwal :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a person was killed and many others injured as a result of a scuffle in Tihar Jail, Delhi in March 1967;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the number of persons found guilty and the action taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) No incident took place in March, 1967 in the Tihar Central Jail. In the Camp Jail, however, where anti-cow slaughter agitation prisoners were confined, a scuffle took place on 20th March, 1967 at 12.15 P. M. over the distribution of milk. Stones, brickbats, fire wood billets and tent sticks were used. Nine persons were injured, who were treated in the main Central Jail Hospital. One of them, who was later transferred to Irwin Hospital on account of serious injuries expired there. He was Sohan S/o Rup Chand.

The case was handed over to the Police and an inquest was held by a Sub-Divisional Magistrate. Six prisoners have been sent up for trial under Sections 147/304 I. P. C. The case is sub-judice.

सरकारी कर्मचारियों के लिये विवाह सम्बन्धी नियम

6710. श्री मधु लिमये :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री एस० एम० जोशी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी के लिये यह नियम है कि वह एक से अधिक पत्नियां नहीं रख सकता; और

(ख) कितनी राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिये इसी प्रकार का नियम बनाया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू आचरण नियमों के अधीन कोई भी ऐसा सरकारी कर्मचारी जिसकी एक पत्नी जीवित होगी सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना दूसरा विवाह नहीं करेगा चाहे फिर फिलहाल उस पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत उसे ऐसा करने का अधिकार प्राप्त भी हो ।

(ख) सरकार के पास इस बारे में सूचना नहीं है । यह ऐसा मामला है जिस पर राज्य सरकारों को अपने अधिकारों के अन्तर्गत निर्णय लेना होगा ।

Houses Set on Fire in Bungdha Village

6711. **Shri Hukam Chnnd Kachwai :**
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 20 houses in Bungdha Village in Ukhrul Division were set on fire as reported in the Vir Arjun dated the 8th April, 1967;

(b) if so, the loss of life and property suffered as a result thereof; and

(c) the action taken by Government in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Yes, Sir.

(b) There was no loss of life. 21 Dewelling houses, 6 Granaries and 6 kitchens were however burnt. Four rifles with 450 rounds of ·303 ammunition belonging to the Village Volunteer Force were also burnt. The total loss amounts to about Rs. 2500/-

(c) A case under section 436 IPC was registered at Ukhrul Police Station and investigation is now in progress.

Accommodation and Medical Facilities for P. and T. Employees of Sonai (U. P.)

*6712. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) whether it is a fact that residential accommodation and medical facilities are not available to the P. and T. employees of Sonai Village in Mathura District (U. P.); and

(b) if so, the action taken to provide these facilities to the employees ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes, Sir.

(b) Sonai has an extra-departmental post office. The Staff comprises of an Extra-Departmental Branch Postmaster and a departmental village postman. The Department does not provide residential accommodation for Extra-Departmental Agents nor are they entitled to medical facilities like regular P. and T. officials. The village postman can, however, avail of medical facilities at the local Government dispensary. Residential accommodation is only provided to regular P. and T. employees at places where there is a large concentration of staff.

Upgrading of Sonai Post Office

*6713. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a demand for the last many years for upgrading the Sonai Post Office in Mathura District, U. P. with Telegraph facilities and for the construction of a separate Post and Telegraph building;

(b) whether it is also a fact that the population of the village is about seven thousand all kinds of transport facilities are available; and

(c) if so, the steps taken to upgrade the Post Office and to construct a separate building ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes, Sir.

(b) It is ascertained from the Block Development Officer of the area that the population of the village at present is 5,375. Reasonable transport facility is available for the conveyance of mails.

(c) The proposal to upgrade the existing Extra Departmental Branch Post Office into a Departmental Sub Office was examined in June, 1956 and October, 1966 and was dropped as the departmental standards regarding the minimum work hours and permissible limit of loss were not fulfilled. Extra Departmental Post Offices are not provided with departmental building and hence there is no proposal to construct a separate building.

राष्ट्रीय संग्रहालय, मुर्शिदाबाद

6714. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** **श्री ख० प्रधानी :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री हीरजी भाई :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या शिक्षा मंत्री 23 मार्च, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 101 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मुर्शिदाबाद स्थित महल को एक राष्ट्रीय संग्रहालय में परिवर्तित करने का प्रस्ताव इस समय किस स्थिति में है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : वित्तीय कठिनाई के कारण संग्रहालय के लिये महल अर्जित करना संभव नहीं है परन्तु कलकत्ता विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श से महल के एक भाग में स्थानीय रुचि के एक संग्रहालय तथा एक अनुसन्धान केन्द्र के बसाने के बारे में विचार किया जा रहा है।

Deputation of All India Services Officers to the Central Ministries

6715. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the basis on which Officers of different All India and Central Services are appointed on deputation in the Central Secretariat and the period of their deputation;

(b) whether the period of deputation is generally extended or it is done on special ground;

(c) the number of Officers who remained on deputation during the last two years and the number out of them whose period of deputation was extended;

(d) whether Officers of the Central Secretariat Services are also sent on deputation to field services; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Selections are made on the basis of eligibility and suitability of officers for particular posts. Selected officers hold posts on tenures varying from three years to five years.

(b) The period of tenure is extended or curtailed when justified in the public interest.

(c) The number of officers on deputation in Secretariat posts who are continuing for the last two years is 221. Excluding officers holding posts of Additional Secretary and above and those earmarked for the Central Administrative Pool, there are 31 officers on extended tenure.

(d) Yes, Sir, on deputation to field organisations for holding posts as also on training.

(e) Does not arise.

यूनाइटेड प्रोविन्सेज कामर्शियल कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता

6716. **श्री मधु लिमये :** **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री स० मो० बनर्जी : **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से यूनाइटेड प्रोविन्सेज कामर्शियल कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता के कर्मचारियों के नौकरी से हटाये जाने/पदच्युत किए जाने/स्थानान्तरित किये जाने के बारे में सरकार को शिकायतें मिली हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस कम्पनी ने कर्मचारी भविष्य निधि का दुर्विनियोग किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) केन्द्रीय भविष्य निधि के प्राधिकारियों को भविष्य निधि के धन के किसी दुर्विनियोग की सूचना नहीं मिली ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रपति के सचिवालय सेवा में विदेशी राष्ट्रजन

6717. **श्री मधु लिमये :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1950-67 (मई) की अवधि में दिल्ली में राष्ट्रपति के सचिवालय अथवा राष्ट्रपति निवास-क्षेत्र (प्रेसीडट्स ऐसटेट) में कोई विदेशी राष्ट्रजन नियुक्त थे; और

(ख) उनके नाम, वेतन और सेवा की अवधि क्या थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) 1950-67 (मई) की अवधि में राष्ट्रपति की सेवा में लगे विदेशी राष्ट्रजनों के नाम वेतन तथा सेवा काल इस प्रकार हैं :

विदेशी राष्ट्रजनों के नाम	वेतन	सेवा काल	टिप्पण
1	2	3	4
श्री वी० जे० मूरे (ब्रिटिश)	रुपये 1600.00 (वर्तमान वेतन)	36 वर्ष	1970 में सेवा निवृत्त होने वाले हैं ।
डा० एफ० ई० बकलर (ब्रिटिश)	रुपये 1480.00 (सेवा निवृत्ति के समय वेतन)	2-4-46 से 3-12-57 तक	1957 में सेवा निवृत्त हो गये ।

Rayon Factories

6718. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Bharat Singh :
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government conducted an inspection of the Rayon Factories in all the States in 1966 through the Director-General Factory Advice Service who made certain recommendations for the security of the workers;

(b) if so, the names of the Rayon Factories which have implemented those recommendations and also of those which have not implemented the recommendations; and

(c) the reasons for the non-implementation of these recommendations in such factories ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) Investigations in three Rayon Factories were carried out in 1956 by the erstwhile organisation of the Chief Adviser Factories. As a result of the survey certain recommendations were published in their Report No. 18-"Survey of Carbon Disulphide, Hydrogen Sulphide and Sulphur Dioxide hazards in the Viscose Rayon Industry in India".

(b) and (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House when received.

तुर्कमानिया में मिली पाण्डुलिपि

6719. श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य : क्या शिक्षा मंत्री 31 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3776 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुर्कमानिया में मिली पाण्डुलिपि प्राप्त करने तथा उसके अर्थों का पता लगाने का काम पूरा हो चुका है;

(ख) क्या सोवियत अधिकारियों ने भारतीय दूतावास को पहले दिये गये वचन के अनुसार पूरी सूचना भेज दी है; और

(ग) यदि हां, तो पाण्डुलिपि का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं। यह कार्य अभी चल रहा है।

(ख) रूसी अधिकारियों से अभी तक केवल आंशिक सूचना प्राप्त हुई है।

(ग) पाण्डुलिपियों की विषय वस्तु धार्मिक (बौद्ध धर्म नियम) प्रकार की है और वे 5 शताब्दी ई० में लिखी गई थी।

पिछड़े क्षेत्रों में डाकघर

6720. श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री अ० कु० किस्कू :
श्री श० ना० माइति :
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बहुत पिछड़े क्षेत्रों में और अधिक डाकघर खोलने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1967-68 में कितने डाकघर खोजने का विचार है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) 391 बशर्ते कि वित्तीय कठिनाई के कारण नये अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने पर लगी पाबन्दियां हटा ली जाएं ।

पंजाब सर्किल में टेलीफोन शुल्क की दरें

6721. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अम्बाला सर्किल में टेलीफोन शुल्क की दर, उसका त्रैमासिक किराया, ट्रन्क काल तथा स्थानीय काल के शुल्क की दर वर्ष 1961 से 1967 तक (वर्षवार) क्या रही है;

(ख) किस अधिकारी की स्वीकृति से दरों में वृद्धि की गई थी; और

(ग) इन दरों/शुल्कों में वृद्धि हो जाने से वार्षिक राजस्व में कितनी वृद्धि हुई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 1961 से 1967 तक समय-समय पर लागू टेलीफोन के किराये, स्थानीय तथा ट्रंक काल अधिभार की दरों का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1207/67]**

(ख) दरों में वृद्धि केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों द्वारा की गई थी ।

(ग) केवल इन शुल्क-दरों में हुई वृद्धि के कारण वार्षिक राजस्व में हुई वृद्धि से सम्बन्धित आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

हल्दिया पत्तन में रोजगार दिलाऊ दफ्तर

6722, श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित हल्दिया पत्तन के निकट एक रोजगार दिलाऊ दफ्तर खोला गया है;

(ख) हल्दिया से विस्थापित कितने व्यक्तियों को इस दफ्तर से लाभ पहुंचा है;

(ग) हल्दिया से विस्थापित कितने प्रतिशत व्यक्तियों तथा अन्य लोगों को इस दफ्तर के माध्यम से रोजगार दिलाया गया है; और

(घ) क्या यह सच है कि कलकत्ता पत्तन क्षेत्र स्थित रोजगार दिलाऊ दफ्तरों में नाम दर्ज व्यक्तियों को सर्वाधिक संख्या में रोजगार दिलाया गया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) इनकी संख्या बताना सम्भव नहीं है । जो भी चाहते हैं इसका लाभ उठा सकते हैं ।

(ग) और (घ) जानकारी प्राप्त नहीं है ।

Recommendations of Administrative Reforms Commission

6723. **Shri D. S. Patil :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the recommendations made by the study group of Administrative Reforms Commission about economic administration; and

(b) the decisions taken by Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) The recommendations are contained in the report of the study team on economic administration, copies of which are placed in the Parliament Library.

(b) The Administrative Reforms Commission has not yet submitted its recommendations to the Government.

Misappropriation in Suhagpur Sub P. O.

6724. **Shri A. B. Vajpayee :**
Shri Kanwar Lal Gupta :

Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a misappropriation of Rs. 10,000 has been detected in Suhagpur Sub-Post Office of Shehdol recently;

(b) whether any enquiry has been made into the matter; and

(c) if so, the findings thereof ?

The Minister of State in the Departments, Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) As a result of departmental enquiries so far made, a misappropriation by the Sub-Postmaster of about Rs. 8,000 has come to light.

(b) The case has, after a preliminary departmental enquiry, been reported to the Special Police Establishment for investigations.

(c) The findings of the S. P. E. are awaited.

पुनर्वास मंत्रियों का सम्मेलन

6725. **श्री स० मो० बनर्जी :** **डा० रानेन सेन :**
श्री काशीनाथ पांडे : **श्री धीरेश्वर कलिता :**

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1967 में दिल्ली में राज्य पुनर्वास मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन में क्या-क्या निर्णय किये गये ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) सम्मेलन में जो आवश्यक निर्णय लिये गये थे, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

17 मई, 1967 को पुनर्वास मंत्रियों के हुए सम्मेलन में लिये गये कुछ आवश्यक निर्णय।

1. पूर्वी पाकिस्तान से प्रव्रजकों के भारत दाखिल होने की नीति तथा सरकार से सहायता तथा पुनर्वास सहायता पाने की पात्रता में कोई परिवर्तन आवश्यक नहीं समझा गया।

2. राज्य सरकारों को बिना लाभ बिना हानि की पेशकश के आधार पर, राज्य परियोजनाएं जिनके अन्तर्गत बड़े पैमाने पर भूमि का उद्धार संगठन की अतिरिक्त क्षमता से पूर्ण लाभ उठाना चाहिए। उन्हें प्रार्थना की गई थी कि वे अपनी आवश्यकताएं पुनर्वास विभाग को सूचित कर दें।

3. नियमित तथा प्रावस्थित कार्यक्रम के अनुसार जो पहले ही तैयार किया जाएगा, विस्थापित व्यक्तियों के परिवारों को गांवों में भेजा जायेगा और जहां तक सम्भव होगा इसका पालन किया जाएगा।

4. विभिन्न कृषि पुनर्वास परियोजनाओं के लिये सिंचाई सुविधाओं की आवश्यकता पर बल दिया गया और राज्य सरकारों को प्रार्थना की गई कि सिंचाई के सम्बन्ध में सर्वेक्षण किये जाये और निश्चित योजनाएं तैयार करके विचार के लिये भारत सरकार को भेजी जाएं।

5. यह अनुभव किया गया कि पुनर्वास के लिये तकनीकी प्रशिक्षण का कार्यक्रम आशाजनक पहलुओं में से एक है। इसलिये और प्रशिक्षण सुविधाएं देनी चाहिए।

6. पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों तथा बर्मा तथा श्रीलंका से लौटे लोगों की पुनर्वास समस्या को राष्ट्रीय समस्या का रूप दिया गया है। वर्तमान वित्तीय स्थिति में, साधनों का उपयोग करते हुये भरसक किफायत करनी चाहिए और ऋण की वसूली के प्रयत्न करने चाहिए।

क्लोसिब के निकट विद्रोही नागाओं द्वारा घात लगाकर हमला

6726. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 23 मई, 1967 को मिजो पहाड़ियों में क्लासिव के निकट विद्रोही नागाओं द्वारा घात लगाकर किये गये हमले में कुल कितने व्यक्ति मारे गये; और

(ख) मृत व्यक्तियों के परिवारों की सहायता देने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) 23 मई, 1967 को क्लोसिब के निकट मिजो विद्रोहियों द्वारा घात लगा कर किये गये हमले में 16 सुरक्षा कर्मचारी मारे गए।

(ख) इन कर्मचारियों के परिवारों को वर्तमान नियमों के अनुसार असाधारण पैंशन/उपदान प्राप्त होगा ।

Tours by Hindi Directorate Officers

6727. **Shri Molahu Prasad :**
Shri Maharaj Singh Bharati :
Shri Rabi Ray :

Will the Minister of **Education** be pleased to state the number of times the Director and other Officers of the Central Hindi Directorate travelled by air on official work during the last one ye r and the total amount spent on this accoun

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : During the last one year (1st July, 1966 to 30th June, 1967) the Director performed air journeys on official wor k seven times and three other officers once each. The total expenditure incurred on these air journeys was Rs. 4,648.

Publication of "Karyalaya Deepika"

6728. **Shri Molahu Prasad :**
Shri Maharaj Singh Bharati
Shri Rabi Ray :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Hindi Directorate formulated a project to publish a book entitled 'Karyalaya Deepika';

(b) whether it is also a fact that the work on the project has been stopped although substantial progress has already been made on it; and

(c) if so. the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) Yes, Sir. The Directorate volunteered to prepare the book and did some work on it.

(b) and (c) Later, the Ministry of Home Affairs suggested so many amendments in the manuscript that its revision would have amounted to a complete overhaul of the whole manuscript. The Staff Inspection Unit of the Ministry of Finance had recently conducted a Work Measurement Study of the Central Hindi Directorate as a result of which considerable staff of the Directorate has been reduced. It is, therefore, not possible for the Central Hindi Directorate to undertake immediately the additional work of revision of the manuscript of the 'Deepika'. From the point of view of economy, it is not desirable to appoint additional staff for the completion of this work at this stage.

राष्ट्र चिन्ह

6729. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या गृह-कार्य मंत्री 7 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1786 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने राष्ट्र चिन्ह में देवनागरी लिपि में अंकित "सत्यमेव जयते" शब्दों को हटाने और उनके स्थान पर अन्य प्रादेशिक भाषाओं के शब्द रखने के प्रश्न पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख) स्थिति यह है कि मद्रास सरकार के राज्य-चिन्ह पर "सत्यमेव जयते" सिद्धान्त वाक्य अभी भी विद्यमान है। किन्तु जब कभी राज्य-चिन्ह को तमिल शब्दों के साथ प्रयोग किया जाता है तब राज्य की राज भाषा के उत्तरोत्तर अधिकाधिक प्रयोग के सिद्धान्त के अनुसार "सत्यमेव जयते" के समानार्थी तमिल शब्दों "वाइमायाए वैल्लुम" का प्रयोग किया जाता है।

डाक विभाग, दिल्ली में धोखाधड़ी

6730. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री आत्म दास :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुलिस जालसाजों के एक कथित गिरोह के सदस्यों की खोज कर रही है जिन्होंने दिल्ली के डाक विभाग को पिछले कुछ दिनों में कई हजार रुपये का धोखा दिया है; और

(ख) क्या इस गिरोह का पता लगा लिया गया है और यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) पुलिस ने अभी तक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। तहकीकात जारी है।

प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के पदों का अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षण

6731. श्री रा० बरुआ : क्या गृह-कार्य मंत्री 5 अप्रेल, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 589 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के अधीन प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के कितने पद अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित किये गये हैं तथा वे कहां तक इस बारे में अनुदेशों के अनुसार हैं; और

(ख) क्या ऐसे व्यक्तियों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा श्रेणी I तथा II के पदों में आरक्षण, इस बारे में सरकार द्वारा 13-9-1950 के संकल्प संख्या 42/21/49 एन० जी० एस० और 8-11-1963 के कार्यालय ज्ञापन सं० 1/10/61 ऐस्ट (डी) के अन्तर्गत जारी अनुदेशों के अनुसार किया जाता है जिनकी प्रतियां सभा पटल पर रख दी गई हैं। [पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी०

1208/67] केन्द्रीय सरकार के अधीन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित पदों की संख्या के बारे में केवल 1965 तक की सूचना उपलब्ध हैं। अतः उस वर्ष के बारे में सूचना नीचे दी जा रही है :—

1965 में भरे गये पदों की संख्या	अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित पदों की संख्या		अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षित पदों की संख्या	
	पिछले वर्ष से शेष	1965 के दौरान आरक्षित	पिछले वर्ष से शेष	1965 के दौरान आरक्षित
		श्रेणी I		
735	165	82	88	38
		श्रेणी II		
1122	219	137	131	58

(ख) जी हां। भारतीय प्रशासन सेवा इत्यादि सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने के लिये दो परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र—इलाहाबाद और मद्रास में एक-एक केन्द्र—हैं।

उपराज्यपाल, दिल्ली को शक्तियों का प्रत्यायोजन

6732. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने उप-राज्यपाल को वे शक्तियां प्रत्यायोजित करने की मांग की है जो केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा प्रयुक्त की जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो किन शक्तियों का प्रत्यायोजन करने का अनुरोध किया गया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) जिन शक्तियों तथा अतिरिक्त शक्तियों के प्रत्यायोजन की मांग की गई है उनका सम्बन्ध पदों के निर्माण, ठेकों तथा खरीददारियों, साहाय्य अनुदानों योजना की मंजूरी, विविध तथा फुटकर व्यय, हानि को बट्टे खाते डालना, भवनों का क्रय विक्रय, वेतन, बड़े परिमाण में अधिग्रहण की योजना, दिल्ली में भूमि का विकास और निपटान, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 भरती नियमों, स्नातक कालिजों का चलाना, विदेशियों, भारतीय नागरिकता प्रदान करना तथा कुछ अन्य सम्बन्धित मामलों

जैसे वित्तीय तथा प्रशासकीय मामलों से है। दिल्ली प्रशासन के सुझावों की जांच की जा रही है।

विद्युत चालित करघों में श्रमिक

6733. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
श्री मि० सू० मूर्ति :
श्री उमानाथ :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री चक्रपाणि :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिलों के अतिरिक्त विद्युत चालित करघों में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिये न्यूनतम निर्वाह मजूरी निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब किया जायेगा; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) मिल क्षेत्र के बाहर के विद्युत चालित सूती करघों में काम करने वाले श्रमिकों की मंजूरी निश्चित करने के प्रश्न पर सूती कपड़ा उद्योग सम्बन्धी दूसरा केन्द्रीय मंजूरी बोर्ड विचार कर रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इंस्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम, नई दिल्ली

6734. **श्री पहाड़िया** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम संस्था का कोई संस्थान दिल्ली में है;

(ख) यदि हां, सो यह संस्थान स्थापित करने का उद्देश्य क्या है, उसमें कितने कर्मचारी हैं और उस पर कितना वार्षिक व्यय होता है; और

(ग) इस सम्बन्ध में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद की नीति क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां। भारतीय पैट्रोलियम संस्थान का प्रायोजना प्रभाग दिल्ली में है।

(ख) प्रायोजना प्रभाग को पैट्रोलियम और रसायन तथा औद्योगिक विकास और कम्पनी-मामलों सम्बन्धी मंत्रालयों तथा सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों की तेल कम्पनियों से भी निरन्तर सम्पर्क रखना होता है और उनसे परामर्श करना होता है। पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय विभिन्न मामलों में प्रायोजना प्रभाग की सहायता लेता है।

दिल्ली में प्रभाग के कर्मचारियों की संख्या निम्नांकित है :—

वैज्ञानिक/तकनीकी	18
प्रशासनिक	9
चतुर्थ श्रेणी	11
जोड़	38

1966–67 वर्ष के दौरान 2.65 लाख रुपये खर्च हुए।

(ग) आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद अपने प्रधान कार्यालय से बाहर, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के क्षेत्र केन्द्र/प्रभाग स्थापित करती है।

जीव रसायन तथा व्यावहारिक औषध संस्था

6735. श्री पहाड़िया : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीव रसायन तथा व्यावहारिक औषध संस्था का नाम हाल ही में बदल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो नया नाम क्या है और यह परिवर्तन करने का क्या कारण है;

(ग) क्या हाल के वर्षों के प्रयोगशाला के कार्यों में परिवर्तन हुआ है जिसके कारण इस संस्था के नाम में परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ी; और

(घ) क्या यह सच है कि अब इस संस्था को मेषज प्रयोगशाला के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (ग) 'भारतीय जीव रसायन और प्रायोगिक औषध संस्थान" का नाम "भारतीय प्रायोगिक औषध संस्थान" रखने के बारे में, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद के शासी निकाय ने, 27 मई, 1965 को संस्थान की कार्यकारी परिषद द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर, 7 अक्तूबर, 1965 को हुई अपनी बैठक में स्वीकृति दी थी। संस्थान द्वारा प्रायोगिक औषध पर दिए जाने वाले अधिकाधिक जोर को दर्शाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया था।

(घ) जी नहीं।

राज्यपालों का चयन

6736. श्री समर गुह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिये क्रमशः राज्यपालों/उप-राज्यपालों का चयन करने के सम्बन्ध में कुछ विशेष सिद्धान्त निर्धारित किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन सिद्धान्तों की मुख्य बातें क्या हैं और यदि ऐसे सिद्धान्त निर्धारित नहीं किये गये, तो अब तक राज्यपालों का चयन किस आधार पर किया जाता रहा है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) राज्यपाल के ऊंचे पद पर नियुक्ति करते समय प्रमुख रूप से सम्बन्धित व्यक्ति की उपयुक्तता को विचार में रखा ता है ।

Award of Italian Government Scholarships

6737. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) the names of those Districts, the students from where were awarded Italian Government Scholarships in 1966-6 ;

(b) the basis of their selection; and

(c) the total number of scholarships being offered every year under the above scheme ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) The Ministry does not receive or maintain record of Districts in which the scholars were born or the Districts from which they submitted their applications. However, the statewise awards were as follows :

Bihar	—	1	
Nagaland	—	1	
Andhra Pradesh	—	1	(unavailed)
Uttar Pradesh	—	1	
Punjab	—	1	

(b) The selection is made by a joint Selection Committee exclusively on merit and on an All-India basis.

(c) five.

विद्रोही नागाओं से मुठभेड़ों में हताहत सैनिक

6738. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1966-67 में विद्रोही नागाओं के साथ हुई मुठभेड़ों में सीमा सुरक्षा दल तथा सेना के बहुत से कर्मचारी मारे गये थे;

(ख) यदि हां, तो कितने सैनिक मारे गये तथा कितने घायल हुए ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) 1 जनवरी, 1966 से 30 जून, 1967 तक की अवधि के दौरान 29 कर्मचारी मारे गये और 36 घायल हुए ।

Dussehra Festival in Bastar

6740. **Shri J. Sundar Lal** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to State :

(a) whether the Dussehra Festival of Tribals in Bastar would be allowed to be celebrated this year according to the wishes of the tribals and no restriction would be imposed by the Government of Madhya Pradesh in this regard;

(b) if so, the instructions issued in this regard; and

(c) the reasons as to why Dussehra was celebrated by the Madhya Pradesh Government last year and the expenditure incurred in this behalf by that Government ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) and (b) The Government of Madhya Pradesh have intimated that Dussehra has always been celebrated in Bastar according to the wishes of the tribals and the festival would be celebrated in the same manner this year also subject only to the requirements of law and order; and that no instructions have been issued in this regard as the need to do so has not arisen.

(c) The State Government did not celebrate the functions. However, on the request of the local tribals, they gave an ad hoc grant of Rs. 10,000/- to a committee including M. L. As., non-officials and some officials for the celebrations.

Corruption Complaints Against Employees of the Ministry of Home Affairs

6741. **Shri Bramhanandji :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Nihal Singh :
Shri Sheopujan Shastri :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the number of complaints received from the people and Members of Parliament during the last four years against the employees of the Ministry of Home Affairs regarding misuse of their position and corruption;

(b) the action taken thereon;

(c) whether replies to all the complaints sent by the Members of Parliament against the employees have been sent;

(d) if so, the details thereof; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) 15

(b) Government displeasure was conveyed in one case. Warning was issued in another case. One case was sent to a State Government. The remaining 12 complaints were filed as vague or baseless.

(c) Yes.

(d) The number of such complaint was one. As the subject matter directly concerned a State Government, the complainants were informed that the complaint was forwarded to the State Government.

(e) Does not arise.

All-India Educational Service

6742. **Shri Sidheshwar Prasad** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the formation of the All-India Educational Service is being deferred;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the consideration which led to the proposal to form the said service ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The constitution of an All India Educational Service was strongly advocated at the National Integration Conference held in 1961. It was felt that the creation of the Service would enable an integrated approach being brought to bear on important educational problems and policies. It would also ensure a high standard of recruitment and training throughout the country. Since the Service would be common to the Union and the States, rotation of officers between the Centre and the States would be beneficial both to the Union and the State Administrations in as much as officers will bring field experience to the Centre and will take back to the States an understanding of national problems and wider outlook. Besides, the creation of the Service is expected to promote national integration.

Indifference Shown by Students to Original Research

6743. **Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether Government have tried to ascertain the reasons why the Indian Students and teachers have shown indifference towards original researches;

(b) if so, the result thereof;

(c) the reasons why the bodies like University Grants Commission and the Council of Scientific and Industrial Research have failed in creating an atmosphere of quest for knowledge and research; and

(d) the steps taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b) Government do not agree with the assessment that students and teachers in general are indifferent towards research.

(c) and (d) Some of the steps taken by the University Grants Commission and the Council of Scientific and Industrial Research for promotion of research are given in the statement attached.

Statement

The University Grants Commission have taken following steps for promotion of research in universities :—

(i) Recognition of University departments as centres of advanced study,

(ii) Award of research scholarships and fellowships.

(iii) Assistance to teachers for undertaking research work.

(iv) Utilisation of the services of retired teachers.

(v) Procurement of external assistance through agencies like UNESCO, National Science Foundation, National Bureau of Standards, P. L. 480 funds and British Council, for specific programmes of research projects undertaken by universities.

2. The Council of Scientific and Industrial Research gives financial aid to support research schemes in universities. It also gives block grants for the purpose of creating new schools of research in universities and research institutes. It also offers ad hoc fellowships for research.

During 1966-67 the Council of Scientific and Industrial Research incurred an expenditure of Rs. 100.221 lakhs by way of grants-in-aid towards various research schemes and fellowsnips. During 1967-68 there is a pro ision of Rs. 100 lakhs for the purpose.

At present there are 584 schemes and 780 ad hoc research fellowships (Senior and Junior) which the Council of Scientific and Industrial Research is financing.

Modernisation of syllabi of different subjects upto the University standard

6744. **Shri Sidheshwar Prasad** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether any efforts have been made by the University Grants Commission or any other agency towards the modernisation of syllabi of different subjects upto the University standard;

(b) whether any attention has been paid towards giving a proper place in our text books to knowledge contained in books originally written in foreign languages other than English;

(c) if the replies to parts (a) and (b) above be in the affirmative, the details thereof; and

(d) if no efforts have been made in this direction, the reasons therefor; and the manner in which the deficiency in that respect is going to be made up in future ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) to (c) The National Council of Educational Research and Training, an autonomous organization under the Education Ministry, has been working on the preparation of model text-books in different subjects for all stages of school education. The Council has panels with necessary expertise for the purpose. Some textbooks have been p·epared and other model textbooks in History, Geography. Social Studies, Mathematics, Physics, Chemistry, General Science, Commerce, Technology, etc., are in various stages of preparation. At the University stage, the University Grants Commission has commended to the Universities that each of them should have a standing Review Committee to examine their syllabii in the light of modern developments. The Academic Council of each University is the authority is the university for the purpose. These Councils generally see that the syllabii take into account the modern develcpments in the subject. This would not confine them to the academic literature originally written in English only.

(d) Does not arise.

Telephone Calls

*6746. **Shri Onkar Lal Berwa** : **Shri Onkar Singh** :
Shri N. S. Sharma : **Shri Beni Shanker Sharma** :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the arrangements for recording telephone calls in Kotah (Rajasthan);

(b) whether it is a fact that telephone calls are not correctly recorded; and

(c) if so, the reasons thereof ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Meters have been provided.

(b) No, Sir,

(c) Does not arise.

शेख अब्दुला द्वारा लिखे गये पत्रों का भेजा जाना

6747. **श्री चं० चु० देसाई :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शेख अब्दुला ने दिल्ली के लिये प्रस्थान करने से पहले मदूरे के कलक्टर को, अनेक पत्र पकड़ाये थे, जो उन व्यक्तियों को भेजे जाने थे, जिनके पते उन पर लिखे थे, और मैं भी उनमें से एक था और उनमें उनकी रिहाई के सम्बन्ध में आवाज उठाने के लिये प्रेषितों का धन्यवाद किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इन पत्रों को रोक लिये जाने के क्या कारण थे; और

(ग) क्या सरकार का विचार सम्बन्धित अधिकारियों को ऐसे निदेश जारी करने का है कि वे भारत के नागरिकों को और विशेषत: संसद् सदस्यों को लिखे गये पत्रों को न रोकें ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) ऐसे कोई पत्र नहीं रोके गए थे ।

(ग) जी नहीं ।

केरल में पुलिस आवास योजना

6748. **श्री वासुदेवन नायर :** **श्री जनार्दनन :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री अदिचन :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने 1967–68 में पुलिस आवास योजना के लिये केन्द्रीय सरकार से 40 लाख रुपये का ऋण मांगा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये कितनी राशि का ऋण मंजूर किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

दिल्ली में औद्योगिक विवादों का न्यायनिर्णय

6749. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)क्या यह सच है कि सरकारी उपक्रमों के विवाद औद्योगिक विवाद न्याय निर्णय के औद्योगिक न्यायाधिकरण को सौंपने के बारे में दिल्ली प्रशासन को अनुमति प्राप्त करनी होती है ;

(ख) क्या यह सच है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मामलों में ऐसी अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है ;

(ग) यदि हां, तो इस मतभेद के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि कुछ मामलों में दिल्ली प्रशासन को अनुमति नहीं दी गई गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच यह प्रथा है कि सरकारी क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों का, जिन पर पूर्ण रूप से या अधिकांश रूप से केन्द्रीय सरकार का स्वामित्व हैं या जिनसे केन्द्रीय सरकार की दिलचस्पी है, कोई औद्योगिक विवाद न्याय-निर्णय को भेजने से पहले राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार से सलाह लेनी चाहिए । जब उप-क्रम राज्य क्षेत्र का होता है, तो केन्द्रीय सरकार भी राज्य सरकार से ऐसी सलाह लेती है ।

(घ) जी हां ।

(ङ) प्रत्येक मामले में दिल्ली प्रशासन को कारण बता दिये गये हैं ।

बर्मा से स्वदेश लौटे लोगों को पुनर्वास ऋण

6750. श्री लीलाधर कटकी : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री 24 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 632 और 30 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2871 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग निदेशक ने बर्मा से स्वदेश लौटे लोगों के लिये पुनर्वास ऋण की अपरि सीमा इस बीच 2000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दी है ;

(ख) 5000 रुपये की राशि प्राप्त करने के लिये अब तक कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ग) क्या 4100 रुपये की दूसरी किशत के लिये आवेदन पत्र देने वाले लोगों के बारे में कोई शर्त लगाई गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और दूसरी किश्त शीघ्र देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (क) (श्री ल० ना० मिश्र) जी, हां ।

(ख) 123 ।

(ग) और (घ) ऋण की दूसरी किश्त तभी दी जाती है जबकि ऋण प्राप्त करने वाला पहली किश्त का उपयोग कर लेता है और व्यापार चलाने के लिये आवश्यक स्थान अर्जित कर लेता है । वे व्यक्ति जिनको 2,000 रुपये तक का ऋण दिया गया है, वे 5,000 रुपये तक का ऋण पाने के लिये आवेदन पत्र दे सकते हैं यद्यपि मंजूर करने वाला

अधिकारी, व्यापार के स्वरूप तथा व्यापार आदि के लिये निधि की आवश्यकता तथा उसके विस्तार आदि को ध्यान में रखते हुए सन्तुष्ट हो कि अधिक ऋण आवश्यक है। इस प्रकार दूसरी किश्त का दिया जाना इस पर निर्भर करता है कि यदि आवेदक ऋण मंजूर करने वाले अधिकारी को संतुष्ट कर देता है कि पहली किश्त व्यापार चलाने के लिये आवश्यक है।

Misappropriation During Birth Centenary Celebrations of Guru Govind Singhji

6751. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Atam Das :
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Shri Y. S. Kushwah :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the money collected at the Birth Centenary Celebrations of Guru Govind Singhji which was celebrated at the Ramlila Grounds, Delhi in, January, 1967, was misappropriated and a complaint was also lodged with the Police ;

(b) if so, the action taken by the Police against the person concerned ;

(c) whether it is also a fact that the person who had misappropriated this money is also doubted for indulging in anti-national activities ; and

(d) if so, the details in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Complaints of misappropriation of funds collected in connection with the Centenary Celebrations were received by the Police. The allegations, however, could not be substantiated by the complainants during the preliminary enquiry.

(b) to (d) Do not arise.

अन्दमान राजकीय परिवहन विभाग

6752. **श्री गणेश :**
श्री अ० सिं० सहगल :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान राजकीय परिवहन विभाग मोटरगाडियों के पुर्जों की खरीद के लिये केवल स्थानीय लोगों से ही टैण्डर मांगता है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों में प्रतिवर्ष कितने कितने मूल्य का सामान खरीदा गया तथा प्रतिवर्ष टैण्डर देने वाले लोग कितने थे ;

(ऐ) राजकीय मोटर परिवहन विभाग के पास कितनी मोटर-गाड़ियां हैं ; और

(घ) क्या सामान की खरीद बड़ी मात्रा में होने की बात को देखते हुए सरकार का विचार अखिल भारतीय स्तर पर टेण्डर मांगने का है।

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान। अन्दमान तथा निकोबार प्रशासन मोटर गाड़ियों की खरीद के लिए आवश्यकता के अनुसार मुख्य भूमि तथा स्थानीय बाजार दोनों ही में दाम मालूम करता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अन्दमान तथा निकोबार प्रशासन के परिवहन विभाग के पास कुल मिला कर 139 गाड़ियां हैं जिनमें उनकी अपनी किताबों पर चढ़ी हुई 99 गाड़ियां शामिल हैं।

(घ) पुर्जों की खरीद आमतौर पर पूर्ति तथा निपटान के महानिदेशालय या इस निदेशालय की ठेके की सूची में शामिल फर्मों से की जाती है। स्थानीय खरीद के अनिवार्य सेवाओं को जारी रखने के लिए केवल उन परिस्थितियों में की जाती है जहां ऐसा किये बिना काम नहीं चलता है।

निकोबार द्वीप समूह में नौभरण

6753. **श्री गणेश** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान प्रशासन ने हाल में निकोबार द्वीपसमूह में नौभरण कार्य अपने हाथ में ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो सहकारी संगठन द्वारा कितने माल का नौभरण किया जाता है और कुल मासिक व्यय कितना है ;

(ग)क्या इससे माल, नौकाओं और बजरों का कोई नुकसान हुआ और यदि हां, तो उनका कुल मूल्य कितना है ; और

(घ) क्या मायाबन्दर और मिडिल अन्दमान से फैरी नौकाओं को निकोबार द्वीपसमूह की ओर मोड़ देने से इन स्थानों में यात्री यातायात पर प्रभाव पड़ा था ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां।

(ख) 30.6.67 तक कार निकोबार में 1080 टन माल का नौभरण किया गया और नानकाबरी में 31.5.1967 तक 130 टन माल का। कार निकोबार में अप्रैल में कुल 16571 रुपये मई में 13178 रुपये और जून में 7673 रुपये व्यय हुआ। नानकावरी में अप्रैल में कुल 1567 रुपये और मई में 3105 रुपये व्यय हुआ।

(ग) जी हां, श्रीमान्। कुल 1,50,695 रुपये की हानि का अनुमान है। इसमें फौजी क्रेन का मूल्य शामिल नहीं है जो हानि के अन्तर्गत आता है। इन हानियों में से अधिकतर उस तूफान के कारण हुई थी जो पिछले वर्ष मई के महीने में द्वीप समूह में आया था।

(घ) माया बन्दर या मिडिल अन्दमान से कोई नौकाएं कार निकोबार की ओर नहीं मोड़ी गई थीं।

अनुसंधानकर्ता छात्रों का प्रव्रजन

6754. **श्री मधु लिमये :**
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अथवा किसी अन्य शिक्षा अभिकरण ने स्वदेश छोड़कर विदेश जाने तथा वहां बसने वाले अनुसंधान कर्ताओं। मान्य विद्वानों की समस्या का समाजिक दृष्टि से कोई अन्वेषण किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) इन विद्वानों अनुसंधानकर्ताओं को भारत वापस आने के लिये तथा इस बात के लिये कि वे भारत में ही रहें और काम करें प्रेरित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) सरकार ने, न तो सीधे ही और न किसी अन्य एजेंसी के जरिए, अनुसंधान छात्रों के अपना देश छोड़ने और विदेश में बसने की समस्या के बारे में समाजशास्त्रीय दृष्टि से कोई जांच कराई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1209-/67**]

Uniforms for P. & T. Employees

6755. **Shri Nihal Singh :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Sheopujan Shastri :

Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) whether it is a fact that uniforms of inferior quality khaki khadi cloth are provided to Class IV employees of the P. & T. Department ;

(b) if so, the rate at which the cloth is purchased ;

(c) whether Government propose to go in for drill or other kind of cloth at equally cheap price ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) The best quality of khadi dosuti cloth available with the Khadi Commission is being used for fabrication of uniforms of the P&T staff.

(b) Dosuti thick khaki khadi has been purchased at the provisional rate of Rs. 2. 27 per yard and dosuti khadi khaki thin at Rs. 2. 47 per yard less 20 rebate. Final prices payable are under consideration.

(c) No, there is no such proposal.

(d) Khadi is being used in accordance with the general policy.

Students, Specials

6756. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Atam Das :

Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether Government propose to formulate a scheme for students, before they complete their school education, to take them for seeing historical and other important places throughout the country by running a special train for them :

(b) if not, the reasons therefor and the estimated expenditure involved in that scheme ;

(c) whether children's knowlede would increase as a result of the implementation of that scheme ; and

(d) if so, the reasons for not introducing such a scheme for the children ?

The Minister of State in the Ministery of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (b) The Government have already formulated and put into effect a scheme known as "Students Tours" under which students in the age-group 15–24 years and belonging to institutions of High School standard or Universities/colleges are given financial assistance to undertake tours to places of educational/historical/cultural/national importance or scenic beauty. Although the scheme does not envisage the running of special trains for this puropose, it provides for tours by grougs of students between 10 and 35 in number duly accompanied by their teachers on the basis of one teacher for every 10 students subject to a maximum of 3 teachers in a group. The Scheme provides for financial assistance by the Government to cover full travel costs of journeys by rail or bus, where there is no rail link, at 3rd class student's concession rates, subject to a ceiling of Rs. 60/- per head. The scheme has proved quite popular and it contributes to enhance the knowledge of the participants But it has not been possible to make any budget provision for this scheme during 1967-68 due to financial stringency.

पेट्रोलियम से प्रोटीन

6757. **श्री जेना :**
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पैट्रोलियम से प्रोटीन तैयार करने के लिये ब्रिटेन, फ्रांस, अमरीका तथा रूस में अनुसंधान किया जा रहा है ;

(ख) क्या सरकार का विचार भार में भी ऐसा अनुसंधान करने का है ; और

(ग) यदि हां, ओ इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) पैट्रोलियम से प्रोटीन तैयार करने के संबंध में भारतीय पैट्रोलियम संस्थान, देहरादून और प्रादेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट में अनुसंधान किया जा रहा है। प्रतिदिन पचास किलोग्राम प्रोटीन अवयव (कांसेन्ट्रेट्स) तैयार करने के लिए भारतीय पैट्रोलियम सस्थान, देहरादून में एक मार्गदर्शी संयत्र स्थापित किया गया है तथा प्रतिदिन एक टन प्रोटीन तैयार करने के लिए एक मार्गदर्शी संयत्र प्रोदेशिक अनुसंधान प्रयोगशाला जोरहाट में स्थापित किया जा रहा है।

टेलीफोन के एक्सटेंशन

6758. श्री राम चरण : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफोनों के एक्सटेंशन देने के क्या नियम हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि दूसरी इमारत अथवा गली या सड़क के पार एक्सटेंशन की आवश्यकता पड़ने पर भी उसे नहीं दिया जाता ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि एक्सटेंशनों से टेलीफोन केन्द्र पर भार नहीं पड़ता और दूसरी ओर इनसे राजस्व की प्राप्ति होती है ;

(घ) क्या सरकार को यह भी पता है कि टेलीफोन लगवाने के बहुत से आवेदन पत्र देशभर में विचाराधीन पड़े हैं और इस मांग को पूरी करने में कई वर्ष लगेंगे; और

(ङ) यदि हां, तो बिना किसी प्रतिबन्ध के एक्सटेंशनों को लगाने की अनुमति न देने के क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) टेलीफोनों को एक्सटेंशन तभी दिये जाते है जबकि वे तकनीकी दृष्टि से संभाव्य हों और उनके लिए यंत्र उपलब्ध हों।

(ख) जी नहीं, जब तक कि एक से ज्यादा केबिल युग्मों का इस्तेमाल न किया जाना हो या निर्माण-सम्बन्धी कठिनाइयां न हों।

(ग) कुछ मामलों में एक्सटेंशनों से टेलीफोन केन्द्र का भार बढ़ जाता है। फिर भी सरकार की ऐसी नीति नहीं रही है कि जहां संभव हों वहां एक्सटेंशनों को मंजूर न किया जाए। फिर भी एक्सटेंशन यंत्रों और केबिल-युग्मों की कमी होने के कारण सभी मांगों की पूर्ति करना संभव नहीं हो सका है।

(घ) जी हां।

(ङ) सभी एक्सटेंशन मंजूर करने पर ऐसी कोई पाबन्दियां नहीं है। ज्यों ही एक्सटेंशन यंत्र अधिक आसानी से मिलने लगते हैं, इस तरह की सुविधाओं के लिए प्रतिक्षा-सूची पर मौजूद आवेदकों को ये सुविधाएं देने के लिए विचार किया जाता है।

हड़ताल करने वाले दिल्ली पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध आपराधिक मामले

6759. श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछली हड़ताल के दौरान गिरफतार किये गये दिल्ली पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध अपराधिक मामलों के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) उनमें से कितने व्यक्ति जेल में हैं।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) अप्रैल 1967 में दिल्ली पुलिस कर्मचारियों के आंदोलन के फलस्वरूप 964 पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ़ जिनमें पुलिस विभाग का एक स्वीपर भी शामिल था दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 155 (2) के अधीन मजिस्ट्रेट की अनुमति से 18 मामलों ने अभियोग-पत्र और दो अहस्तक्षेप्य मामलों में शिकायतों की जांच की गई। ये मामले विभिन्न न्यायालयों में अभियुक्त के इस आशय के आवेदन पत्र देने से रोक दी गई है कि वे दिल्ली से बाहर के उपयुक्त न्यायालयों में अपने मामलों की बदली के लिये कार्यवाही करना चाहते हैं।

4 अभियुक्त पुलिस कर्मचारियों की मामलों की बदली के लिये दी गई अभियाचनाओं पर उच्च न्यायालय में बहस के लिये 7.8.1967 की तारीख़ लगी है।

(ख) एक भी नहीं।

तेल तथा पेट्रोलियम के लिये राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला

6760. श्री रा० की अमीन : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस बात को देखते हुए कि गुजरात इस समय देश का मुख्य तेल और पेट्रोलियम का उत्पादक राज्य है, उस राज्य में तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के लिये एक राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने देहरादून में पहले ही भारतीय पैट्रोलियम संस्थान स्थापित किया है। प्रयोगशाला, पैट्रोलियम के परिष्करण, पैट्रोलियम उत्पादों और पैट्रोल रसायनों के विभिन्न पहलुओं पर सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। संस्थान, देश के पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों भागों के बीच सक्रिय सहयोग कायम रख रहा है और परिष्करणशालाओं और बाजार-संगठनों की समस्याओं का निपटान करता है।

दिल्ली के स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं में अंग्रेजी

6761. श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा नई दिल्ली में किन-किन शिक्षा संस्थाओं में प्राथमिक कक्षाओं में अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा दी जाती है और जिन्हें सरकार से सहायता मिल रही है; और

(ख) 1 जनवरी, 1964 से लेकर अब तक इन संस्थाओं को सरकार ने कितना वार्षिक अनुदान तथा अन्य सुविधाएं दी हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन से अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

रूस द्वारा व्यक्तियों तथा संगठनों को दिया गया धन

6762. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोवियत रूस किन-किन व्यक्तियों तथा संस्थाओं को धन देता है और उनको प्रतिवर्ष कितना धन देता है ;

(ख) क्या यह धन रुपयों में दिया जाता है ;

(ग) यदि हाँ, तो रूस ने यह धन कहां से कमाया है ;

(घ) क्या भारतीय लोगों तथा संस्थाओं को धन देने से पहले रूस की सरकार भारत सरकार की अनुमति प्राप्त करती है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ङ) अभी हाल के चुनावों में तथा अन्य उद्देश्यों के लिये विदेशी धन के उपयोग सम्बन्धी आरोपों की जांच करने के बाद गुप्त वार्ता विभाग द्वारा अभी हाल में एक प्रतिवेदन दिया गया है। इसकी सावधानी से जांच की जा रही है ।

दिल्ली में उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कालेज

6763. **श्री यशपाल सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा तथा मेरठ विश्वविद्यालयों को उन छात्रों के लिये जिन्हें दाखिला नहीं मिलता है, दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में कालेज खोलने की अनुमति देने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में कब तक निर्णय कर लिया जायेगा ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

स्ट्रकचरल इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता

6764. **डा० रानेन सेन** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या उनका मंत्रालय 27 बी० टी० रोड, कलकत्ता–58 में स्थित स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड को इस शर्त पर धन देता था कि वह कारखाना पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को नियुक्त करेगा ; और

(ख) यदि हां, तो उस कारखाने की वर्तमान स्थिति क्या है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हिन्दी की नई लिपि

6765. **डा० रानेन सेन:** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के प्रसिद्ध भाषाशास्त्रियों को सम्पर्क लिपि के रूप में हिन्दी की नई लिपि उनका मत जानने के लिये प्रस्तुत की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध से भाषाशास्त्रियों की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) परिवर्द्धित देवनागरी लिपि का निर्माण प्रमुख भाषा शास्त्रियों की एक विशेषज्ञ समिति द्वारा किया गया था । इस कमेटी की अन्तरिम रिपोर्ट देश के विभिन्न भाषा क्षेत्रों के प्रमुख भाषाशास्त्रियों को भेजी गई थी और उनमें प्राप्त टिप्पणियों विशेषज्ञ समिति के सामने रखी गई थी । विशेषज्ञ समिति ने इन सब टिप्पणियों पर विचार करके ही परिवर्द्धित देवनागरी लिपि को अन्तिम रूप दिया है ।

राज्य सरकारों को साप्ताहिक रिपोर्ट भेजना

6766. **डा० रानेन सेन :** क्या गृह-कार्य मन्त्री 21 जून, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 659 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार से सभी राज्य सरकारों को नियमित रूप से रिपोर्ट भेजी जा रही हैं ;

(ख) क्या इन रिपोर्टों में दी जाने वाली जानकारी में भी परिवर्तन हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) और (ग) इन गुप्त रिपोर्टों की सामग्री के बारे में कुछ बताना लोक हित की दृष्टि से उचित नहीं होगा ।

विदेशों को जा रहे वैज्ञानिक, डाक्टर तथा इंजीनियर

6767. **श्री क० कु० नायर :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965 और 1966 में भारत में कितने वैज्ञानिकों, डाक्टरों तथा इंजीनियरों ने परीक्षाएं उत्तीर्ण (क्वालिफाई) की ;

(ख) उनमें से कितने व्यक्ति विदेश चले गये हैं ;

(ग) उनमें से कितने व्यक्तियों को विदेश जाने में सरकार ने सहायता दी ; और

(घ) विदेश में रोजगार की तलाश करने वाले भारतीयों के संबंध में सरकार की नीति क्या है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1965 में भारत में 8819 स्नातकोत्तर वैज्ञानिकों, 5200 चिकित्सा स्नातकों और 10,282 स्नातक इंजीनियरों और टेक्नोलौजिस्टों ने भारत में शिक्षा पाई । 1966 के लिये इस प्रकार के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) 1965 में विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान तथा लोक स्वास्थ्य और इंजीनियरिंग, तथा टेक्नोलोजी के अध्ययन के लिये 865, 136 और 2,512 व्यक्ति विदेश गये । परन्तु 1965 में सभी अर्हता प्राप्त नहीं कर सके ।

(ग) सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । परन्तु सरकार द्वारा भेजे गये छात्रों का अनुपात लगभग 15 प्रतिशत है ।

(घ) जिस व्यक्ति को विदेशों से नौकरी का प्रस्ताव प्राप्त होता है उसे आम तौर पर 'पी' प्रपत्र (फार्म) रियायत दे दी जाती है ।

विदेशों में भारतीय वैज्ञानिक, डाक्टर तथा इंजीनियर

6768. श्री क० कृ० नायर : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में कितने भारतीय वैज्ञानिक, इंजीनियर और डाक्टर हैं ;

(ख) क्या पिछली जनगणना के साथ-साथ ऐसे व्यक्तियों की भी गणना की गई थी ;

(ग) क्या सरकार ने 1971 की वैज्ञानिक तथा तकनीकी व्यक्तियों की जनगणना में विदेशों में रह रहे भारतीय वैज्ञानिकों को शामिल करने के लिये कार्यवाही की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) ठीक-ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है । वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, विदेश में रहने वाले भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, और चिकित्सकों का एक रजिस्टर रखती है जिसमें नाम दर्ज कराना स्वैच्छिक है । 1 मार्च 1967 तक उन रजिस्टर में दर्ज नामों में से 2003 वैज्ञानिक, 3270 इंजीनियर और टेक्नोलोजीविद, और 1168 चिकित्सक विदेश में थे ।

(ख) जी नहीं।

(ग) 1971 के दौरान इक्ट्ठे किए जाने वाले आंकड़ों के सही-सही ब्योरे अभी तक तय नहीं किए गए है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत में काम करने वाले विदेशी विशेषज्ञ

6769. **श्री क० कृ० नायर :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने विदेशी राष्ट्रजन अपने-अपने क्षेत्रों के अनुसार विशेषज्ञों के रूप में काम कर रहे हैं ;

(ख) यह पता लगाने के लिये कि क्या इन पदों के लिये भारत अथवा विदेशों में उपयुक्त भारतीय उपलब्ध हैं, क्या कार्यवाही की जाती है ; और

(ग) उन स्थानों पर नियुक्ति के लिये, भारतीयों के प्रशिक्षण के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रावास्वामी) : (क) भारत में "विशेषज्ञों" के रूप में काम करने वाले विदेशी राष्ट्रजनों की उनके कार्य के क्षेत्र के आधार पर जनगणना पहले कभी नहीं की गई। किन्तु उपलब्ध सूचना के अनुसार 31 दिसम्बर, 1960 को 1762 अभारतीय (नैपालियों को छोड़कर) भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों, विश्व विद्यालयों आदि जैसे स्वायत्त निकायों के अधीन कार्य कर रहे हैं। इस संख्या में सरकार के अधीन असैनिक प्रशासकीय पदों पर नियुक्त थोड़े से अभारतीय व्यक्ति शामिल हैं ; किन्तु अभारतीय व्यक्तियों की बहुत बड़ी संख्या जो आपसी समझौतों आर्थिक तथा तकनीकी सहायता कार्यक्रमों, टी० सी० एम० और कोलम्बो योजनाओं आदि के अधीन तकनीशियनों के पदों पर नियुक्त हैं और उनके इस प्रकार केवल छोटी-छोटी अवधि के लिये नियुक्त रहने की आशा है।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा जारी की गई हिदायतों के अनुसार, भारत सरकार के अधीन असैनिक पदों पर विदेशियों की नियुक्ति बहुत ही अपवादात्मक परिस्थितियों में की जानी चाहिये और वह भी कम से कम अवधि के लिए केवल ठेकों के आधार पर होनी चाहिए। इन हिदायतों में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि ऐसे पदों को भरने के लिए उपयुक्त भारतीयों को प्रशिक्षण देने के लिए भी साथ ही साथ कदम उठाये जानें चाहिए। यद्यपि इन आदेशों का सरकार के अधीन असैनिक पदों पर नियुक्ति करते समय पालन किया जाता है फिर भी कभी-कभी विदेशियों की नियुक्ति आवश्यक हो जाती है उन मामलों में जहां यह किसी विदेशी सरकार/संगठन के साथ आपसी समझौते की शर्त होती है और जहां उपयुक्त भारतीय देश में उपलब्ध नहीं हैं। साथ ही साथ विदेशी तकनीशियनों के स्थान पर उपयुक्त भारतीयों को नियुक्त करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देने का भी हर सम्भव प्रयत्न किया जाता है।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत् अनुसन्धान केन्द्र, खड़कवासला

6770. **श्री एस० एम० जोशी :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, 1967 के पहले सप्ताह में 27 कर्मचारियों को सेवामुक्ति के नोटिस दिये जाने के विवाद के बारे में समझौता अधिकारी (सेन्ट्रल)-1 बम्बई ने केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसन्धान केन्द्र, खड़कवासला के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों तथा इस केन्द्र के निदेशक के बीच समझौता वार्ता कराई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वार्ता के दौरान किसी स्तर पर कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने यह प्रस्ताव रखा था कि जिन कर्मचारियों को सेवा मुक्ति के नोटिस दिये गये हैं उन्हें जबरी छुट्टी पर समझा जाये ;

(ग) क्या यह भी सच है कि जब निदेशक तथा उसके प्रतिनिधि इन प्रस्तावों पर विचार करने के लिये तैयार थे तो, समझौता अधिकारी बम्बई ने प्रबन्धकों को सलाह दी कि कर्मचारियों को जबरी छुट्टी देना आवश्यक नहीं है ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि इस संस्थान के कर्मचारी संघ ने उपर्युक्त समझौता अधिकारी के पक्षपातपूर्ण रवैये के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) जी हां । केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधान कामगार सभा ने एक अभ्यावेदन दिया था । बम्बई के प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), ने समझौता अधिकारी के विरुद्ध की गई शिकायत की जांच की और वह इस निर्णय पर पहुंचे कि आरोप सही नहीं है ।

संगीत नाटक अकादमी के भूतपूर्व सचिव के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा

6772. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संगीत नाटक अकादमी के भूतपूर्व सचिव के विरुद्ध आपराधिक मुकदमे में, जो 10 अगस्त, 1961 को दायर किया गया था कब निर्णय सुनाये जाने की संभावना है ;

(ख) संबंधित अभियुक्तों के बारे में निर्णय किये जाने में इतना विलम्ब होने के क्या कारण हैं ;

(ग) कानूनी कार्यवाही को शीघ्र पूरा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) मामला न्यायाधीन है। यह नहीं कहा जा सकता कि मामले की सुनाई सम्भवत : कब तक समाप्त होगी।

(ख) मुजरिम की गम्भीर बीमारी और उसके द्वारा अपनाई गई विलम्बकारी चालें।

(ग) न्यायालय से तथा उप-आयुक्त से अनुरोध किया गया है कि मामले की सुनवाई रोजाना की जाए।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विज्ञान के प्रतिभाशाली लोगों की योजना

6773. **श्री न० रा० देवघरे** : शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विज्ञान शिक्षा विभाग (शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद) द्वारा जनवरी, 1967 में विज्ञान के प्रतिभा शाली लोगों की खोज की योजना के अन्तर्गत जो परीक्षा ली गई थी, उसके आधार पर चुने गये कुल उम्मीदवारों की संख्या कितनी है ;

(ख) उम्मीदवारों का चयन किस आधार पर किया गया था ;

(ग) क्या यह सच है कि चुने गये अधिकतर उम्मीदवारों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है क्योंकि उन्होंने इंजीनियरी, चिकित्सा तथा अन्य पाठ्यक्रमों को लेना पसन्द किया था ;

(घ) क्या ऐसे विद्यार्थी को, जो दुर्भाग्य से कुछ कम अंक प्राप्त करने के कारण चुने नहीं गये थे, उस स्थिति में प्रोत्साहन देने के लिये कोई तालिका तैयार की गई है, यदि चुने हुए कुछ उम्मीदवार छात्रवृत्ति का लाभ नहीं उठाते ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) 366

(ख) चयन योग्यता, लिखित परीक्षा, रुचि परीक्षा तथा एक विज्ञान प्राजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है।

(ग) जी हां।

(घ) जी नहीं।

(ङ) निर्धारित स्तर से कम योग्यता वाले उम्मीदवारों को चुनना इस योजना के हित में नहीं होगा।

लक्कादीव, मिनिकाय तथा अमीनदीव द्वीप समूह में रूढ़िगत कानून

6774. **श्री श्रीधरन** :
श्री आविचन :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लक्कादीव द्वीप समूह संघ राज क्षेत्र का न्यायिक प्रशासन लक्कादीव और मिनकाय द्वीपसमूह (कानून) में 1912 के विनियम 1 तथा अमीनदीव द्वीप-समूह में रूढ़िगत कानून पर आधारित है ; और

(ख) यदि हां तो, लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीव द्वीपसमूह (कानून) विनियम 1966 तथा लक्कादीव, मिनीकाय और अमीनदीव द्वीपसमूह दीवानी न्यायालय विनियम, 1965 को लागू न किये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) **लक्कादीव और मिनिकाय द्वीपसमूह** में दीवानी तथा फौजदारी न्याय का प्रशासन लक्कादीव द्वीप समूह तथा मिनिकाय विनियम 1912 (1912 का विनियम संख्या 1) के अधीन किया जाता है। **अमिनदीव द्वीप समूह** में फौजदारी मामलों पर दंड प्रक्रिया संहिता 1898 के अधीन कार्यवाही की जाती है और दीवानी मुकदमों की डिप्टी तहसीलदार असैसरों की सहायता से जांच करता है। इन असेसरों को मुक्तेसर कहा जाता है।

(ख) लक्कादीव मिनिकाय तथा अमिनदीव द्वीपसमूह (कानून) विनियम 1965 में संविधान से पहले के 121 कानूनों को संघ राज्य क्षेत्र लक्कादीव मिनिकाय तथा अमिनदीव द्वीप समूह में लागू करने की व्यवस्था हैं और लक्कादीव मिनिकाय तथा अमिनदीव द्वीप समूह (दीवानी न्यायालय) विनियम 1965 में संघ राज्य क्षेत्र में दीवानी न्यायालयों की स्थापना तथा अन्य सम्बन्धित मामलों की व्यवस्था है। इन विनियमों को लागू करने के लिए विस्तृत प्रारम्भिक काम किया जाना था। यह काम पूरा होने के करीब है और विनियमों को शीघ्र ही लागू कर दिया जाएगा।

विपीन कारा में टेलीफोन की सुविधाएं

6775. **श्री विश्वनाथ मैनन :**
श्री नायनार :

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में एर्नाकुलम जिले में विपीन कारा में टेलीफोन की सुविधाओं का विस्तार करने के लिये केरल राज्य के नाराकल निर्वाचन-क्षेत्र के विधान सभा सदस्य की ओर से सरकार को दिनांक 28 अप्रैल, 1967 का पत्र प्राप्त हो चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां।

(ख) विधान सभा सदस्य को यह सूचना पहले ही दी जा चुकी है कि—

(i) तुरन्त मांगों की पूर्ति के लिए 25 लाइन के मौजूदा स्वचल केन्द्र के स्थान पर हाल ही में 100 लाइन का केन्द्र स्थापित कर दिया गया है। साधन उपलब्ध होने पर उसका आगे विस्तार करने की कार्यवाई यथा समय की जाएगी।

(ii) नरक्कल का एर्नाकुलम से सीधा सम्बन्ध स्थापित करन हालांकि शीघ्र ही संभव नहीं है, फिर भी मौजूदा संचार सुविधाओं में सुधार करने के प्रयत्न किये जाएंगे ।

एक राजभाषा के रूप में कोंकणी

6776. श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री नायनार :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गोआ में कोंकणी भाषा को राज भाषा के रूप में मान्यता देने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

घेमो मुख्य कोयला खान, आसनसोल में दुर्घटना

6777. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रबन्धकों की लापरवाही के कारण 3 जुलाई, 1967 को अथवा उसके पहले आसनसोल स्थित घेमो मुख्य कोयला खान में दुर्घटना हुई थी ;

(ख) क्या इसके विरोध में इस कोयला खान के मजदूरों ने एक जलूस निकाला था ;

(ग) क्या प्रबन्धकों के आदमियों ने इस जलूस पर गोलियां चलाई थीं जिसके परिणामस्वरूप कुछ व्यक्ति मारे गये थे तथा कुछ लोगों को चोटें आई थीं ; और

(घ) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) इस खान में 3 जुलाई की शाम को एक दुर्घटना हुई, जिसमें दो मजदूरों की मृत्यु हो गई । खान सुरक्षा महानिदेशक ने अधीनस्थ पर्यवेक्षक कर्मचारियों को इस दुर्घटना के लिये उत्तरदायी ठहराया हैं ।

(ख) 5 तारीख की सुबह को उन अन्य दो मजदूरों की लाशों के साथ एक जलूस निकाला गया, जिनकी 3 जुलाई की सुबह को दो विरोधी मजदूर दलों में हुए दंगे में लगी चोटों के परिणामस्वरूप 4 जुलाई को मृत्यु हो गई थी । इस दंगे में 9 व्यक्तियों के बंदूक की गोलियों से घायल होने की रिपोर्ट मिली ।

(ग) ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है ।

(घ) यह सूचना मिली है कि 3 जुलाई की सुबह को हुए दंगे के सम्बन्ध में पुलिस ने कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कालियरी के मैनेजर भी हैं ।

एरणाकुलम् में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल

6778. **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री अब्राहम :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के एरणाकुलम नगर में एक कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल बनाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसके निर्माण से एरणाकुलम नगरपालिका के वार्ड संख्या 11 में पैनाडी पैरम्बूर सड़क रुक जायेगी ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को उस वार्ड के निवासियों से उस निर्माण कार्य के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

(घ) एरणाकुलम नगर प्राधिकारियों की अनुमति से यह सड़क बस्ती के लोगों को किसी प्रकार की असुविधा दिये बिना दूसरी तरफ ले जाई जा रही है ताकि अस्पताल का निर्माण आसानी से किया जा सके ।

Yogic Exercises

6779. **Shri K. M. Madhukar :**
Shri Ramavatar Shastri :
Shri Bhogendra Jha :

Wil the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether the system of yogic exercises is considered scientific ;

(b) whether Government have tried to find out the effect of yogic exercises on the general health of the public ;

(c) if so, whether Government have drwn up any programme for the Development of yogic exercises ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministary Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b) In the absence of reliable data on the efficacy of yogic system the Government

of India had set up a Committe to evaluate the apeutical claims of yogic practices. This Committee felt that it was not possible to evaluate the various therapeutical claims made for yogic treatment of various diseases due to the absence of records maintained on proper and scientific lines. The Committee, however, expressed the opinion that Yogic Exercises might play an important role in the prevention of diseases and maintenance of positive health.

(a) and (d) The Government have included a set of yogic exercises in the National Fitness Corps a National Programme of Physical Education evolved by Government and accepted by almost all the State Governments. The Government also renders financial assistance to selected institutions of yoga for their research and training Programmes in yoga.

Class III Employees in Different Ministers

6780. **Shri Hardayal Devgun :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of class III employees of the Central Secretariat Service in different Ministries/Departments separately who have been made permanent after decentralisation ;

(b) whether there is any Minister/Department where no such employee has been made permanent so far.

(c) if the reply to part (b) above be in the affirmative, the names of Minister/Departments and the reasons for not making such employees permanent ; and

(d) whether it is proposed to centralise the Central Secretariat Service again in the near future ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(d) No Sir.

प्रशासनिक सुधार आयोग

6781. श्री हेम राज : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के कार्य-संचालन के बारे में अध्ययन करने के लिये भी अपना अध्ययन दल बनाया है ; और

(ख) यदि हां तो उस दल के सदस्य कौन कौन हैं तथा उनका अध्ययन और जांच का क्षेत्र क्या है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) इस अध्ययन दल में निम्न लिखित व्यक्ति शामिल हैं :-

1,	श्री आर० आर० मोरारका	अध्यक्ष
2.	श्री ऐम० ऐन० नघनूर, संसद सदस्य	सदस्य

3.	श्री त्रिलोक सिंह, संसद सदस्य	सदस्य
4,	श्री ऐल० सी० जैन, जनरल सैक्रेटरी, इंडियन कोग्रापरेटिव यूनियन लिमिटेड नई दिल्ली	सदस्य
5.	श्री ए० डी पांडे, संयुक्त सचिव गृह कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
6.	श्री डी० जे० मदान, संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
7.	श्री नरेश चन्द्र, उप सचिव, प्रशासनिक सुधार आयोग, नई दिल्ली	सचिव
8.	श्री ए० के०, चटर्जी, विशेष कार्याधिकारी प्रशासनिक सुधार आयोग, नई दिल्ली ।	संयुक्त सचिव

यह अध्ययन दल संघ राज्य क्षेत्रों (दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मनीपुर त्रिपुरा, अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह, लक्कादीव, मिनिकाय तथा अमिनिदिवी द्वीपसमूह दादरा और नागर हवेली, गोग्रा, दमन तथा दिय, पांडीचेरी, चंडीगढ़) की प्रशासनिक व्यवस्था की जांच करेगा और दक्षता का ध्यान रखते हुये विलम्ब से बचने और व्यय में बचत करने की दृष्टि से सुधारों के बारे में सुझाव देगा । अध्ययन दल भारत सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के बीच सम्बन्धों की जांच करेगा और जहां कहीं आवश्यक होगा उनकी पुनः व्याख्या करने के लिये सिफारिश करेगा ।

इसके अलावा निम्नलिखित कार्य भी अध्ययन दल को सौंप दिये गये हैं :–

क–सभी संघ राज्य क्षेत्रों के लिये

1. करों तथा राजस्व के अन्य साधनों की वर्तमान व्यवस्था की जांच करना और वैज्ञानिकीकरण के तौर पर तथा संघ राज्य क्षेत्रों के राजस्व साधनों को बढ़ाने के लिये संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य और समवर्ती दोनों सूचियों के अन्तर्गत आने वाले मामलों के बारे में आवश्यक अथा किये जा सके है योग्य परिवर्तनों यह संशोधनों की सिफारिश करना ।

2. चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1968–69 से 1970-71 तक) तक के शेष वर्षों की संघ राज्य क्षेत्रों की उन वर्षों में की जा सकने वाली राजस्व प्राप्तियों का आकलन करों तथा राजस्व की वसूली के अन्य साधनों के आधार पर ।

3. तीसरी योजना में पूरी की गई योजनाओं को चलता रखने के लिये किये जाने वाले राजस्व व्यय की पूर्ति के लिये संघ राज्य क्षेत्रों की वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाना ।

4. संघ राज्य क्षेत्रों में आय व्ययक तैयार करने और व्यय-नियंत्रण की वर्तमान व्यवस्थाओं की जांच करना, और यदि कोई संशोधन आवश्यक हों तो उनके बारे में सुझाव देना ।

ख—केवल विधान-मंडलों वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिये

5. चौथी पंचवर्षीय योजना (1967-68 से 1970-71) के शेष वर्षों के लिये विधान मंडलों वाले संघ राज्य क्षेत्रों को उनके अपने राजस्व के साधनों तथा शुद्ध राजस्व व्यय के बीच अंतर की पूर्ति के लिये सहायक अनुदानों तथा ऋणों के रूप में दी जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि निर्धारित करने के कार्य का नियंत्रण करने वाले सिद्धांतों के बारे में सिफारिशें करने अथवा उनके पूंजी व्यय (ऋणो को मिलाकर) का पता लगाना जैसा भी मामला हो । खासतौर पर इन हिदायतों में इन प्रश्नों पर भी विचार किया जाना चाहिये कि क्या केन्द्रीय सहायता निश्चित राशि की हो या उसकी राशियों संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जुटाये गए साधनों के अनुसार अलग-अलग हों, क्या योजना तथा गैर योजना व्यय के लिये सहायता के लिये अलग-अलग सिद्धान्त अपनाये जायें, और क्या पड़ौसी राज्यों में विकास की गति को मार्गदर्शक तत्व माना जाय ।

6. इस बारे में सिफारिशें देना कि क्या विधान मंडलों वाले संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गए ऋणों के लौटाने योग्य हो सकने के लिये, ऋण निवारण निधियां स्थापित करनी चाहिये या कि उन्हें पिछले ऋण चुकाने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा नये ऋण दिये जाने चाहिये ।

अवर सचिव तथा उससे ऊपर के पदों के अधिकारियों के सेवा-काल को बढ़ाना

6782. **श्री मोलहू प्रसाद :**
श्री मधु लिमये :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री राम सेवक यादव :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 अगस्त, 1947 से लेकर आज तक अवर सचिव के स्तर के अथवा उसके बराबर के तथा उसके ऊपर के पदों के कितने केन्द्रीय अधिकारियों का सेवा-काल साधारण आयु-सीमा से कितनी बार बढ़ाया गया ;

(ख) क्या सेवा-काल बढ़ाने से पहले संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया गया था ;

(ग) क्या उनका सेवा-काल बढ़ाये जाने के कारण छोटे पदों के अधिकारियों की पदोन्नति पर बुरा प्रभाव पड़ा है ;

(घ) क्या सरकार का ध्यान इस विषमता की ओर दिलाया गया है कि जबकि छोटे पदों के अधिकारियों के रूप में चयन/नियुक्ति के मामले में उनको संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा चुना जाना अनिवार्य है किन्तु सर्वोच्च पदों के अधिकारियों के सेवा-काल को भी बढ़ाने के लिये सरकार के पास असीम शक्ति है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस विषमता को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह कार्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) सेवा काल को बढ़ाने की मंजूरी के अभिलेख आमतौर पर 5 वर्ष तक रखे जाते हैं। अतः 15 अगस्त, 1947 से से संख्या बताना सम्भव नहीं है। फिर भी, 1-12-62 से लेकर उससे बाद के समय की सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के समा-पटल पर रख दी जायेगी। 1-12-62 से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति की आयु 55 वर्ष से बढ़ा कर 58 वर्ष की गई थी।

(ख) जी नहीं, क्योंकि इस प्रकार का परामर्श आवश्यक नहीं है।

(ग) कुछ मामलों में यह बात सत्य हो सकती है।

(घ) जिन अधिकारियों के बारे में पूछा गया है उनकी सेवा/पदों पर प्रारम्भिक नियुक्ति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित कर दी गई थी, यदि इस प्रकार का अनुमोदन आवश्यक था तो अतः सेवा निवृत्ति के बाद सेवा पदों में उनके लगातार बने रहने के बारे में और आगे कोई परामर्श आवश्यक नहीं है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Mysore Maharashtra Border Dispute

6783. Ram Chandra Veerappa :
Shri K. Lakkappa :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that some people are planning to lunch an agitation by unduly stretching the Mysore Maharashtra border problem again ; and

(b) if so, the time by which Government expect to resolve the said dispute ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The Government have no such information.

(b) As I stated in reply to starred question No. 931 in this House on 5th July, 1967, the Commission on Maharashtra-mysore Kerala Border Disputes is expected to submit its report by the end of August, 1967. On receipt of the report Government will have to consider the recommendations and it is not possible to indicate at this stage time by which decision in the matter will be taken and the dispute will be finally resolved.

Assistance to Girl Students

6784. Shri Bhogendra Jha :
Shri Chandra Shekhar Singh :

Will the Minister of Education be pleased to state whether with a view to encourage Women's Education, Government propose to provide on the All-India basis free education to all the girl students up to entrance stage and scholarships as a rule to the girls income of whose parents is less than Rs 300.00 per month ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : No Sir, there is no such proposal under consideration. The matter is entirely the responsibility of State Governments. In some of the States education is already free for girls up to the school leaving stage.

Aboltion of Police Verification For Government Employment

6785. **Shri Bhogendra Jha :**
Shri Chandra Shekhar Singh :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to abolish the system of Police verification for Government employement ;

(b) if so, when ; and

(c) if not. the reasons therefor ?

The Miniser of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) Does not airse.

(c) In order to ensure that persons entering Government service are of good character and loyal. it is essential every appointing authority under Government to satisfy itself on the identity of the candidate and that he or she is suitable in all respects for appointment in the public service. Persons who may have been convicted of criminal offences involving moral turpitude, those who have indulged in Mal-practices at examinations conducted by Public Service Commissions or Universities and are debarred by them from consideration for employment, those who are likely to be disloyal to the State and such other undesirable characters are screened in this process of verification of character and antecedents.

Grants to National Rifle Association

6786. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the amount of grant received by National Rifle Associaction of India from Government and local bodies during 1965-66 ;

(b) whether Government's attention has been drawn to the Audit Report on the Accounts of this Association for 1965-66 ; and

(c) if so, the nature of audit objections ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) :

(a) Grants from Government : Rs. 33,940.35 P.
Grants from local bodies : Nil

(b) Yes. Sir.

(c) The Association has informed Government that they have taken action on all the audit objections contained in the Audit Report for 1965-66, The main objections pertains to the embezzlement of Rs. 20, 969.65 P. by the Accountant of the Association. The Association has stated that the entire amount has been recovered from the Accountant concerned and he has been relieved of his services by them.

नक्सलबाड़ी क्षेत्र में साम्यवादी दल

6787. **श्री दे० अमात :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साम्यवादी दल नक्सलबाड़ी नामक एक तीसरा साम्यवादी दल बन चुका है जो यह दावा करता है कि पश्चिम बंगाल के अधिकांश जिलों में साम्यवादी (मार्क्सवादी) दल के पदाधिकारियों में उसका बहुमत है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) सरकार के पास इस आशय की कोई सूचना नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता हैं ।

दिल्ली में तकनीकी शिक्षा

6788. **श्री मरंडी :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार दिल्ली में तकनीकी शिक्षा के प्रसार के सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन के कार्यक्रम से सहमत नहीं हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली प्रशासन को कहा है कि तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त लोग भी बेरोजगार हैं ;

(घ) यदि हां, तो ऐसे विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है ; और

(ङ) उन्हें रोजगार दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मन्त्री (डा० त्रिगुण सेन) : ऐसा को प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं, किन्तु तथ्य यह है कि दिल्ली में तकनीकी व्यक्ति बेरोजगार हैं ।

(घ) दिल्ली रोजगार कार्यालय रजिस्टर के अनुसार 30-6-1967 को 505 डिग्री धारी तथा 1463 डिप्लोमा धारी बेरोजगारी थे ।

(ङ) चौथी पंच वर्षीय आयोजना के अन्तर्गत योजनाओं और प्रायोजनाओं के कार्यान्वित होने पर, यह उम्मीद की जाती है कि इन बेरोजगार व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा हो जाएंगे ।

मनीपुर राज्य में हत्या की घटनायें

6789. **श्री मेघचन्द्र :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1967 से 30 जून 1967 तक की अवधि में मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र में हत्या की कितनी घटनायें हुई ;

(ख) उक्त अवधि में छुरा मारने तथा अन्य बुरी तरह मारपीट की कितनी घटनायें हुई ;

(ग) पुलिस स्टेशनों में कितने मामले दर्ज किये गये और न्यायालयों में कितने मुकदमें दायर किये गये हैं ;

(घ) कितने अभियुक्तों को अब तक गिरफ्तार किया गया है ; और

(ङ) क्या यह सच है कि अनेक अभियुक्त अभी तक फरार हैं और यदि हां, तो कितने ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) 26 (18 मामलों का सम्बन्ध नागा उपद्रवियों से झड़प के साथ है और 8 दुश्मनी, पुराने मनोमालिन्य आदि के कारण हुए)

(ख) 107.

(ग) दर्ज किए गये मामले – 1384.

न्यायालयों के हस्तक्षेप के योग्य मामले 1265.

(घ) और (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Firing Incident in Delhi on 7th Nov. 1966

6790. Shri O. P. Tyagi :
Shri A. B. Vajpayee :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Deputy Inspector-General of Police gave an assurance in his letter dated the 25th January, 1967 in reply to the communication from Shri Nar Narayan, younger brother of the late Shri Jhumar Mal Asopa who died in the firing incident near the Parliament House on the 7th November, 1966 that the articles relating to the late Jhumar Mal would be returned to him soon ;

(b) if so, whether those articles have been returned ; and

(c) the list thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(a) No, Sir. Those articles will be returned on the conclusion of the trial of the case against the anti-cow slaughter agitators.

(c) List of articles.

1. A dhoti
2. A Banyan.
3. A Kachha.
4. A sacred thread to which a key is tied.
5. A Wrist Watch.

6. Rs. 3/- in one rupee notes.
7. One broken spectacle.
8. Another spectacle.
9. Two receipts of Rs. 2/-each.
10. One Ist Class Pass (A) Free in the name of Shri Jhumar Lal Asopa.
11. One handkerchief.

मैकनीकल इंजीनियर

6791. **श्री नायनार :**
श्री अनिरुद्धन :
श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966 में भारत में कितने मैकैनीकल इंजीनियर बेरोजगार थे और क्या 1967 में उनकी संख्या में वृद्धि हो गई है और राज्यावार उनकी संख्या कितनी है ; और

(ख) निकट भविष्य में उन्हें रोजगार दिलाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) बेरोजगार मैकनिकल इंजीनियरों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है। फिर भी 31 दिसम्बर 1966 को प्रत्येक रोजगार कार्यालयों चालू रजिस्टरों में दर्ज मैकेनिकल इंजीनियरों से सम्बन्धित विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।[**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1210/67**]। सन् 1967 से सम्बन्धित ऐसी जानकारी राज्यों से प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) आशा है पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई विभिन्न विकास प्रायोजनाओं द्वारा बेरोजगार लोगों के लिए, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियर भी शामिल हैं। बढ़े हुए रोजगार अवसर मिलेंगे।

मनीपुर में हिंसात्मक कार्यवाहियां

6792. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **गृह कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर में कुछ गैर नागा आदिम जातियों ने लूटमार करना और चोरी छिपे गोली चलाना तथा अन्य हिंसात्मक कार्यवाहियां करना शुरु कर दिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन लोगों को हथियारों का प्रशिक्षण पाकिस्तान में मिला है और पाकिस्तान ने ही उन्हें हथियार दिये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) अभी हाल ही में मनीपुर में गैरनागा आदिम जातियों द्वारा लूटमार, चोरी छिपे गोली चलाने और अन्य हिंसात्मक कार्यवाहियों की सूचनाएं मिली हैं।

(ख) उनके एक कैम्प से बरामद गोला बारुद में से कुछ पर पाकिस्तान आर्डीनन्स फैक्टरी के चिन्ह थे जिससे पता चलता हैं कि उन्हें इस प्रकार का माल पाकिस्तान द्वारा दिया गया था।

(ग) सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है और उस क्षेत्र में ऐसे तत्वों को नष्ट करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

Friday as Weekly Holiday in Urdu Schools in Andhra Pradesh.

6793. **Shri Balraj Madhok :**
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri O. P. Tyagi :

Will the Minister of **Education** be Pleased to state :

(a) Whether it is a fact that the Urdu Schools established by Government in some parts of the country especially in Andhra Pradesh observe weekly holiday on Friday instead of Sunday; and

(b) if so the steps taken by Government to discontinue the said separatist practice and to introduce uniform rules regarding weekly holiday in the whole country ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) (a) and (b) Information is being collected frem the State Governments and will be placed on the Table of the House.

English as Optional Subject

6794. **Shri Y. S. Kushwah :**
Shri Raghubir Singh Shastri :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Ram Avtar Sharma ;
Shri Atam Das :
Dr. Surya Prakash Puri :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether some states have taken a decision to make English an optional subject;

(b) whether some other States in the country also are considering to adopt the said policy; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) Does not arise.

Arrest of Pak, Spies on Bikaner-Jodhpur Border

6795. **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Hukam Chand Kachwal :
Shri O. P. Tyagi :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that three Pakistani Spies were arrested on Bikaner-Jodhpur border of Rajasthan as reported in the "Hindustan Times" dated the Ist July, 1967;

(b) if so, the action taken by Government in this regard; and

(c) the details of the incriminating documents recovered from them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) The Government of india have no such information, but the State Government have been requested to furnish a report on the subject.

Escape of a Tripura Constable to Pakistan

*6796. **Shri Ram Singh Ayarwal :** **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri O. P. Tyagi : **Shri Hukam Chand Kachwai :**

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Constable of Tripura Police crossed over to Pakistan along with a rifle and cartridges as reported in the "Nav Bharat Times", dated the the 27th June, 1967;

(b) whether it also a fact that this Constable was a Pakistani spy and some of his relatives are in Pakistan; and

(c) if so, the action taken by Government in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla] : (a) Yes, Sir.

(b) There is no evidence on record that he was a Pakistani spy. It is learnt that one of his brothers is in East Pakistan.

(c) A case has been registered against the Constable and is under investigation. Pakistan authorities have been requested to return the Constable with the arms and ammunition.

Seizure of Coca-Cola Bottles on Shahdara-Saharanpur Road

6797. **Shri Ram Singh Ayarwal :** **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri O. P. Tyagi : **Shri Nihal Singh :**

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 2352 Coca-Cola bottles were seized on the Shahdara-Saharanpur Road on the 19th June, 1967 while being taken out from the Capital;

(b) if so, the number of persons against whom action was taken by Government and the nature of action taken; and

(c) the place from where these bottles had been brought ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The bottles were seized on 18th June, 1967 and not on 19th June, 1967.

(b) Four persons were arrested under Section 7/10/55 of the Essential Commodities Act and a case has been registered. Accused persons have been released on bail by the court and the investigation has been in progress.

The bottles are alleged to have been purchased from different shops of Delhi by the accused persons.

R. M. S. Employees, 'C' Division, Gaya

6798. **Shri Ramavatar Shastri :**
Shri K. M. Madhukar :
Shri Chandra Shekhar Singh :

Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) whether the Railway Mail Service Empleyees under Gaya 'C' Division have submitted a seven-point memorandum to him; and

(b) if so, the details of their demands and the steps Government propose to take to meet them ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : A copy of such a memorandum endorsed by the Branch Union to the Minister of Communications has been received.

(b) A list of the demands is placed on the Table of the Sabha [**Placed in Library. See No. LT-1211/67**]. As the memorandum was submitted by a Divisional Branch Union, the Divisional Officer will take necessary action under the existing rules. All PMSG have been instructed to look into the grievances of R. M. S. employees. Similar memoranda have been sent by Branch and Circle Unions to various Heads of P&T Circles.

शेख अब्दुल्ला का कोडाईकनाल से चिकित्सा के लिये नई दिल्ली लाया जाना

6799. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या **गृह–कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शेख अब्दुल्ला को तीव्र रक्त चाप और मधु मेह जैसे रोगों की डाक्टरी जांच के लिये, जिनकी तशखीस किसी भी साधारण अस्पताल में उपलब्ध सामान्य सुविधाओं की सहायता से आसानी से किया जा सकता है, कोडाईकनाल से दिल्ली लाने के क्या कारण हैं ?

गृह–कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हान) : कोडाईकनाल में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की देख भाल करने वाले चिकित्सा-विशेषज्ञों ने सलाह दी थी कि उनको किसी ऐसे स्थान पर स्थानांतरित किया जाना चाहिये, जहां मधुमेह के उपचार के लिये संस्थात्मक प्रबन्ध उपलब्ध हों। अतः मद्रास सरकार के परामर्श से उन्हें अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था, नई दिल्ली में स्थानांतरित किया गया था।

वर्ल्ड एजुकेशन इनकारपोरेटेड. न्यूयार्क द्वारा लखनऊ में साहित्य सदन की स्थापना

6801. **श्री न० कु० साल्वे :**
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :
श्री नाथूराम अहिरवार :

क्या गृह–कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ल्ड एजुकेशन इनकारपोरेटेड, न्यूयार्क ने लखनऊ के समीप नीमा गांव में एक साहित्य सदन की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह साहित्य सदन किसी सैनिक संस्थान के समीप है;

(ग) क्या वहां पर विदेशी एकत्र होते हैं और सैनिक संस्थान के चारों और घूमते रहते हैं;

(घ) क्या देश में अन्य स्थानों पर भी इसी प्रकार की अन्य संस्थाएं हैं और

(ङ) क्या सरकार इस बात पर विश्वास करती है कि ऐसी संस्थाएं जासूसी के केन्द्र हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे बने हुए हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) वर्ल्ड एजुकेशन इनकारपोरेटेड, न्यूयार्क ने लखनऊ-कानपुर सड़क पर कृष्ण नगर में एक साहित्य सदन की स्थापना की है न कि लखनऊ के निकट नीमा में ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान ।

(ग) इस केन्द्र में विदेशी आते हैं किन्तु भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए उनके किसी सैनिक संस्थान के आसपास घूमने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(ङ) यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि यह साहित्य सदन किसी अवांछित गतिविधि का केन्द्र है ।

Education Pattern in India

6802. Shri N. K. P. Salve :
Shri Nitiraj Singh Chaudhary :

Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether the Pattern of education has been changed several times in the country since the Independence;

(b) if so, how many times;

(c) whether the experiments were made before accepting and implementing the changes; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) and (b) In the post-Independence period an attempt was made to change the pattern of education only once, i. e. from 1954 onwards when following the Reports of the University Education Commission (1948-49) and the Secondary Education Commission (1952), the eleven-year Higher Secondry system was adopted at the school stage and the three-year degreee course was adopted for the first degree in arts, science and commerce.

(c) Before their grneral adoption. the higher secondary system and the three-year degree course had been tried and found successful in Delhi.

(d) Does not arise.

आसाम में प्राचीन स्मारक

6803. श्री वि० ना० शास्त्री : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में पुरातत्वीय विभाग द्वारा कितने तथा किन किन प्राचीन स्मारकों का परिरक्षण किया जाता है और वे कहां-कहां पर हैं; और

(ख) इन अवशेषों तथा स्मारकों के परिरक्षण पर प्रति वर्ष पृथक-पृथक कितनी राशि खर्च होती है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) कृपया केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों। स्थानों की अखिल भारतीय सूची को देखलें जो संसद-पुस्तकालय में उपलब्ध है। केन्द्रीय सूची में असम के 64 स्मारक स्थान हैं।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1212/67]**

पुरातत्व विभाग का सर्किल मुख्यालय

6804. श्री वि० ना० शास्त्री : क्य शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुरातत्व विभाग के पूर्वी सर्किल का मुख्यालय कलकत्ता में होने के कारण आसाम और उसके आस पास के क्षेत्रों के प्राचीन अवशेषों और स्मारकों के परिरक्षण काम कारगार ढंग से नहीं किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार आसाम, मनीपुर त्रिपुरा नागालैंड और नेफा के लिये पुरातत्व विभाग का एक सर्किल मुख्यालय गौहाटी में खोलने का है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) फिलहाल, गौहाटी में कोई परिमंडल स्थापित करने का विचार नहीं है।

मिजो लोगों के साथ मुठभेड़

6805. श्री वि० ना० शास्त्री : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1967 में आसाम में सिल्चर-आईज़ाल सड़क पर क्लासिबों में जो घटना घटी थी, जिसमें सुरक्षा सैनिकों को ले जा रही मोटरगाड़ी पर विद्रोही मिजों लोगों ने हमला किया और मार डाला था, उसमें उस मोटर गाड़ी का ड्राइवर शत्रु से मिला हुआ था;

(ख) क्या यह भी सच है कि जब ड्राइवर से तेजी से गाड़ी चलाने के लिये कहा गया, तो उसने गाड़ी को एक निर्जन स्थान में रोक लिया;

(ग) क्या वह ड्राइवर भागकर विद्रोहियों से जा मिला था; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आसाम में भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारी

6806. श्री वि० ना० शास्त्री : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम पदालि में भारत प्रशासन सेवा के कितने अधिकारी हैं;

(ख) क्या जनसंख्या के अनुपात के अनुसार उनकी संख्या अन्य राज्यों के समान है; और

(ग) विभिन्न राज्यों में भारत प्रशासन सेवा के कितने अधिकारी हैं तथा प्रत्येक राज्य में जनसंख्या और उनके बीच कितना अनुपात है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) पदालि की अधिकृत संख्या 117 है । नियुक्त अधिकारियों की संख्या 108 है ।

(ख) जी नहीं श्रीमान । भारतीय प्रशासन सेवा की पदालि, प्रत्येक राज्य के लिए जन संख्या के आधार पर निर्धारित नहीं की जाती, अपितु राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार की जाती है ।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1213/67]**

शैक्षिक प्रशिक्षण सम्बन्धी राष्ट्रीय परिषद् नई दिल्ली

6807. श्री सिद्दय्या :
श्री राम चन्द्र वीरप्पा :
श्री अगाड़ी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शैक्षिक प्रशिक्षण संबन्धी राष्ट्रीय परिषद (क्षेत्रीय सेवा विभाग) के कार्यालय को हाल ही में तिमारपुर से हटाकर ग्रीनपार्क एक्सटेंशन) नई दिल्ली में लाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और पहले कितना किराया दिया जाता था और और अब कितना दिया जा रहा है ;

(ग) क्या यह सच है कि हाल में जो वर्षा हुई थी उसके दौरान इस नये कार्यालय में पानी भर गया था; और

(घ) क्या इस कार्यालय को वहां से हटाकर किसी उपयुक्त स्थान में ले जाने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) राष्ट्रीय परिषद के कार्यालय का स्थान परिवर्तन नहीं किया गया है अपितु राष्ट्रीय शिक्षा संस्था के क्षेत्रीय सेवा विभाग के कार्यालय का स्थान परिवर्तन किया गया है।

(ख) स्थान-परिवर्तन का कारण राष्ट्रीय संस्था के विभिन्न विभागों को एक केन्द्रीय स्थान पर बसाना है ताकि संस्था के अनुसन्धान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रभावकारी समन्वय स्थापित किया जा सके। पहले भवन का मासिक किराया 4690 रुपये था और नये भवन का मासिक किराया लगभग 5425 रुपये है। परन्तु नये भवन में संस्था के विभिन्न विभागों का मिला जुला पुस्तकालय भी स्थित है।

(ग) हाल की वर्षा में नगर निगम की मुख्य सीवर लाइन रुक गई थी और इसके परिणामस्वरूप सर्विस लाइनों से तहखाने में पानी भर गया था। सर्विस लाइनों को जोड़ा गया और तहखानों से पानी निकाला गया। यह भवन बिल्कुल सुरक्षित है।

(घ) इस विभाग को राष्ट्रीय संस्था के भवन बनने के बाद संस्था के हौज खास कैम्पस में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।

विद्रोही मिजो

6808. श्री समर गुह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के धर्मनगर सब डिविजन के जम्मू क्षेत्र में छाये हुए मिजो लोग आसाम के विद्रोही मिजो लोगों को सक्रिय सहयोग दे रहे हैं ;

(ख) क्या इस क्षेत्र के मिजो लोगों में ईसाई धर्म-प्रचारक राष्ट्रविरोधी भावनाएं भड़का रहे हैं ;

(ग) क्या एक भूतपूर्व संसद् सदस्य ने इस क्षेत्र में ऐसे कार्य किये हैं जिनसे मिजो लोगों को यह प्रोत्साहन मिलता है कि वे मिजो नेशनल फ्रंट की गति विधियां त्रिपुरा में भी शुरू करदें ; और

(घ) क्या त्रिपुरा के अरुन्धन्तीनगर नामक बस्ती जहां ईसाई धर्म-प्रचारक मिजो लोगों के लिये स्कूल और होस्टल चला रहे हैं ; धर्म-प्रचारकों के भारत विरोधी उपदेशों के परिणाम स्वरूप राष्ट्रविरोधी गतिविधियों का गढ़ बन गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (घ) हमारे पास कोई सूचना नहीं है किन्तु उपद्रवात्मक तथा विद्रोहात्मक गति विधियों के विरूद्ध कड़ी सतर्कता रखी जाती है।

पश्चिम बंगाल में पुनर्वास कार्य

6809. श्री समर गुहा : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल के पुनर्वास मंत्री ने केन्द्रीय सरकार को पुनर्वास सम्बन्धी एक योजना पेश की है जिसमें कहा गया है कि (1) भूतपूर्व शिविर शरणार्थियों, पूर्वी पाकिस्तान

से आने वाले नये व्यक्तियों, पश्चिम बंगाल से बाहर के शिविरों से भागे हुए व्यक्तियों, शिविर में न रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों, बेदखल किये गये अल्पसंख्यकों तथा सड़कों के किनारे और रेलवे तथा सरकारी भूमि पर अनधिवासी से व्यक्तियों को तुरन्त बसाना चाहिए, (2) 1950 से पहले और बाद में बनी अनधिवासी बस्तियों को शीघ्र विनियमित करना चाहिए (3) गैर-सरकारी तथा सहकारी बस्तियों को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। (4) शरणार्थियों के लिये गृह-निर्माण ऋण बढ़ाये जाने चाहियें (5) विस्थापित व्यक्तियों के आर्थिक पुनर्वास के लिये छोटे पैमाने के कुटीर तथा अन्य उद्योग स्थापित किये जाने चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) (क) और (ख) : पश्चिम बंगाल के पुनर्वास मंत्री से इन मदों के बारे में कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है। प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित (1) से (5) तक की मदें, राज्य पुनर्वास मंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा के लिये पश्चिम बंगाल के पुनर्वास मंत्री द्वारा भेजी गई मदों में सम्मिलित करली गई थी। इन मदों पर केन्द्रीय पुनर्वास मंत्री ने पश्चिम बंगाल के पुनर्वास मंत्री के साथ 16-5-67 को चर्चा की और 12-6-1967 तक 10-7-1967 को पश्चिम बंगाल के राज्य पाल के साथ चर्चा की थी।

यह निर्णय किया गया कि शिविरों में पानी सप्लाई करने की तुरन्त आवश्यकता को 200 रुपये प्रति नलकूप की लागत से, नल कूपों द्वारा पूरा किया जाए। पश्चिम बंगाल सरकार को यह भी अधिकार दे दिया गया है कि अवशिष्ट मूल्यांकन के अधीन दी गई राशि में से 30 लाख रुपये की सीमा तक कठोर मामलों में गैर शिविर विस्थापित परिवारों को ऋण की सहायता दी जाए। यह भी प्रस्तावित किया गया है कि पश्चिम बंगाल में रह रहे नये प्रव्रजकों को जो शिविरों में जाना चाहते हैं उन्हें नई पेशकश दी जाये और इस अवस्था में वे सब प्रकार की पुनर्वास सहायता पाने के हकदार होंगे, जो कि उनको भारत आने पर शिविरों में प्रवेश होने पर दी जाती।

पश्चिम बंगाल में पुराने विस्थापितों के लिये किये गये पुनर्वास कार्य की प्रगति तथा छानबीन के लिये जो पुनर्वास समीक्षा समिति नियुक्त की गई है, वह नये विस्थापित व्यक्तियों की समस्याओं तथा इन मदों के बारे में भी छानबीन करेगी। सरकार समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रही है।

All-India P & T Department Pensionars' Union.

***6810. Shri S. S. Kothari :**
Shri Hukam Chand Kachwani :
Shri P. N. Solanki :

Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) whether the Madya Pradesh Pensioners' Union of P & T Department has submitted a charter of demands to Government;

(b) if so, the nature of their demands;

(c) the extent to which Government have accepted their demands; and

(d) whether these demands are proposed to be implemented in respect of all Central Government pensioners ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) No, Sir .

(b) to (d) Do not arise .

Seizure of Arms in Manipur

6811. **Shri Y. S.Kushwah :**
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Parkash Vir Shastri :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Atam Das :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Manipur Administration recently unearthed huge du np of arms and ammunitions ;

(b) whether it is also a fact that the seized material bore Pakistani markings ;and

(c) if so, the details thereof and the reaction of Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Sukla): (a) to (c) : The police carried out a raid on a camp of non-Naga hostiles near Taphou in Sadar Hills sub-division on 11th June 1967 and captured a large number of arms and ammunition . The arms had makings erased or no markings at all . Some of the .303 ammunition captured during the raid bears Pakistan Ordnance Factory markings· A strong protest has been lodged with Pakistan and police patrolling in this area has been intensified.

बिहार के दुर्भिक्ष-ग्रस्त क्षेत्र में कार्य करने वाले विदेशी धर्म प्रचारक

6812. **श्री नायनार :** क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के दुर्भिक्ष-ग्रस्त क्षेत्रों में विदेशों के कितने धर्म प्रचारक कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या अमरीकी धर्म प्रचारकों भी इन क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं और यदि हां, तो उसकी संख्या कितनी है ;

(ग) क्या विदेशी धर्म प्रचारकों को अमरीका सहित सारे विश्व से सहायता मिलती है; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें 1966 में कितनी धन राशि मिली थी ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) आधुनिकतम उपलब्ध सूचना के अनुसार बिहार में पंजीकृत विदेशी तथा राष्ट्र मंडलीय धर्म प्रचारकों की संख्या 375 है । इस बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है कि उनमें से कितने दुर्भिक्षग्रस्त क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं ।

(ख) जी हां, श्रीमान्–185

(ग) जी हां, श्रीमान ।

(घ) आधुनिकतम उपलब्ध सूचना के अनुसार जनवरी से सितम्बर, 1966 तक की अवधि के दौरान कुल लगभग 60 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई ।

जमशेदपुर टेलीफोन केन्द्र

6813. **श्री शिव चण्डिका प्रसाद :**
श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1967 से जमशेदपुर में एक स्वचालित टेलीफोन केन्द्र कार्य कर रहा है और इस बात के बावजूद कि प्रतीक्षा सूची में नये टेलीफोन लगवाने के इच्छुक लोगों के हजारों आवेदन पत्र अनिर्णित पड़े हुए हैं ; पिछले छः महीनों में एक भी नया टेलीफोन किसी आवेदक को नहीं दिया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने उस क्षेत्र में अभी तक कोई सलाहकार समिति नियुक्त नहीं की है और राज्य सलाहकार समिति भी नियुक्त नहीं की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (ग) जनवरी, 1967 में 1500 लाइनों की क्षमता का एक नया स्वचल टेलीफोन केन्द्र चालू कर दिया गया था । यह टेलीफोन केन्द्र जमशेदपुर में पहले से ही काम करने वाले टिस्को टेलीफोन केन्द्रों के स्थान पर लगाया गया था और 356 नम्बरों को छोड़कर, इन केन्द्रों से जिन उपभोक्ताओं को सेवा उपलब्ध थीं, उन्हें केवल नये केन्द्र से ही कनेक्शन दिये जा सकते थे । इस केन्द्र में और लाइनें लगाई जा रही हैं और टेलीफोन यंत्रों और लोहे के तार जैसे दूसरे सामान के उपलब्ध होने पर पहले टिस्को के उपभोक्ताओं को इस केन्द्र से जोड़ा जाएगा । 2500 लाइनों के विस्तार का एक कार्यक्रम पहले ही से हाथ में है और उसके इस वर्ष के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है । तब प्रतीक्षा-सूची पर मौजूद आवेदकों को टेलीफोन देना संभव हो जायेगा ।

जमशेदपुर के लिए एक टेलीफोन सलाहकार समिति बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है । इस कार्य के लिए कोई राज्य सलाहकार समिति नहीं है ।

पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए मनीपुरी तथा बंगाली शरणार्थी

6814. **श्री मेघचन्द्र : क्या श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान से आये हुये कितने मनीपुरी और बंगाली शरणार्थियों को मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र में बसाया जा चुका है और कितने शरणार्थी मनीपुर में बसना चाहते हैं;

(ख) कितने शरणार्थियों को भूमि और वित्तीय सहायत दी गई है;

(ग) कितने शरणार्थी ऐसी सहायता प्राप्ति के लिए अब भी मनीपुरी सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं;

(घ) क्या यह सच है कि लगभग 214 परिवारों (मनीपुरी तथा बंगाली) को अभी तक नहीं बसाया गया और उनके मामले चिर-काल से निपटाये नहीं गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) ; (क) और (ख) मनीपुर सरकार ने सूचित किया है कि पूर्वी पाकिस्तान से आये 1,067 विस्थापित व्यक्तियों ने मनीपुर में बसने की इच्छा प्रकट की है, इनमें से 849 परिवारों को भूमि दी गई थी और 63 परिवारों के अतिरिक्त सभी परिवारों को वित्तीय सहायता भी दी गई थी।

(ग) 214 पुराने प्रवृजक परिवार अब भी मनीपुर सरकार से भूमि के लिये प्रार्थना कर रहे हैं, और नये प्रव्रजकों के 4 परिवार, जो 1 जनवरी, 1964 या उसके बाद आये हैं, वे भी भूमि तथा वित्तीय सहायता के लिये प्रार्थना कर रहे हैं ।

(घ) और (ङ): चूंकि पुराने प्रव्रजकों के 214 परिवार बहुत वर्षों से मनीपुर में रह रहे हैं, उन्हें स्थानीय जनता के साथ मिला हुआ समझना चाहिए और उन्हें वे सहायता ही मिलनी चाहिए जो स्थानीय लोगों के लिये उपलब्ध है। ये मामले मनीपुर सरकार के विचाराधीन हैं और इन्हें भूमि देने के बारे में प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

दिल्ली मे कारों की चोरियां

6816 श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में दिल्ली में हुई कारों की चोरियों के कितने मामले दर्ज हुए;

(ख) कितनी कारों का पता लगाकर उनके मालिकों को लौटाई गई ;

(ग) इन में से कितनी कारें ऐसी हालत में पायी गई, जिनकी मरम्मत नहीं हो सकती थी अथवा जिनके पुर्जे निकाल लिये गये थे ; और

(घ) कारों की चोरियां करने वाले लोगों का पता लगाने के लिये कितने पुलिस कर्मचारी लगाये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1214/67]**

(घ] ऐसे मामलों के बारे में कार्यवाही करने के लिए एक ओटोथेफ्ट स्कवाड बनाया गया है जिसमें एक इन्स्पैक्टर, दो सब इन्सपैक्टर, एक असिस्टैन्ट सब इंस्पैक्टर, दो कान्सटेबल हैं और चार कान्सटेबल हैं।

पाकिस्तान से आये शरणार्थियों का दिल्ली में पुनर्वास

6817. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान से सबसे पहले आये हुए लगभग 700 परिवारों को अभी तक दिल्ली में नहीं बसाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ; और

(ग) उनको शीघ्र बसाने के लिए यदि सरकार कोई कार्यवाही कर रही है तो क्या ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) लगभग 700 परिवार जिन्हें सर्वप्रथम किंग्जवे कैम्प की बैरकों में आवास दिया गया था उन्हें अन्य विस्थापित व्यक्तियों की भान्ति, जो वहां रह रहे हैं, घर नहीं दिये गये हैं । इसके अतिरिक्त इन विस्थापितों के बारे में कोई पुनर्वास समस्या शेष नहीं है ।

(ख) आस पास भूमिकी अप्राप्यता तथा दूरस्थ स्थानों पर जाने के लिये विस्थापित व्यक्तियों की अनिच्छा ।

(ग) 700 घर निर्माण करने के लिये एक योजना पहले ही मंजूर की जा चुकी है और दिल्ली नगर निगम द्वारा कार्यान्वित की जा रही है ।

मोहनजोदाड़ो की पुरातत्व सम्बन्धी खुदाइयों को क्षति

6818. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खारेपन के कारण मोहनजोदाड़ों को क्षति पहुँची है ;

(ख) क्या न्यूबियन घाटी के स्मारकों की भांति मोहनजोदाड़ो को बचाने की यूनस्को ने योजना बनाई है ;

(ग) क्या इस मामले में यूनेस्को, पाकिस्तान ने सरकार से किसी प्रकार की मदद-सहायता देने का अनुरोध किया है ; और

(घ) भारतीय सभ्यता के इस बेजोड़ प्रतीक का संरक्षण करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार को जानकारी नहीं है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि खोदे गए अवशेष पाकिस्तान में हैं ।

Teaching of Scince in Hindi in Rajasthan University

*6819. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri V. S. Kushwah :
Shri Hukam Chand Kachwai:
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Atam Das :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Raghuvir Singh Shastri :

Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that teaching of science in Hindi has been started in the Rajasthan University;

(b) If so, whether the same arrangements are also proposed to be made for the Universities of the other States; and

(c) If so, the time likely to be taken and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen): (a) The required information has been called for from the University and will be laid on the Table of the Sabha,

(b) and (c) It will be for the Universities to formulate a programme for the change over of the medium to the regional language concerned without lowering the standard.

People Belonging to U P. Residing in Naxalbari

6820. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Raghuvir Singh Shastri
Shri Atam Das :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Shri Y. S. Kushwah :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) Whetner it is a fact that property of thousands of people belonging to the families from Uttar Pradesh settled in Naxalbari has been looeted and they have returned to their home State;

(b) Whether it is also a fact that the Uttar Pradesh Government have expressed their inability to take any action in this regard;

(c) Whether the persons concerned or the State Government have approached the Central Government to take some action in this regard; and

(d) If so, the action taken by Government to ensure the payment of compensation to them and Government's general reaction in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) Facts are being ascertained and the information will be laid on the Table of the House in due course.

(c) No. Sir.

(d) Does not arise.

मिजो पहाड़ी क्षेत्र में गांवों का पुनर्गठन

6821. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या गृह–कार्य मंत्री 5 जुलाई, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 932 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मिजो जिले के पार्वी–लाखेर क्षेत्र के गांवों की उनकी सुरक्षा की दृष्टि से, पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत लाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक कार्यरूप दिया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

गृह–कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) ऐसा कोई सुझाव विचाराधीन नहीं है। इस समय पुनर्गठन करने के बारे में सोचना समयोचित नहीं होगा क्योंकि खेती का काम इस समय जोरों पर है।

सरस्वती की मूर्ती का गुम हो जाना

6822. **श्री बलराज मधोक :**
श्री राम सिंह अयरवाल :
श्री अटल बिहारी बाजपेयी :
श्री बेणी शंकर शर्मा :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :
श्री ना० स्व० शर्मा :
श्री सूरज भान :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री जि० ब० सिंह :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री बृज भूषण लाल :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश सरकार मध्य प्रदेश के धार जिले के माण्डव क्षेत्र से सरस्वती की एक अत्यन्त दुर्लभ बहुमूल्य मूर्ति इंगलैंड ले गई थी;

(ख) क्या सरकार ने मूर्ति को वापस भारत में लाने के लिये कोई कार्यवाही की है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस विषय में मध्य प्रदेश सरकार को कोई सलाह दी है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर मध्य प्रदेश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य–मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय संस्कृति की अन्तर्राष्ट्रीय अकादमी, नई दिल्ली

6823. **श्री योगेश्वर शर्मा :**
श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में हौज खास स्थित भारतीय संस्कृति की अन्तर्राष्ट्रीय अकादमी के कर्मचारियों ने इस संस्थान पर भी कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 लागू किये जाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) कर्मचारियों की मांग स्वीकार करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) यह प्रतिष्ठान कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत लाया गया था लेकिन मैनेजमेंट इस कार्रवाई का प्रतिरोध कर रहा है। इस मामले पर भविष्य निधि के प्राधिकारियों की सलाह से आगे विचार किया जा रहा है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आन्ध्र प्रदेश को अनुदान

6824. श्री एंथनी रेड्डी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में 1967–68 के दौरान तीन स्थानों पर स्नातकोत्तर संस्थाएं चलाने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान मांगा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस कार्य के लिये धन देना स्वीकार कर लिया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी, हां। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने वारंगल, गुंटूर और अनन्तपुर में उत्तर–स्नातक केन्द्र खोलने के लिए सहायता की मांग की है।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों से कहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मिल सकने वाली सम्भावित सहायता की मात्रा को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावों का संशोधन करें।

कलकत्ता विश्वविद्यालय प्रांगण में चीन–समर्थक नारे लगाया जाना

6825. श्रीमती सुशीला रोहतगी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 2 जुलाई, 1967 को सेंट्रल कलकत्ता में विश्वविद्यालय प्रांगण के आसपास भारत विरोधी तथा चीन–समर्थक नारे लगाये गये थे;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने कहा है कि यह अवांछनीय है किन्तु देश द्रोह नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) सरकार ने समाचार पत्रों में प्रकाशित इस आशय का समाचार देखा है।

(ग) राज्य सरकार से तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है।

ओलम्पिक खेलों सम्बन्धी नये नियम

6826. श्री वि० ना० शास्त्री : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि ओलम्पिक खेलों में प्रवेश के लिये नये नियम पास किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह सोचती है कि नये नियमों के अनुसार ओलम्पिक खेलों में भारत के खिलाड़ियों के लिये प्रवेश कहना बहुत ही कठिन होगा; और

(ग) यदि हां, तो भारत सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

तिहाड़ जेल, नई दिल्ली, में जून 1967 में जख्मी हुए गोवध-विरोधी सत्याग्रहियों को प्रतिकर

6827. श्री हरदयाल देवगुण :
श्री शारदानन्द :
श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून 1967 के अन्तिम सप्ताह में तिहाड़ जेल में हुए उपद्रवों में गोवध विरोधी जिन सत्याग्रहियों को चोटें आई है, उन्हें प्रतिकर देने के लिये कितनी रकम मंजूर की गई है; और

(ख) कितने व्यक्तियों को प्रतिकर दिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) भारत सरकार ने 29 जून, 1967 की तिहाड़ जेल की घटना की जांच करने के लिये एक आयोग नियुक्त किया है, और यदि कोई प्रतिकर दिया जाना हैं तो, आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

'मैती राज्य समिति' मनीपुर

6828. श्री मेघचन्द्र : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर संघ राज्यक्षेत्र से हाल ही में बनाई गई एक समिति 'मैती राज्य समिति' ने, जिसमें मंत्री के० एम० अगामी हैं, लोगों को डरा-धमका कर और परेशान करके उनसे बड़ी मात्रा में धन वसूल करना शुरु कर दिया है;

(ख) क्या इस समिति ने लोगों से अपील की है कि वे उस समिति के झंडे के नीचे इकट्ठे होकर खड़े हो जायें; और

(ग) यदि हां, तो इन गतिविधियों के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और यह समिति किस क्षेत्र को अपनी गति-विधियों का केन्द्र बना रही है और किस राजनैतिक नारे के द्वारा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) प्राप्त सूचनाओं के अनुसार मनीपुर में अभी हाल ही में 'मैती राज्य समिति' नामक एक संगठन का निर्माण किया गया है। पूर्वी मनीपुर के लामले थाने के अन्दरूनी गांवों में साइक्लोस्टाइल मशीन से छपे हुए कुछ पर्चे बटते देखे गए, जिन पर संस्था के प्रधान के मंत्री के० एस० अंगामी के हस्ताक्षर थे। पैम्फलेट में लोगों से उक्त संस्था के झंडे के नीचे सरकार के खिलाफ उठ खड़े होने की अपील की गई थी। कहा जाता है कि समिति चन्दा इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। किन्तु अभी तक जबरन वसूली की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। सरकार इस समिति की कार्यवाहियों पर कड़ी निगरानी रख रही है।

रेलवे कुली तथा खोमचे वाले

6829. **श्री बालगोविन्द वर्मा :**
डा० महादेव प्रसाद :
श्री किन्दर लाल :
श्री कृ० दे० त्रिपाठी :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लाइसेंस प्राप्त रेलवे कुलियों और 'वन्डार्स' के जीवन निर्वाह तथा काम की दशाओं की जांच के लिए एक अध्ययन दल स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो यह अध्ययन दल कब तक स्थापित किया जायेगा और इसके सदस्य किस आधार पर छांटे जायेंगे ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां।

(ख) अध्ययन दल की स्थापना की घोषणा जल्दी ही किये जाने की आशा है। इसमें रेलवे मंत्रालय और श्रम और रोजगार विभाग का एक-एक प्रतिनिधि और एक ऐसा सदस्य होगा जो श्रम मामलों से परिचित हो।

कर्मचारी भविष्य निधि

6830. **श्री सेल्लेटि विश्वनाथम** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापटनम् ने 1 जनवरी, 1963 से 28 फरवरी, 1966 के बीच की अवधि के लिये कर्मचारियों की कुल उपलब्धियों पर 8 प्रतिशत की दर से नियोजकों तथा कर्मचारियों का भविष्य निधि में अंशदान भेजने के सम्बन्ध में मुख्य प्रशासकीय अधिकारी को सम्बोधित किये गये आन्ध्र प्रदेश के प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त के पत्र संख्या ए० पी० (13) ऐन्जेम्पशन। 1092 दिनांक 25 अप्रैल, 1967 में दिये गये निदेशों का पालन किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) मैसर्स हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० ने 1 जनवरी, 1963 से 28 फरवरी, 1966 की समयावधि के सम्बन्ध में नियोजकों के हिस्से का अंशदान 8 प्रतिशत की दर से भेज दिया है। कर्मचारियों के हिस्से के अंशदान के सम्बन्ध में $6\frac{1}{4}$ प्रतिशत और 8 प्रतिशत की दरों के अन्तर की अदायगी अभी करनी बाकी है।

(ख) नियोजक उस अवधि के लिये कर्मचारियों के हिस्से के अंशदान की अदायगी 8 प्रतिशत की दर से करने के दायित्व को नहीं मान रहा है।

अफज़ल बेग की राजनैतिक गतिविधियां

6831. श्री जगन्नाथ राव जोशी : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि अफजल बेग ने अपने ऊपर लगे हुए प्रतिबन्धों को तोड़ कर अपनी राजनैतिक गतिविधियां पुनः आरम्भ कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) मिर्ज़ा अफ़जल बेग द्वारा उन पर लगे कोई प्रतिबन्ध तोड़े नहीं गये।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Drought Allowance for P & T Employees

*6832. **Shri K. M. Madhukar :**
Shri Ramavtar Shastri :
Shri Bhogendra Jha :
Shri Chandra Shekhar Singh :

Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) whether arrangements have been made for the payment of Drought Allowance repayable in 12 instalments to the employees of the Posts and Telegraphs Department in Bihar during the drought period; and

(b) whether Government propose to increase the number of instalments to 36 and effect the recovery after 1967 ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs & Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Orders have been issued for the payment of an advance of three months pay or Rs. 500/-, whichever is less, recoverable in 24 instalments to non-gazetted Central Govt. servants posted in the drought affected areas of Bihar; and also in the case of employees who hail from such areas but are posted outside provided their families continue to reside in the effected areas.

(b) No, Sir.

Accommodation for P&T Employees Muzaffarpur

*6833. **Shri K. M. Madhukar :**
Shri Ramavatar Shastri :
Shri Chandra Shekhar Singh :

Will the Minister of Communications be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about one thousand employees are working in the Poste and Telegraph Department, Muzaffarpur (Bihar);

(b) whether it is also a fact thet the except for class I employees there is no arrangement for the accommodation of other employees; and

(c) whether Government possess land in Muzaffarpur and if so, the reasons for not constructing the quarters for employees ?

The Minister of State in the Departments of the Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) 825 employees are posted at Muzaffarpur.

(b) No, Sir. Thirteen quarters are avilable for officials other than Class I while there is only one quarter for Class I employees.

(c) A plot of land for construction of staff quarters is under acquisition. The quarters will be constructed on this land when acquired, subject to available of funds.

मनीपुर के कर्मचारियों के लिये अतिरिक्त भत्ता

6834. **श्री मेघचन्द्र :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र के उपद्रव-ग्रस्त क्षेत्रों में कार्य करने वाले मनीपुर सरकार के कर्मचारियों को, कठिन परिस्थितियों में काम करने के लिये, अतिरिक्त भत्ता दिया जाता है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) मनीपुर सरकार के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आसाम सरकार के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते के अनुरूप हैं। मनीपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में नियुक्त कर्मचारियों को आसाम की तरह ही कुछ भत्ता देने के प्रश्न की जांच की जा रही है।

Prohibition

6835. **Shri Y. S. Kushwah :**
Shri Atam Das :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Dr, Sury Prakash Puri :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri E. K. Nayanar :
Shri Rane :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some of the States in the country have decided to do away with prohibition;

(b) whether it is also a fact that some more States are also about to take such a decision;

(c) whether Government propose to formulate any national policy in this regard; and

(d) the reasons for which a final decision has not been taken on Tek Chand Committee's Report so far ?

The Minister of the State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) So far prohibition has been withdrawn from the dry areas of Kerala covering four districts and Haryana covering one district. The Madhya Pradesh Government are reported to have taken a decision to lift prohibition in the State but no information is available in this regard beyond the press reports.

(c) Prohibition is the national policy.

(d) The recommendations of the Tek Chand Committee in so far as they relate to the better implementation of the prohibition law in force is the responsibility of the State Governments. The State Governments, by and large, have accepted these recommendations and are implementing them to the extent that their finance permit. It has not been possible to get the States to implement the recommendations for introduction of prohibition in wet areas but this is still under consideration.

मोदी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, मोदीनगर

6836. **श्री उमा नाथ :**
श्री ज्योतिमय बसु :
श्री चक्रपाणि :
श्री नायनार :
श्री ब्रह्मानन्द :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोदी स्पिनिंग एन्ड वीविंग रेयन एन्ड सिल्क मिल्स मोदी नगर (उत्तर प्रदेश) के कर्मचारियों को, मिल को मजूरी भुगतान अधिनियम के उपबन्धों के अनुपालन में अनिवार्यत: बन्द कर दिये जाने के कारण मजूरी नहीं दी गई है;

(ख) यदि हां, तो कब से इस राशि का भुगतान नहीं किया गया है और कुल कितनी राशि का भुगतान किया जाना है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है । केन्द्रीय सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

Admission in Delhi Polytecnic

6838 **Shri Ram Avtar Sharma :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of Education be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5375 on the 12th July, 1967 and state :

(a) whether Government propose to extend the Concession of giving admission to the children of the Schedule Castes and Ex-servicemen obtaining 40 percent marks in the Polytechnic in Delhi to the children of class IV employees;

(b) if not, the reasons therefor; and

(c) if so, whether this concession would take effect from the current year ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen): (a) No, Sir.

(b) The concession to Scheduled Castes/Tribes is in accordance with the directive Principal of State Policy laid down in the Constitution. The case of sons/wards of ex-servicemen is, however, an exceptional one.

(c) Does not arise.

विदेशों से वापस लौटे भारतीय

6839. **श्री म० ला० सोंधी :**
श्री टी० पी० शाह :
श्री बृज भूषण लाल :

क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों से, जिसमें श्रीलंका, बर्मा, अफ्रीका आदि देश शामिल हैं, वापस लौटे भारतीयों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) कितने व्यक्तियों को सरकार की सहायता से बसाया जा चुका है और वे किन किन व्यवसायों अथवा व्यापार में लगे हुये हैं;

(ग) क्या अगले अगभग दो वर्षों में जिन भारतीयों के वापस लौटने की संभावना है, उनके पुनर्वास की शीघ्र व्यवस्था करने की किसी विशेष योजना पर सरकार विचार कर रही है, और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क)

श्रीलंका : भारत श्रीलंका करार 1964 के अंतर्गत नियमित रूप से भारतीयों का स्वदेश लौटना आरम्भ नहीं हुआ है । श्रीलंका में भारतीय हाई कमीशन द्वारा 10288 भारतीयों को भारत नागरिकता प्रदान की गई है और इनमें से 31-3-1967 तक 2538 व्यक्ति जा चुके हैं ।

बर्मा : 15-7-1967 तक बर्मा से भारतीय उद्भव के लगभग 1,55,350 व्यक्ति भारत आ चुके हैं ।

मोजाम्बिक को मिलाकर पूर्वी अफ्रीका के देश	7400 व्यक्ति (अनुमानतः)
एडिन	683 व्यक्ति

(ख) एक विवरण संख्या 1 सभा पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1215/67]

(ग) जी हां।

(घ) एक विवरण, जिसमें भारत श्रीलंका करार, 1964 के अन्तर्गत लौटने वाले भारतीय राष्ट्रजनों के बारे में उठाए गये कदमों तथा विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा दिया गया है, सभा पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1215/67]

Discontentment among Government Employees on the issue of Prematura Retirement

6840. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the great discontentment prevailing amongst the employees in regard to the Dearness Allowance and retirement on completion of 25 years of service or on attaining the age of 50 years;

(b) whether these questions were considered by the Joint Consultative Committee;

(c) if so, their recommendations; and

(d) when a final decission is likely to be taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Representations have been received from a number of Service Associations.

(b) to (d) As already stated in reply to Starred Question No. 1244 on 19th July, 1967, these issues were raised by the Staff Side at the meeting of the National Council held on the 29th and 30th May, 1967 and the points of difference as well as the steps taken by Government are indicated in that reply. No. recommendations were made by the Council on these issues.

Unemployment Among Agriculture Graduates

6841. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of Labour and Rehabilitation be pleased to state :

(a) the number of unemployed B. Scs. and M. Scs. in Agriculture respectively as on the 31st March, 1967;

(b) the number of students who are likely to obtain B. Sc. and M. Sc. degrees respectively from different agricultural colleges during 1967;

(c) the steps being taken to provide employment to them; and

(d) the reasons for which services of persons possessing specialised education in Agriculture are not being utilized in the right manner in the background of shortage of foodgrains in the country ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) Information is not available. However, according to information collected on an ad hoc basis 1344 agricultural graduates were seeking work through the Employment Exchanges as on 30th June, 1966.

It may be pointed out that not all unemployed persons register with the Employment Exchanges and a large proportion of those on the Live Register, particularly those possessing technical qualifications, are employed persons.

(b) Their number is estimated at 6000 and 1200 respectively.

(c) The large scale programmes of development of agriculture included in the Fourth Plan would provide employment to agricultural graduates.

(d) Every attempt is being made to utilize the specialists in the fields where their talents could be put to the maximum use.

अध्यापकों का वेतन

6842. श्री सरजू पाण्डेय : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1964 से लेकर आज तक उत्तर प्रदेश में प्राथमिक अथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतन में की गई वृद्धि को पूरा करने के लिये कितनी राशि दी गई है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि उत्तर प्रदेश के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अध्यापक समान कार्य के लिये समान वेनन मांगते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-मानों में बढ़ोतरी के लिये कुल खर्च के 50 प्रतिशत के आधार पर जनवरी, 1964 से 31 मार्च, 1966 तक केन्द्रीय सहायता दी गई थी। किन्तु केन्द्रीय सहायता राज्य आयोजना की योजनाओं के लिए समग्र रूप से एक मुश्त दी गई थी, इसलिए अध्यापकों के वेतनों की योजना के लिए सहायता की वास्तविक रकम के बारे में अलग से सूचना उपलब्ध नहीं है। प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-मानों के लिए आयोजना हेतु अथवा आयोजना के बाहर, पहली अप्रैल, 1966 से कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई है।

(ख) और (ग) मंत्रालय की यह नीति है कि सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के अध्यापकों के वेतनों में समानता होनी चाहिये।

दिल्ली में बोगस शिक्षा संस्थाएं

6843. श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री बृजराज सिंह-कोटा :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर में सैंकड़ों बोगस शिक्षा संस्थाएं चल रही है;

(ख) क्या ये संस्थाएं अपना कार्य आरम्भ करने से पहले शिक्षा मंत्रालय की अनुमति प्राप्त करती है;

(ग) क्या विश्वविद्यालय इन शिक्षा संस्थाओं को मान्यता देते हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसी शिक्षा संस्थाओं को बन्द करने तथा युवक छात्र पीढ़ी को इनके कुप्रभाव से बचाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) यह सच है कि दिल्ली में कुछ नीजी तौर पर चलाई जा रही गैर-मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं हैं किन्तु यह पता नहीं है कि इनमें से कितनी बोगस हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) गैर-मान्यता प्राप्त संस्थाओं पर नियंत्रण रखने के लिए एक माडल विधेयक का मसौदा विचाराधीन है।

निकोबार में खोपरा तथा सुपारी के मूल्य

6844. **श्री राम सेवक यादव :**
श्री बाल गोविन्द वर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकोबार द्वीप समूह के लिये जारी किये गये व्यापारी लाइसेंसों में निर्धारित खोपरा तथा सुपारी के चालू निम्नतम खरीद मूल्य क्या हैं;

(ख) इन मूल्यों को मुख्य बाजारों में प्रचलित वर्तमान मूल्यों के बराबर लाने के लिये इनका पिछली बार कब पुनरीक्षण किया गया था;

(ग) क्या यह सच है कि निकोबार खोपरा कलकत्ता में 300 रुपये प्रति क्विंटल तथा उससे भी अधिक मूल्य पर बिक रहा है; और

(घ) कार निकोबार तथा नानकौरी व्यापार कम्पनियां कलकत्ता/मद्रास को भेजे जाने वाले अपने खोपरे के लिये इस समय कितना मूल्य ले रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) निकोबार द्वीप समूह के लिये खोपरा और सुपारी के निम्नतम खरीद मूल्य अंतिम बार जुलाई, 1963 में संशोधित किये गये थे और वे इस प्रकार हैं :

खोपरा	75 रुपये प्रति 100 किलोग्राम
सुपारी	220 रुपये प्रति 100 किलोग्राम

किन्तु कहा जाता है कि दोनों कम्पनियां जिन्हें निकोबार द्वीप समूह में खोपरा और सुपारी खरीदने के लाइसेंस दिये गये थे, निकोबारियों को इससे अधिक ऊंचे दाम दे रही थी। वे मुख्य भूमि पर इनके मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए ऐसा कर रही थीं। उनके द्वारा दिये जा रहे मूल्य इस प्रकार थे :

खोपरा	130 रु० प्रति 100 किलोग्राम
सुपारी	360 रु० प्रति 100 किलोग्राम

(ग) और (घ) निकोबारी खोपरा अधिकतर कलकत्ता को भेजा जाता है और बताया जाता है कि वहां यह जून 1967 में 282 रु० 50 पैसे प्रति 100 किलोग्राम की दर से बेचा गया था।

Arrest of Infiltrators in J & K

6845. **Shri Ram Singh Ayarwal :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that more than 300 infiltrators coming from occupied Kashmir have been arrested in the Vir Arjun dated the 1st July, 1967; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : No, Sir.

(b) Does not arise.

केरल के काजू कारखानों में मजदूरों की हड़ताल

6846. श्री आत्म दास : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल स्थित काजू कारखानों के मजदूरों ने हड़ताल करने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने अपनी मांगें बताई हैं; और

(ग) सरकार का विचार उनकी मांगों को कहां तक पूरी करने का है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) यह मामला राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है और भारत सरकार के पास इस बारे में कोई सूचना नहीं है ।

क्लर्क ग्रेड की परीक्षा (जून, 1966)

6847. श्री आत्म दास : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1966 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई क्लर्क ग्रेड की परीक्षा में सफल घोषित किये गये सभी लोगों को, जिन्हें नियुक्त करने की सिफारिश की गई थी, इस बीच नियुक्त कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कितने लोगों को अभी नियुक्त किया जाना बाकी है और उन्हें कब तक नियुक्त किये जाने की संभावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) 1966 की क्लर्क ग्रेड परीक्षा में सफल घोषित सभी 1285 उम्मीदवारों के नाम उन विभिन्न सेवाओं/कार्यालयों में नियुक्ति के लिये भेजे गये जिनके लिये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा ली गई थी । वास्तविक नियुक्तियां चिकित्सा परीक्षा आदि के बारे में आवश्यक औपचारिकताएं पूरी किये जाने के बाद, सम्बन्धित मंत्रालयों/कार्यालयों द्वारा की जाती है ।

Special Stamps

*6848. **Shri Atam Das :**
Shri Marandi :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government proposed to issue a postal stamp in honour of Dr. Radhakrishnan, former President of India;

(b) if so, the total number of stamps to be issued;

(c) whether Government propose to issue such a stamp in honour of Shri C. Rajagopalachari, former Governor of India; and

(d) if so, when ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes, Sir:

(b) 2,000,000 (two million).

(c) and (d) No such proposal is under consideration for the present.

Report of Educational Term to USSR

6849. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri O. P. Tyagi :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Arjun Singh Bhadoria ;
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Atam Das :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a team headed by Dr. Kothari have recently returned to India after 15 days tour of Russia;

(b) whether Dr. Kothari has criticised the Indian Education System as aimless as compared to the system prevailing in Russia;

(c) whether Dr. Kothari has also submitted some suggestions to Government in this regard; and

(d) if so, the details thereof and the steps Government propose to take to remove the shortcomings in the Indian education system as pointed out by him ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) Yes, Sir. A scientific delegation of 11 members, headed by Dr. D. S. Kothari, Chairman, University Grants Commission, visited USSR from May 18 to June 1, 1967.

(b) No, Sir.

(c) and (d) As the Indian scientific delegation had been invited by the USSR Academy of Sciences, it confined its activity to the study of scientific dewlopments in USSR and did not study the educational system of that country. Dr. Kothari has given certain suggestions relating to measures for cooperative effort in the field of science and technology between India and USSR. Some of the oceanography, setting up of an institute of Geophysics, studies in soil salinity and waterlogging. etc.

Class with Mizos

6850. **Shri Ram Avtar Sharma :**
Shri Atam Das :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri O. P. Tyagi :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Dr. Surya Prakash Puri :
Sbri Mahant Digvijai Nath :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that two Mizo rebels were killed in a clash with the Security Force personnel near Lungleh during the second week of July;

(b) whether it is also a fact that 25 rebels including three nurses have been taken prisoners;

(c) whether it is also a fact that four armed rebels surrendered themselves;

(d) if so, whether large quantity of arms and ammunition was recovered from the said rebels after raiding their hid-outs; and

(e) if so, the details of the incident ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): a) to (e) We have no information of any such incident near Lungleh during the second week of July. In the course of the operations, however, of Security Forces 64 Mizo hostiles were arrested during the first fortnight of July. Three nurses also were arrested and three other nurses had surrendered during this period. No armed but some unarmed rebels had surrendered. There were several raids on hostile hide-outs, in the course of which arms and ammunition had been captured.

कलपट्ट के टेलीफोन कर्मचारी

6851. **श्री अ० कु० गोपालन :**
श्री प० गोपालन :
श्री पी० राममूर्ति :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कलपट्ट (केरल) के टेलीफोन कर्मचारियों ने, 13 जुलाई, 1967 से नियमानुसार काम करने का नोटिस दिया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगे क्या हैं; और

(ग) उनकी मांगों को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) एक नोटिस जिसमें कर्मचारियों ने 'नियमानुसार काम' करने की इच्छा व्यक्त की थी, 6 जुलाई, 1967 को प्राप्त हुआ था, किन्तु उसे 7 जुलाई, 1967 को वापस ले लिया गया ।

(ख) मांग यह थी कि टी-43 ट्रंक बोर्ड को सर्कल के प्रस्ताव के अनुसार बदागरा में लगाने के बजाय कलपेट्टा में लगाया जाए ।

(ग) सर्कल के निर्णय से सम्बन्धित परिस्थितियां टेलीफोन कर्मचारियों को बताई गई थीं और आन्दोलन वापस ले लिया गया ।

मद्यनिषेध सम्बन्धी नीति

6852. **श्री राणे :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने मद्यनिषेध नीति के प्रश्न का अध्ययन करने के लिये एक अध्ययन दल नियुक्त किया हैं;

(ख) इसके मुख्य निष्कर्ष और सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या इस अध्ययन दल ने यह मत व्यक्त किया है कि पूरे देश में मद्यनिषेध लागू न किया जाये क्योंकि ऐसा करने से राज्यों को 400 से 500 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष तक की हानि होगी; और

(घ) क्या सरकार ने अध्ययन दल के प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) अध्ययन दल ने मुख्य रूप से मद्य-निषेध कानूनों के निषेध वाले राज्यों और क्षत्रों में लागू किये जाने के लिये एक समेकित तथा बहु-प्रावस्था भाजित और निषेध-हीन क्षेत्रों के लिये प्रावस्था भाजित कार्यक्रम की सिफारिश की है ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

(घ) जहां तक टेक चन्द समिति की सिफारिशों का मद्य-निषेध सम्बन्धी वर्तमान कानून के अच्छी तरह क्रियान्वित किये जाने से सम्बन्ध है, उसका उत्तरदायित्व राज्य सरकार पर है । राज्य सरकारों ने इन सिफारिशों को अधिकांशतः स्वीकार कर लिया है और अपने वित्तीय साधनों के अनुसार उन्हें लागू कर रही है । राज्य सरकारों को निषेध हीन क्षेत्रों में मद्य-निषेध लागू करने के लिये तैयार करना सम्भव नहीं हो सका, किन्तु यह मामला अभी तक विचाराधीन है ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी

6853. **श्री अ० श्री० कस्तूरे :**
श्री तुलसी दास जाधव :
श्रीमती शारदा मुकर्जी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों को ऐसे पदों के लिये भी योग्य मानता है, जो पद आरक्षित नहीं हैं, जबकि उनके लिये आरक्षित पद है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1950 से लेकर आज तक इन जातियों तथा आदिम जातियों के भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के कितने अधिकारियों का अनारक्षित पदों पर नियुक्त करने के लिये चुना गया है; और

(ग) सरकारी नौकरियों के मामले में उन्हें अवसर की समानता प्रदान करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) यदि ऐसे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति उम्मीदवारों की संख्या जो अपनी योग्यता के आधार पर बिना स्तर को गिराये अर्हता प्राप्त कर लेते हैं उनके लिए आरक्षित पदों की संख्या से अधिक हो जाती है । तो आरक्षित पदों की संख्या के अलावा उम्मीदवारों को अनारक्षित पदों पर नियुक्त किया जा सकता है ।

(ख) अनारक्षित पदों पर नियुक्त के लिए कोई भी नहीं, नियुक्तियां आरक्षित कोटे में की गई हैं ।

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति उम्मीदवारों को सरकारी सेवा के बारे में न केवल अवसर की समानता ही प्राप्त हैं अपितु संविधान की धारा 335 के अधीन नियुक्तियों के लिए और भी विशेष रियायत दी जाती है । अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति उम्मीदवारों की उनके लिए आरक्षित पदों पर नियुक्ति के बारे में विचार किया जाता है । यदि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में अपनी सामान्य स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों को अपने लिए आरक्षित पदों से कम संख्या में पद प्राप्त होते हों तब संघ लोक सेवा आयोग को पूरा अधिकार होगा कि वह इस कमी को पूरा करने के लिए ऐसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति उम्मीदवारों की सिफारिश करे जिन्होंने परीक्षा में काफी नीचा स्थान प्राप्त किया हो । हां ऐसा उस स्थिति में नहीं किया जा सकता जहां प्रशासन की दक्षता के न्यूनतम स्तर को भी उम्मीदवार प्राप्त न कर सका हो । इस प्रकार बिना स्तर में छूट प्राप्त किये अर्हता प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति उम्मीदवारों को पहले आरक्षित कोटे में नियुक्ति के लिए विचार किया जाता है और यदि पर्याप्त संख्या में ऐसे उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते तब अन्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति उम्मीदवारों को नियुक्त करने के बारे में संघ लोक सेवा आयोग विचार करता है जिन्होंने छूट के साथ अर्हता प्राप्त की हो ताकि आरक्षित कोटे की कमी को पूरा किया जा सके ।

New Research Laboratories under C. S. I. R.

6854 **Shri Ram Avtar Sharma :**
Shri Atam Das :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Prakash Vir Shasrri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Mahant Digvijai Nath :
Dr. Satya Prakash Puri :

Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Council of Scientific and Industrial Research has decided not to establish any new Research Laboratories;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether this is likely to have an adverse effect on the Scientific Research ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) to (c) In view of the allocation of Rs. 46 crores only againt Rs. 153 crores asked for the Fourth Plan proposals of the

Council of Scientific and Industrial Research the Governing Body of the C. S. I. R. decided that these proposals should be carefully scrutinised de-novo and items which might not have immediate relevance to the country's needs may be deleted, and that, if any anticipatory or advance action had been initiated, this should also be reviewed with the same end in view.

In accordance with the above decision of the Governing Body, a Committee was appointed to review the proposals of the C. S. I. R. The Committee has submitted its first Report in which it has recommended that the existing Laboratories/Institutes should be the first charge on the Fourth Plan provision in order to ensure that they produce fruitful results; and no new institutes should be established during the Fourth Plan period unless there are compelling reasons. The Report was placed before the Governing Body at its meeting held on 15th July, 1967. No final decision has been taken on the recommendation of the Committee.

आसाम राइफल्स

6855. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम राइफल्स मुख्यतया विद्रोही नागों तथा विद्रोही मिजो लोगों से निपटने के लिये ही बनायी गई है;

(ख) यदि हां, तो आसाम राइफल्स सीमान्त क्षेत्रों में इन विद्रोही लोगों से निपटने में कहां तक सफल रही है; और

(ग) नागालैंड में विद्रोही लोगों से निपटने के लिये भारतीय सेना के कौन-कौन से दस्ते तैनात किये गये हैं और उनमें कितने-कितने व्यक्ति हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) विद्रोही लोगों से निपटने के सम्बन्ध में उनकी सेवाओं का ब्यौरा संतोषप्रद रहा हैं ।

(ग) दस्तों के नाम और उनमें तैनात व्यक्तियों की संख्या बताना जन हित की दृष्टि से ठीक नहीं है ।

श्रमिक दिवस के रूप में पहली मई

6856. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहली मई को देश भर में श्रमिक दिवस घोषित करने का केन्द्रीय सरकार का विचार है;

(ख) यदि हा, तो कब से; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस मामले पर राज्य सरकारें कार्यवाही करती हैं ।

विश्वविद्यालयों में तीन वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम

6857. **श्री राने :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन विश्वविद्यालयों ने अभी तक तीन वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम आरम्भ नहीं किया;

(ख) यह पाठ्यक्रम आरम्भ न किये जाने के मुख्य कारण क्या हैं ?

(ग) क्या इस कारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इन विश्वविद्यालयों को अनुदान देने से इन्कार कर दिया है;

(घ) क्या सरकार को इस बात का पता चला है कि कुछ विश्वविद्यालयों ने बी० एस०, बी० एस० सी०, बी० काम आदि के दूसरे वर्ष में प्रवेश पाने के लिये परीक्षा अनिवार्य कर दी है; और

(ङ) क्या यह सच है कि तीन वर्ष के डिग्री पाठ्यक्रम के कारण कालेज की शिक्षा का स्तर गिर गया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) बम्बई, आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर और मेरठ विश्वविद्यालयों ने तीन-वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम अभी तक नहीं अपनाया है । व्यावसायिक तकनीकी । विशेष शिक्षा देने वाले विश्वविद्यालय इस योजना के अन्तर्गत नहीं आते हैं ।

(ख) और (ग) बम्बई, विश्वविद्यालय ने इस योजना को सिद्धान्त रूप में नहीं माना है । उत्तर प्रदेश के बाकी विश्वविद्यालयों ने सिद्धान्त रूप में स्वीकृति बारह वर्ष जमा तीन वर्ष के आधार पर दी है । राज्य सरकार ने योजना पर अमल करने के लिए शत प्रतिशत सहायता मांगी है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक समिति इस मामले की जांच कर रही है ।

(घ) जी हां ।

(ङ) जी नहीं । योजना के अधिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिये गये अनुदानों से अध्यापकों, कक्षा-कमरों की जगह, पुस्तकालय पुस्तकों और प्रयोगशालाओं के बारे में अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था द्वारा अध्यापन के स्तरों में सुधार करने में वास्तव में कालेजों की सहायता की गई है ।

Admission in Delhi Colleges

6858. **Shri Ram Avtar Shastri :**
Shri Atam Das :
Shri Prakash Vir Shastri :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Y. S. Kushwah :

Will the Minister of Education be pleased to state :

(a) whether it is a fact that recently admissions were given in Colleges of Delhi to the students who had secured less than the prescribed marks and the eligible students were ignored;

(b) whether certain complaints have been received by Government in this connection; and

(c) if so, the number of such students and the reasons for which the students who had secured more marks were not admitted ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) The University of Delhi is not aware of such cases.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

सैक्शन आफिसरों की ग्रेड एक के पदों पर पदोन्नति

6859. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा में सैक्शन आफिसरों को उस सेवा के ग्रेड एक के पदों पर पदोन्नत करने के लिये सारा ध्यान गोपनीय रिपोर्टों में दर्ज अधिकारियों के काम तथा आचरण के वर्गीकरण की ओर ही दिया जाता है, तथा इस बात की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता कि रिपोर्ट में किया गया वह वर्गीकरण रिपोर्ट में लिखी गई सामान्य बातों के अनुकूल है अथवा नहीं ।

(ख) क्या इस बात को समुचित महत्व देते हुए कि अधिकारियों द्वारा वर्गीकरण करने का तरीका तथा क्षेत्र भिन्न-भिन्न होता है, जैसा कि केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों का तरीका तथा क्षेत्र राज्य सरकारों के अधिकारियों के तरीके और क्षेत्र से भिन्न होता है, जिनके पास सैक्शन आफिसरों को प्रतिनियुक्ति अथवा कार्यपालिका के प्रशिक्षण के लिये भेजा जाता है, गोपनीय रिपोर्टों का समुचित मूल्यांकन किया जाता है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो क्या सरकार का विचार सैक्शन आफिसरों का ग्रेड एक में पदोन्नति करने के लिए गोपनीय रिपोर्टों का मूल्यांकन करने के लिए एक नई प्रक्रिया बनाने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड I में पदोन्नतियां इस उद्देश्य के लिए एक चयन समिति द्वारा तैयार चयन सूची में शामिल अधिकारियों में से की जाती हैं । इस समिति का अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग का एक सदस्य होता है और इसका गठन केन्द्रीय सचिवालय सेवा (ग्रेड I और चयन ग्रेड में पदोन्नति) विनियम, 1964 के अधीन किया गया था । इन विनियमों के अधीन योग्यता के आधार पर चयन सूची में शामिल किये जाने के लिये चयन समिति को चयन करना होता है । इन विनियमों में सम्बन्धित अधिकारियों की योग्यता के निर्धारण का तरीका नहीं दिया गया । योग्यता-निर्धारण की अपनी प्रक्रिया तय करने का कार्य सम्बन्धित चयन समिति के लिए छोड़ दिया गया है । अधिकारी का समस्त गोपनीय अभिलेख चयन समिति के सामने रखा जाता है न कि केवल रिपोर्ट देने/समीक्षा करने वाले अधिकारियों द्वारा किया गया वर्गी–

करण, और इस बात को मान लेने का कोई कारण नहीं है कि चयन समिति वर्गीकरण की रिपोर्ट में लिखी गई सामान्य बातों के साथ अनुकूलता की जांच नहीं करती। राज्य सरकारों में प्रतिनियुक्ति/कार्यालिका प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने वाले अधिकारियों के बारे में अन्तिम चयन पर राज्य सरकारों के रिपोर्ट देने के तरीके का, यदि उसमें कोई अन्तर भी हो तो, कोई विशेष प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है क्योंकि प्रशिक्षण की अवधि केवल 16 मास है और चयन सम्बन्धित अधिकारी के गोपनीय अभिलेखों के सर्वांगीण मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

दिल्ली के कालेजों में प्रवेश

6860. श्री रामशेखर प्रसाद सिंह : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन विद्यार्थियों को, जिन्हें केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण न होने के कारण अथवा उनकी आयु कम होने के कारण दिल्ली के कॉलेजों में प्रवेश नहीं मिलता है एक वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर अपनी डिवीजन को बढ़ाने की अनुमति दी जाती है।

(ख) क्या यह सच है कि एक वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश के समय बोर्ड यह शर्त लगाता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी कॉलेज में प्रवेश के लिये दिल्ली विश्वविद्यालय केवल पहले परीक्षाफल को ही मानेगा; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा क्या सरकार इस विषमता को दूर करने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। फिर भी छात्रों को यह बता दिया जाता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय एक वर्षीय पाठ्यक्रम की उनकी पढ़ाई को मान्यता नहीं देगा।

(ग) प्रश्न के भाग (ख) में निर्दिष्ट निर्णय दिल्ली विश्वविद्यालय का निर्णय है और वही विश्वविद्यालय उस पर पुनर्विचार कर सकता है।

छात्रों के लिये छात्रावास समिति

6861. श्री धीरेन्द्रनाथ देव : **श्री अ० दीपा :**
श्री रा० रा० सिंह देव : **श्री दे० प्रभात :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छात्रों के लिये छात्रावास सम्बन्धी एक समिति ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उनके कब तक क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विद्यार्थियों और अध्यापकों की रिहायशी आवास पर विचार करने तथा रिपोर्ट देने के लिये एक समिति नियुक्त की थी। यह रिपोर्ट विश्वविद्यालय के पास अक्तूबर, 1964 में प्राप्त हुई थीं और उसके द्वारा विचार किया गया था।

(ख) सिफारिशों के सारांश की एक प्रति सभा पटल पर रख दी गई है। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1216/67**] इनको विश्वविद्यालयों द्वारा चौथी पंच-वर्षीय आयोजना के दौरान कार्यक्रम बनाते समय ध्यान में रखा जा रहा है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों। इसके अतिरिक्त, छात्रावासों के निर्माण के लिये विश्वविद्यालयों और कालेजों की सहायतार्थ, विश्वविद्यालयों अनुदान आयोग में एक योजना पहले ही से है।

दिल्ली नगर निगम को निष्क्रांत सम्पत्ति के प्लाटों का हस्तांतरण

6862. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निष्क्रान्त सम्पत्ति वाले कितने प्लाट दिल्ली नगर निगम को हस्तान्तरित किये गये हैं अथवा किये जाने वाले हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इनमें से अधिकांश प्लाटों का कब्जा वास्तव में दिल्ली नगर निगम को नहीं दिया गया है और उन पर अनधिकृत मकान बना लिये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे कितने प्लाट हैं और उन्हें खाली कराकर दिल्ली नगर निगम को उनका कब्जा दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग) : शाहदरा की विभिन्न बस्तियों में स्थित 729 प्लाटों में से दिल्ली नगर निगम ने 293 निष्क्रान्त प्लाट चुने थे। इन प्लाटों का कब्जा दिल्ली नगर निगम को 23 जुलाई, 1967 को दे दिया था। इसके अतिरिक्त शाहदरा में रहमान सम्भव के निकट गन्दी बस्तियों के हटाने की योजना के अन्तर्गत 48 प्लाट दिल्ली नगर निगम को हस्तान्तरित किये गये थे और तिहाड़ गांव के पुनर्निर्माण के लिये तिहाड़ गांव की निष्क्रान्त भूमि भी दिल्ली नगर निगम को हस्तांतरित कर दी गई थी। शाहदरा के 293 प्लाटों में से 43 प्लाटों पर अनधिकृत कब्जे तथा उन पर रह रहे लोगों के बारे में दिल्ली नगर निगम शिकायत केवल 1966 में ही की थी। चूंकि दिल्ली नगर निगम को कब्जा दे दिया गया था इस लिये अनधिकृत कब्जेदारों के बारे में वे सीधी कार्यवाही कर सकते हैं।

मोती बाग, नई दिल्ली में स्कूल

6863. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में मोती बाग-I कालोनी को छोड़कर लड़कों तथा लड़कियों के सरकारी उच्चतर माध्यमिक स्कूल यदि एक ही इमारत में हों तो दो अलग-

अलग पारियों में लगाये जाते हैं, अर्थात् एक पारी लड़कों के लिये तथा दूसरी पारी केवल लड़कियों के लिये;

(ख) यदि हां, तो मोती बाग–I कालोनी में एक ही इमारत में तथा एक ही पारी में लड़कों तथा लड़कियों, दोनों के लिये पृथक-पृथक दो उच्चतर स्कूल चलाने के क्या कारण हैं ?

(ग) क्या सम्बन्धित अधिकारियों को मोती बाग– की कल्याण संस्थाओं की ओर से इस भेदभाव के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ) : अपेक्षित सूचना दिल्ली प्रशासन से एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पश्चिम जर्मनी द्वारा पाकिस्तान को सैनिक सामग्री बेचने के समाचार

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : मैं वैदेशिक–कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में वक्तव्य दें :—

"पश्चिम जर्मनी द्वारा पाकिस्तान को सैनिक सामग्री जैसे विमान, टैंक, हथियार और गोलाबारूद बेचे जाने के समाचार ।"

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री सु० क० चागला) : माननीय सदस्यों ने भारतीय अखबारों की उन खबरों के बारे में ध्यान आकर्षित किया है जिनमें संयुक्त राज्य की सिनेट विदेश सम्बन्ध समिति की उप समिति के समक्ष पाकिस्तान को एफ 86 किस्म के सेबर जेट विमान और एम 47 तथा एम 48 किस्म के टैंक सप्लाई किए जाने की बात कही गई बताई जाती है। मेरे पूर्ववर्ती ने और मैने भी इस सदन को कई बार यह बताया है कि किसी तीसरे देश के जरिए पाकिस्तान को अमरीका में बने उपकरण देने से रोकने के लिए भारत सरकार ने क्या प्रयत्न किये हैं ।

भारत सरकार को 1965 के आखीर में जैसे ही यह मालूम हुआ कि पाकिस्तान किसी तीसरे देश के जरिए पश्चिम जर्मनी से हथियार और साज-सामान लेने का प्रयत्न कर रहा है, वैसे ही इस मामले को जर्मन संघीय गणराज्य की सरकार के साथ उठाया और उसने हमें यह आश्वासन दिलाया कि वह पाकिस्तान को कोई हथियार नहीं बेच रही है । लेकिन, बाद में इस आशय की कुछ खबरें मिलीं कि कनाडा में बने एफ 86 किस्म के अन्दाजन कोई 60 से 90 के बीच विमान, जो कि जर्मन संघीय गणराज्य से ईरान की सरकार ने खरीदे थे,

पाकिस्तान पहुँच गये हैं। भारत सरकार ने पश्चिम जर्मनी और ईरान की सरकारों से कड़ा विरोध प्रगट किया। ईरान की सरकार ने हमें यह आश्वासन दिलाया कि ईरान ने जो जहाज पाकिस्तान भेजे हैं वे सिर्फ मरम्मत, सफाई और कुछ रद्दोबदल कराने के लिए यहां भेजे हैं क्योंकि ईरान में इन बातों का इंतजाम नहीं है। जर्मन संघीय गणराज्य की सरकार ने भी हमें यह सूचना दी कि उसने ईरान की सरकार के साथ इस बात का सुनिश्चय करने और पक्का पता लगाने का तरीका बनाया है जिससे कि यह पता चल जाएगा कि ये विमान पाकिस्तान से ईरान वापस पहुंच गये हैं वास्तव में पश्चिम जर्मन सरकार ने 8 सितम्बर 1966 को हमें सूचित किया कि इनमें से कुछेक को छोड़कर बाकी प्रायः सभी जहाज ईरान वापस पहुंच गए हैं। कनाडा की सरकार को भी, जिसने कि मूलतः पश्चिम जर्मनी को जहाज दिए थे, इस बारे में भारत सरकार की भावनाओं से सूचित कर दिया गया था। बाद में भारत सरकार को यह जानकर सन्तोष हुआ कि कनाडा की सरकार ने कनाडा में बने विमानों को ईरान के हाथों बेचने पर अनिच्छा व्यक्त की है।

इन आश्वासनों के बावजूद भारत सरकार के देखने में इस आशय की कुछ खबरें आई हैं कि ये विमान पाकिस्तान वापस आ गए हैं। 1966 के अन्त में इस मामले को पश्चिम जर्मन सरकार के साथ फिर उठाया गया और उन्होंने पहले के आश्वासन दोहराए।

जहां तक पश्चिम जर्मनी द्वारा अमरीका में बने टैंक पाकिस्तान को सप्लाई करने का सवाल है, मैं यह बता दूं कि कुछ दिन पहले हमारे देखने में ये खबरें आई कि पाकिस्तान सरकार पश्चिम जर्मनी से प्रच्छन्न रूप से एम 47 और एम 48 किस्म के कोई 200 टैंक लेने की कोशिश कर रही है। हमने पश्चिम जर्मनी और संयुक्त राज्य अमरीका की सरकारों के साथ इस मामले को उठाया। तब हमें यह बताया गया था कि टैंकों की प्रस्तावित सप्लाई की बात रद्द हो गई है।

इन आश्वासनों को देखते हुए संयुक्त राज्य सिनेट विदेश सम्पर्क समिति की उप समिति के समक्ष कथित उद्घाटनों पर हमारा आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक है। हमने जर्मन संघीय गणराज्य और संयुक्त राज्य अमरीका के भारत-स्थित राजदूतावासी के जरिए इन दोनों देशों को अपनी गम्भीर चिंता और देश की भावनाओं के बारे में बता दिया है और अब इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आगे क्या होता है।

मुझे अभी-अभी एक और समाचार मिला है, पश्चिम जर्मनी के कार्यवाहक राजदूत ने हमारे वैदेशिक-कार्य सचिव को यह सूचित किया है कि पाकिस्तान को टैंकों अथवा विमानों की सप्लाई करने के सम्बन्ध में पश्चिम जर्मनी ने न तो कोई करार किया है और न ही उसका ऐसा करने का कोई अभिप्राय है। अखबारों की खबरें गलत हैं और इस बारे में पश्चिम जर्मनी को भारतीय भावनाओं का अच्छी तरह पता है।

पश्चिम जर्मन की ओर से हमारे पास एक निश्चित वक्तव्य है कि पाकिस्तान को कोई टैंक नहीं बेचा जायेगा, ऐसा कोई करार नहीं किया गया है और उसका पाकिस्तान को ऐसी कोई चीज बेचने का इरादा ही नहीं है।

श्री बलराज मधोक : यह एक बहुत गम्भीर मामला है, अखबारों में प्रकाशित समाचारों के बारे में मन्त्री महोदय ने चाहे जो कुछ भी कहा हो, लेकिन ये समाचार बहुत स्पष्ट हैं और उनका निराकरण भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि इन समाचारों में कार्यवाही की ओर संकेत दिया गया है। इनमें लिखा है :

"Pakistan has signed agreements with at least three Sales firms to get some more tanks for her armed forces. In addition, the Iranian Govenment has entered into contracts, among them, with the Levy Auto Parts Company, Torouts, Canada for tanks reportedly for delivery to Pakistan."

Then it goes to say :

"Of great concern to the sub-committee was what the Europeans would do with 7,000 American-made M-47 and M-48 tanks. Most of these would become surplus in the period between now and 1971."

Then we are told :.....

अध्यक्ष महोदय : हम सब ने इन समाचारों को पढ़ लिया है। आपको अन्य जो बात कहनी है, वह कहिये।

श्री बलराज मधोक : हमें बताया गया है कि अमरीकी सरकार अथवा जर्मन सरकार ने कुछ आश्वासन दिये हैं, किन्तु बावजूद इसके सचाई यह है जैसा कि हाल में रक्षा मन्त्री जी ने बताया है, कि ईरान को दिये गये सेबर जेट विमानों से से अधिकतर विमान पाकिस्तान पहुँच गये हैं। किन्तु वैदेशिक कार्य मन्त्री जी ने ईरान से लौटने पर हाल में हमें यह बताया कि पाकिस्तान को नहीं दिये जा रहे हैं। प्रकाशित समाचारों तथा श्री क्यूमिंग्ज के अनुसार, जो कि आर्मामेन्ट सप्लाइज सम्बन्धी महत्वपूर्ण समिति के चेयरमैन हैं, पाकिस्तान ईरान के माध्यम से इन्हें खरीद रहा है। जब भी क्यूमिंग्ज ने इस बात को माना है, तो फिर आप ऐसा वक्तव्य कैसे दे रहे हैं कि ईरान हमारा मित्र राष्ट्र है और वह पाकिस्तान को सैनिक साज-सामान नहीं दे रहा है। दूसरी बात यह कि यह जानकारी हमें तब प्राप्त हुई जब वैदेशिक सम्बन्ध सम्बन्धी उप-समिति का कार्यवाही-वृतान्त समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ। अमरीका में हमारा दूतावास क्या कर रहा है ? कई वर्षों से वहां हमारा श्री बी० के० नेहरु बैठे हुए हैं। यदि हमें केवल समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों पर ही निर्भर रहना है तो वे (वहां हमारा राजदूत और दूतावास) क्या कर रहा है ? यह जानने के लिये कि इन देशों में हमारे तथा हमारे हित के खिलाफ क्या बातें चल रही हैं, हमारे पास जानकारी का कोई स्वतन्त्र स्त्रोत हैं ?

श्री मु० क० चागला : हम समाचार पत्रों पर यकीन नहीं कर रहे हैं। हम उन देशों में स्थित अपने दूतावासों से जानकारी प्राप्त करते हैं। वाशिंगटन स्थित हमारे राजदूत ने इस बारे में जोरदार अभ्यावेदन दिये हैं। ऐसा ही जर्मनी तथा ईरान में भी किया गया है। 'इण्डियन एक्सप्रेस' तथा अन्य कुछ समाचार पत्रों में छपी इस खबर को एक राजदूत से सरकारी तौर पर प्राप्त सूचना में झूठा बताया गया है। किस जानकारी को सच माना जाये ? जहां तक सेबर जेट विमानों का सम्बन्ध है, जर्मनी ने स्वीकार किया है कि उसने ईरान को बेचे हैं और जर्मनी को यह बताया गया था कि ईरान ने ये विमान केवल मरम्मत आदि के

लिए पाकिस्तान भेजे हैं। हां, यह बात ठीक है कि यदि ये विमान पाकिस्तान में रहे तो वह जरूरत पड़ने पर इन विमानों का प्रयोग अपने फायदे के लिये कर सकता है। जहां तक टैंकों का सम्बन्ध है, यह एक गम्भीर मामला है। हमने इस मामले पर कल बातचीत की थी। हमें सरकारी तौर पर यह मालूम हुआ है कि उन्होंने ये टैंक नहीं बेचे हैं।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : Our hon. Minister lays stress on official reports while he revises his political strategy on the basis of non-official reports. I want to know whether it is a fact or how far it is correct that commercial agents or so-called private firms in Germany have sold arms to Pakistan.

श्री मु० क० चागला : हम इस बारे में और आगे पूछ-ताछ कर रहे हैं। मैं इस चीज को अच्छी तरह समझता हूं कि जर्मनी की सरकार तथा गैर-सरकारी फर्मों के बीच फर्क है और हो सकता है, उन्होंने पाकिस्तान अथवा ईरान के साथ गैर-सरकारी करार किये हों। जहां तक जर्मनी की सरकार का सम्बन्ध है, उसने साफ इन्कार किया है कि उसने इस सम्बन्ध में कोई करार नहीं किया है। गैर-सरकारी फर्मों के बारे में जांच-पूछ करना जरूरी है, वह हम अवश्य करेंगे।

श्री हेम बरुआ : इतने गम्भीर मामले पर हमारी सरकार ने पाकिस्तान को सेबर जेट विमानों तथा टैंकों की सप्लाई के बारे में ईरानी वक्तव्य तथा पश्चिम जर्मनी की दलील को मान लिया है और उन्होंने यह घोषणा कर दी है कि बाकी सब खबरें गलत हैं। क्या यह समाचार सच नहीं है कि पाकिस्तान ने पश्चिम जर्मनी से सेबर जेट तथा टैंक खरीदने के लिये एक ईरानी जनरल को क्रेता एजेन्ट के रुप में चालाकी से नियुक्त किया है? वाशिंगटन, तेहरान तथा बोन स्थित हमारे राजदूत अभी तक कानों में अंगुली डालकर सोये पड़े थे। मेरा प्रश्न यह है! क्या सरकार ने पश्चिम जर्मनी, जो कि मित्र राष्ट्र लगता है, अमरीका, जो बहुत दिनों से हमारा मित्र है तथा ईरान को जो कि भारत का मित्र होने का दावा करता है, यह चेतावनी दे दी है कि वे डा० जैकिल और हाइड की चाल चल रहे हैं—और क्या उसने उनसे यह भी कह दिया है कि यदि वे डा० जैकिल के लबादे में हाइड का काम करते रहे, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे?

श्री मु० क० चागला : मैं माननीय मेरे मित्र के दिमाग से कुछ गलत फहमियां दूर कर दूं। हमने इस मामले पर कुछ समय पहले, जब कि हमने यह सुना था कि पश्चिम जर्मनी पाकिस्तान को ये टैंक बेचने वाला है, पश्चिम जर्मनी तथा अमरीका के साथ बात-चीत की थी और उस समय हमें यह बताया गया था कि ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिये यह मामला वहीं पर समाप्त हो गया था। कल जब इस सम्बन्ध में समाचार प्रकाशित हुए और जब हमने अमरीका सीनेट की वैदेशिक कार्य समिति के समक्ष साक्ष्य के कुछ अंश पढ़े, तो हमने तुरन्त दो राजदूतों को बुलाया और पूछा कि इसमें क्या औचित्य है अथवा इसका आधार क्या है और जहां तक जर्मन सरकार का सम्बन्ध है, हमें अभी यह बात बताई गई है कि उन्होंने कोई करार नहीं किया है और उनका विचार कोई चीज बेचने का नहीं है जहां तक इरानी जनरल को पाकिस्तान द्वारा नियुक्त किये जाने का प्रश्न है हमें जो कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है उसके अलावा और कोई जानकारी नहीं है। हम इस दिशा में जांच-पूछ कर रहे हैं।

Shri Rabi Ray (Puri) : The hon. Minister has just now stated that he is not relying on Press. The fact is that this matter nas been raised after it appeared in the Press and the Foreign Secretary, Shri S. C. Jha also lodged a protest with the U. S. Government only after the relevant proceedings have come out in the pre s. Apart from this, one thing worth to be noted is that the Arms deal which was entered into by U.S.A. with India and Pakistan provided for more facilities to Pakistan. The International Arms dealers cummins deposed before the Foreign Exchange Committee. That all the things given to Iran had passed on to Pakistan. The hon. Minister says that the German Government have told us that they have not given any arms to Pakistan and according to Press reports in America, the Pakistan Government is getting these on account of sale through Iran. In view of this, I want to know what action the Government propose to take against west Germany.

श्री मु० क० चागला : हम ऐसी कार्यवाही करते हैं जिसे हम ठीक व उचित समझते हैं। हमने पिछले अवसर पर भी पश्चिम जर्मन सरकार को आर्म्स डील के बारे में हमारे देश में जो जोरदार प्रतिक्रिया थी वह बता दी थी। उसने हमारी भावनाओं को महसूस किया और यह कहा कि हम पाकिस्तान को हथियार नहीं बेचेंगे। यदि वह अपने आश्वासनों के बावजूद भी ऐसा करता है तो हम ऐसी सभी राजनयिक कार्यवाहियां करेंगे जो संभव हैं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

वार्षिक योजना 1967-68

पैट्रोलियम और रसायन योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामेया) : मैं श्री अशोक मेहता की ओर से वार्षिक योजना 1967-68 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1197/67]**

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कार्य संचालन की जांच सम्बन्धी समिति की नियुक्ति

इस्पात खान तथा धातु मंत्री (श्री चन्ना रेड्डी) : मैं सरकारी संकल्प संख्या सी० 28 (7)/67 दिनांक 22 जुलाई, 1967 की एक प्रति जिसके द्वारा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की कार्य प्रणाली की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई है, सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या 1198/67]**

केन्द्रीय आंग्ल-भाषा संस्था हैदराबाद सम्बन्धी प्रतिवेदन और प्रमाणित लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : मैं केन्द्रीय आंग्ल-भाषा संस्था, हैदराबाद के वर्ष 1965-66 के क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन की एक प्रति और प्रमाणित लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1199/67]**

सुती कपड़े सम्बन्धी औद्योगिक समिति तथा स्थायी श्रम समिति के मुख्य निष्कर्ष तथा लोह अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर (संशोधन) नियम, 1967

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : मैं,

(1) सूती कपड़े सम्बन्धी औद्योगिक समिति के 8 मई, 1967 को नई दिल्ली में हुए दूसरे अधिवेशन के मुख्य निष्कर्शों की एक प्रति [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1200/67]

(2) स्थायी श्रम समिति के 10 मई, 1967 को नई दिल्ली में हुए 26 वें अधिवेशन के मुख्य निष्कर्षों की एक प्रति । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1201/67]

(3) लोह अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर अधिनियम, 1961 की धारा 8 की उपधारा (4) के अन्तर्गत लोह अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर (संशोधन) नियम, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 10 जून 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 907 में प्रकाशित हुए थे ।

सभा पटल पर रखता हूं । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1202/67]

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

छटा प्रतिवेदन

संसद कार्य तथा संचार (मंत्री डा० राम सुभग सिंह) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का छटा प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ ।

वित्त (संख्या 2) विधेयक 1967—जारी
FINANCE (No. 2) BILL, 1967-Contd.

अध्यक्ष महोदय : अब सभा वित्त (संख्या 2) विधेयक 1967 पर और आगे विचार करेगी । मंत्री महोदय लगभग साढ़े चार बजे चर्चा का जबाब देंगे ।

श्री हेम बरुआ ।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : इस वित्त विधेयक में कई परिवर्तन, फेर-बदल, संशोधन तथा कर-राहत के प्रस्ताव रखे गये हैं जिन सभी मामलों पर सभा में विचार-विमर्श करना सम्भव नहीं है अतः इस सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि इसे प्रवर समिति को भेज दिया जाना चाहिए ।

आज हमारी अर्थ व्यवस्था अस्तव्यस्त है । आर्थिक क्षेत्र में मन्दी आगई है जिससे अर्थ व्यवस्था डांवाडोल हो गई है जिससे हमारे केवल राष्ट्रीय जीवन के आर्थिक क्षेत्र पर ही नहीं अपितु उसके राजनैतिक स्तर पर भी प्रभाव पड़ रहा है ।

हमारे देश में उद्योग का कृषि के साथ घनिष्ट सम्बन्ध है और हमारे सभी आर्थिक प्रयास, जिसमें पूंजी निर्माण शामिल है, खाद्यान्नों की सप्लाई से निर्धारित होते हैं ।

इस देश में कृषि उद्योग आम लोगों के हाथ में है तथा कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार लोगों को यथासम्भव अधिक सहायता दे रही है । परन्तु कृषि से होने वाली वार्षिक आय निरन्तर घटती जा रही है स्वतन्त्रता प्राप्ति के 20 वर्ष बाद भी हमारी यह स्थिति है कि हम अन्न के मामले में विदेशों पर निर्भर हैं । आज हम विश्व के सामने भिखारी बने हुए हैं । यह है आज हमारी अर्थ व्यवस्था की हालत । यह हमारे लिये लज्जा की बात है ।

स्वेज नहर बन्द होने से देश में अन्न का संकट बढ़ गया है और उन वस्तुओं के मूल्य तेजी से बढ़ते जा रहे हैं जिनका विदेशों से आयात किया जाता है । इस सम्बन्ध में श्री चागला ने राष्ट्रपति नासर से बातचीत की थी परन्तु उसका कोई लाभप्रद परिणाम न निकला ।

देश की अर्थ व्यवस्था में आज स्थिरता आई हुई है । इससे हमारे सभी उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं । कृषि उत्पादन में कमी आई है इससे औद्योगिक उत्पादन भी घटा है । विशेष रूप से इंजिनियरी उद्योग का उत्पादन घटा है । कुछ औद्योगिक इकाईयां ऐसी हैं जिनकी 90 प्रतिशत क्षमता अप्रयुक्त पड़ी है । देश में 1961 और 1963 में औद्योगिक उत्पादन कुल उत्पादन का 8 से 9 प्रतिशत था । परन्तु अब वह घट कर केवल 2.46 प्रतिशत रह गया है ।

एक समाजवादी होने के नाते मैं सरकारी क्षेत्र का विरोध नहीं करता हूं । इस्पात के बड़े बड़े कारखानों को सरकारी क्षेत्र में लगाया गया और श्री नेहरू ने तो उन्हें आधुनिक भारत के स्वर्ण मन्दिरों की संज्ञा दी थी । परन्तु उनमें से अधिकतर को मुनाफे की बजाय घाटा हो रहा है ।

मैं चाहता हूं कि हमारी योजनाएं आकार में छोटी हों और उनका सम्बन्ध देश के संसाधनों से होना चाहिये । केवल आकांक्षाओं से नहीं । यह अनुमान लगाया जाता है कि हमारे देश में 300 करोड़ रुपये का कर अपवंचन किया जाता है । यदि हम इस राशि को वसूल कर लें और प्रशासनिक खर्च में 5 प्रतिशत की कटौती कर लें तो हमारी गिरती हुई अर्थव्यथस्था को बहुत अधिक सहारा मिलेगा । गतिहीन अर्थव्यवस्था का हमारे राजनीतिक जीवन पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है । मेरे विचार से 'घेराव' आन्दोलन राजनीतिक क्रान्ति की शुरूआत है । कृषि उत्पादन में कमी का कारण वर्षा का अभाव बताया जाता है परन्तु क्या सरकार को इस अभाव से निपटने के लिये कुछ ठोस कार्यवाही की है ? इसी प्रकार आसाम के बाढ़ अभिशाप को दूर करने के लिये भी सरकार ने कुछ नहीं किया है । 1962 के चीनी आक्रमण के पश्चात से आसाम में पूंजी लगाना बन्द कर दिया गया है । इस प्रकार आसाम राज्य की उपेक्षा की जा रही है ।

संक्षेप में मैं यही कहना चाहता हूं कि अर्थव्यवस्था को पुनः क्रियाशील बनाने के लिये ठोस प्रयत्न किये जाने चाहिये । वित्त मंत्रालय इसके लिये छुट-पुट प्रयास करता है जिससे यथेष्ट लाभ नहीं होता । मैं श्री मोरार जी देसाई को बधाई देता हूं कि उन्होंने निसंकोच रूप

से यह स्वीकार किया है कि हमारी अर्थव्यवस्था में स्थिरता आई हुई है और देश में मन्दी की स्थिति है ।

Shri Pahadia (Hindaun) : I would like to congratulate the Finance Minister for the concessions he has given in regard to taxes on certain items. Simultaneously, I have a complaint against him. He has reduced the taxes on Cigar, while he should have increased the taxes on all the intoxicants including the tobacco. On the one hand we plead for the total prohibition on the other we are encouraging the people to use things by not imposing more taxes on them. So I suggest that the taxes on all intoxicants, particularly on wine, should be increased as much as possible. We should hontestly follow the Direction Principles of the State Policy where in the total prohibition has been advocated.

{ **श्रीमती लक्ष्मीकन्तम्मा पीठासीन हुई**
Shrimati Lakshmikanthamma *in the Chair* }

Unemployment and dearness are increasing day by day. Prices of all the consumers goods are rising rapidly. Taxes also help the prices to rise. But the prices of those esssential commodities are also rising which are not affected by the new taxes,. Who is responsible for it ? I thinks the private traders are responsible for this price rise. If we want to check the rise in prices, the people responsible for it, whosoever he may be, should be severely punished . To some extent Grovenment are also responsible for it because they are not dealing with such elements with a strong hand.

I favour the increase in the salaries or wages, but not at the cost of rise in the prices. The increase in salaries or wages will necessarily cause the rise in the prices. If we want to stabilize our economy. We will have to opt for wage freeze.

I came to know that a Bill is likely to be introduced in the next session of Parliament which will give veto power to States in regard to continuation of English. It means that English should continue indefinetly. It will be forced on the States, which are willing to adopt Hindi or their regional languages. I do not agree with all this. This thing will not help the development of Hindi as a national or official language. I want to warn the all opponents of Hindi that despite of all hinderances put by them in the way of Hindi. Hindi shall take its place. Simultaneously. I would like to warn the Hindi-speaking people also that we all should do as much as possible for the development of Hindi and learn Hindi with the best of intentions otheriwise the people of south, who are learning Hindi rapidly will go ahead of Hindi-knowing people in this respect also. In this context I would like to remind that any new regional language should not be brought into existence in order to force the Government to include the same in the English schedule of the Constitution such efforts will hamper the growth of Hindi, Regional languages should make their development in their own spheres.

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण मध्यान्ह भोजन के पश्चात जारी रख सकते हैं ।

इसके पश्चात लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the clock.

लोक सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात दो बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Fourteen of the clock.

{ श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य पीठासीन हुए }
{ Shri C. K. Bhattacharyya *in the Chair.* }

Shri Pahadia : Regarding education I want to say that it would be better if education up to High School level is made free and compulsory and thereafter most of the students should be given some technical training instead of university education.

We have once reorganized our states on the basis of language but that did not prove a right decision. Now new States like Nagaland are coming into being on this basis. At the moment the reorganization of Assam State is being discussed. Here my suggestion is that not only the Assam State but the whole country should be reorganized into some administrative units which will bring unity in our country and help us in setting our econmic structure right.

The Government is giving a subsidy of Rs. 150 crores in respect of foodgrains but it is being provided or imported foodgrains and this benefit goes only to those who live in urban areas while it should go to those who are engaged in agriculture. This amount should be spent on small irrigation projects and other development work connected with the agriculture.

The other problem is that of increasing population. It is good that we have introduced family planning programme, but the present devices of family planning are not liked and used by the rural people. So I suggest that some contraceptive injections or oral pills should be made for the purpose. Secondl abortion should also be liberalized or legalized.

I know that there are some inter-State disputes regarding the supply of water of some big irrigation projects. In this connection I want to suggest that the big projects like Rajasthan Canal and Nagarjuna Project should be taken over by the Central Government. Thus these disputes will be disposed of automatically and it will help the increase in agricultural production. I oppose the idea of imposing income tax on agricultural income. I suggest that there should be no revenue on uneconomic holdings upto five acres. On the other hand the revenue should be doubled for those who hold more than fifteen acres.

In the end I would like to say something about Rajasthan. There is still problem of drinking water in Rajasthan. The Government should give three crores of rupees annually to Rajasthan for making arrangement for drinking water. Border roads in Rajasthan should be developed as soon as possible and it will strengthen our position from defence point of view.

श्री विश्वानाथ मेनन (एरणाकुलम) : मैं अपने दल की ओर से वित्त विधेयक का विरोध करता हूँ। वित्त मंत्री ने अपने बजट-भाषण में यह कहा था कि बजट में जनसाधारण का ध्यान रखा गया है। परन्तु बजट जनसाधारण के हित में न होकर एकाधिकार वादियों के हित में है। हमारे देश में मुख्य समस्या किसानों और श्रमिकों की है। बजट में उन्हें क्या राहत दी गई है ? वास्तव में कुछ भी नहीं। जब जनसाधारण की बजट के प्रति प्रतिकूल प्रक्रिया होती है तो सरकार उसे निर्दयता से दाबने का प्रयास करती है जनता की समस्याओं को दमन की नीति अपनाकर नहीं सुलझाया जा सकता। नक्सलबाड़ी की घटना को आप जो चाहें कहें परन्तु वास्तव में बात यह है कि वहां गरीब और भूमिहीन लोग अपने अधिकारों के लिये लड़ रहे हैं। कांग्रेस पिछले 20 सालों से भ्रष्ट शासन चला रही है वह अब तक भूमि की समस्या को भी नहीं सुलझा पाई है। नक्सलबाड़ी में यही समस्या है जो सुलझनी चाहिये।

हम इसे सुलझायेंगे परन्तु पहले तो उन गलतियों को ठीक करना है जो कांग्रेस ने अपने भ्रष्ट शासन के दौरान की हैं। अतः इसमें थोड़ा तो समय लगेगा ही।

जहां तक श्रमिकों का सम्बन्ध है, उनकी निरन्तर छंटनी की जा रही है। सरकार के पास छंटनी रोकने का कोई उपाय नहीं है। जब एक श्रमिक की छंटनी होती है तो उसे केवल छंटनी का थोड़ा लाभ दे दिया जाता है। उसके लिये भी उसे न्यायाधिकरण या न्यायालय के द्वार झाँकने पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त न्यायाधिकरण के निर्णय को क्रियान्वित कराने के सम्बन्ध में सरकार के पास कोई कानून नहीं है।

यही कारण है कि मजदूरों को घेराव करना पड़ता है। श्रमिकों को ही दोषी ठहराना उचित नहीं है। घेराव कोई नई चीज़ नहीं है। दूसरे देशों में श्रमिक वर्ग वर्षों से इस शस्त्र का प्रयोग करता रहा है। शांतिपूर्ण धटना या हड़ताल या सत्याग्रह की तरह यह भी एक उचित शस्त्र है।

जब मजदूर शांतिपूर्ण ढंग से कोई चीज करते हैं तो आप उसे विधि तथा व्यवस्था की समस्या का नाम दे देते हैं। हमारा लोकतन्त्र पाखण्डपूर्ण है। जब केरल में प्रतिपक्ष सत्तारुढ़ हुआ तो कांग्रेस ने गलत और अनुचित तरीकों से इसका तख्ता उलटने का प्रयत्न किया। अब मध्यप्रदेश में भी वे यही चाल चल रहे हैं। एरणाकुलम, केरल के सम्बन्ध में केन्द्र की उपेक्षा का एक उदाहरण है। वहां पर जहाज निर्माण कारखाना स्थापित नहीं किया जा रहा है जबकि इसकी वहां पर आवश्यकता है। वहां पर लोगों को खाने के लिये चावल नहीं दिया जा रहा है। इस तरीके से समस्या को हल नहीं किया जा सकता। यदि आप केरल की जनता का हृदय जीतना चाहते हैं तो वहां पर आप एक जहाज निर्माण कारखाना स्थापित कीजिये, तापीय संयंत्र लगाइये और असैनिक बन्दरगाह का विकास कीजिये और वहां के लोगों के लिये खाद्य की व्यवस्था कीजिये।

श्री न० कु० साल्वे (बतूल) : मैं अपने आपको मुख्य रूप से प्रत्यक्ष करों तक ही सीमित रखूंगा क्योंकि अन्य पहलुओं पर दूसरे माननीय सदस्य काफी बोल चुके हैं। वित्त विधेयक में अनेक परिवर्तनों का उल्लेख किया गया है और उनमें से एक सराहनीय परिवर्तन यह है कि अब आगे के लिये हम पर प्रत्यक्ष कर भूतलक्षी प्रभाव से न लग कर भावी प्रभाव से लगा करेंगे। इस घोषणा का उन सभी लोगों द्वारा स्वागत किया जायेगा जो प्रगतिशील, स्वस्थ तथा समुचित कर प्रणाली में विश्वास रखते हैं। फिर भी इस सम्बन्ध में कुछ वर्गीकरण की आवश्यकता है। 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले चालू वर्ष की आय को वित्त विधेयक की पहली अनुसूची में क्यों नहीं रखा गया है? ऐसी स्थिति में हम जानना चाहेंगे कि वर्ष 1968-69 के लिये वह भावी कर निर्धारण सिद्धान्त को किस ढंग से लागू करने जा रहे हैं? यदि पहली अनुसूची के तीसरे भाग में निर्धारित दरें वित्त अधिनियम, 1968 द्वारा कर निर्धारण वर्ष 1968-69 के लिये प्रभावशाली दरों में बदल दी जाती हैं तो इसके कुछ गम्भीर अर्थ हैं। तीसरे भाग में निर्धारित दरें बहुत ऊंची हैं। किन्तु, यदि मानसून हमारे अनुकूल हो तो चालू वर्ष की आय के लिये कर दाता पर वे ऊंची दरें लागू नहीं की जा सकती हैं। हमारे कर ढांचे को अधिक से अधिक उत्साहवर्द्धक बनाना अत्यावश्यक है। आय पर

अप्रत्यक्ष करों के कारण भी हम वर्तमान गतिरोध की स्थिति में पहुंच गये हैं। इसके लिये दो वर्षों तक सूखे की स्थिति को ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

भारी करों के कारण आर्थिक विषमता समाप्त नहीं हुई, अपितु बढ़ी है। अमीरों के पास राज्य की दमन नीति को असफल बनाने के अधिक अच्छे साधन होने के कारण वे और अधिक धनवान होते चले जा रहे हैं। जबकि गरीब लोग और गरीब होते चले जा रहे हैं। मंत्री महोदय ने उन कम्पनियों के एकीकरण के लिये भी सराहनीय सुझाव दिये हैं जो दूसरी इकाइयों के साथ आर्थिक दृष्टि से अच्छा कार्य नहीं कर रही हैं। इससे कुशलता एवं उत्पादकता भी बढ़ेगी। मंत्री महोदय को अपने विभाग को निदेश देना चाहिये कि अब तक जो एकीकरण हुआ है उस पर कोई कर दायित्व नहीं होना चाहिये। कर में छूट देने के सम्बन्ध में प्रस्तावित उपबन्ध भी सराहनीय है। करों में छूट देने की बात अब तक पूर्णतया भ्रान्तिजनक रही है। होटल उद्योग के नये औद्योगिक उपक्रमों को करों में छूट देने का कोई फायदा न होगा।

विधेयक के खण्ड 27 के द्वारा जिसमें आय कर अधिनियम, सम्पत्ति कर अधिनियम तथा उपहार कर में संशोधन करने की बात कही गई है, एक ऐसा साहसपूर्ण कदम है जिसके द्वारा हम एक ऐसी विशिष्टता को लागू कर रहे हैं, जिससे कर वसूली कुशलता के साथ की जा सकेगी तथा कर दाताओं को भी अपेक्षाकृत कम कठिनाई होगी। किन्तु इस प्रणाली को, जो अमरीकी पद्धति पर आधारित है, सफलता के बारे में कुछ शंकाएं हैं। अमरीकी लोग अधिकतर मशीनों, इलैक्ट्रोनिक तरीकों तथा इलैक्ट्रानिक संगणकों पर निर्भर करते हैं अतः वहां पर क्रियात्मक प्रणाली का होना आवश्यक है। फिर भी एक बार साहसिक कदम उठा लेने पर हमें अब इस सम्बन्ध में लगातार 4 या 5 वर्ष तक प्रयोग करते रहना चाहिये।

आयकर अधिनियम में पिछले पांच वर्षों में जो परिवर्तन किये गये हैं वे बहुत ही बेतुके हैं। कर सम्बन्धी कानूनों में इस प्रकार की छेड़-छाड़ करने से कर दाताओं के मन में यह भावना पैदा हो गई है कि राजनीतिज्ञ वित्तीय कानून के सम्बन्ध में जानकारी, अनुभव तथा परिपक्वता के बिना ही अंधाधुंध प्रयोग करते रहते हैं। इससे वित्तीय कानूनों के स्वस्थ विकास में ही बाधा नहीं पड़ी है अपितु कर कानूनों प्रति अपमान तथा अनादर भी उत्पन्न हुआ है।

श्री नारायण दाडेकर (जामनगर) : वर्तमान परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में मैं इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। हमारे कृषि उत्पादन में बहुत कमी आयी है और कीमतें निरन्तर बढ़ती जा रही हैं। ऐसी हालत में घाटे की अर्थ-व्यवस्था को समाप्त करने और सरकारी खर्च में कमी करने की आवश्यकता है। हमारा औद्योगिक उत्पादन तथा निर्यात भी घटता जा रहा है। इस सम्बन्ध में आवश्यकता इस बात की है कि देश में कानून व्यवस्था तथा औद्योगिक अनुशासन बना रहे, औद्योगिक क्रियाकलाप की सभी बाधाएं दूर हों तथा औद्योगिक अर्थतन्त्र में सामान के उत्पादन के सम्बन्ध में साहसिक कदम उठा कर गतिशीलता लाई जाये। यह भी आवश्यक है कि कीमतें बढ़ा कर खपत को कम न किया जाये अपितु खपत की अपेक्षा बचत तथा विनियोजन को अधिक आकर्षक बनाया जाये। निर्यात की समस्या भी बनी हुई है। पिछले एक वर्ष से मजूरी, उत्पादन लागत और भाड़े की दरों में वृद्धि

के कारण तथा पैट्रोल और डीज़ल पर उत्पादन शुल्क में वृद्धि के कारण औद्योगिक उत्पादन पर असर पड़ा है। नहर स्वेज के बन्द होने का भी निर्यात पर असर पड़ा है। ऐसी स्थिति में निर्यात से होने वाली आय की समस्या का तुरन्त हल निकालने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में आवश्यकता इस बात की है कि अपरम्परागत वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन को देने के लिये कोई योजना बनाई जाये। दूसरी बात यह है कि निर्यात शुल्कों की सम्पूर्ण पद्धति पर निर्यात आय की दृष्टि से नहीं अपितु परम्परागत वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने की दृष्टि से, फिर से विचार करने की आवश्यकता है। कर ढांचे में निर्यात को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।

यद्यपि उत्पादन शुल्क में वृद्धि को निष्प्रभावी बनाने और शुल्क निर्धारित करने की प्रणाली को सरल बनाने के लिये चाय के शुल्क में कुछ कमी कर दी गई है, फिर भी इससे चाय के निर्यात को बढ़ावा नहीं मिलेगा।

वर्तमान स्थिति में छोटे छोटे उपबन्धों की जरुरत नहीं है अपितु जरुरत इस बात की है कि राजस्व की परवाह न करते हुए परम्परागत वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये और पुनर्जागृत करने के लिये सक्रिय कदम उठाये जायें। जहां तक औद्योगिक कार्यकलाप को बहाल करने और औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था में गतिशीलता लाने का प्रश्न है, वित्त विधेयक में कुछ प्रशंसनीय उपबन्ध दिये गये हैं। ये उपबन्ध एकीकरण, नवीन औद्योगिक उपक्रम, विस्थापित व्यक्तियों को रोज़गार देने वाले उपक्रम और उन उद्योगों से सम्बन्धित हैं जिनके, प्राकृतिक संकट तथा सार्वजनिक आतंक के कारण और प्राथमिकता वाले उद्योगों को लाभ देते रहने के कारण कुछ काल के लिये बन्द किये जाने की संभावना है।

औद्योगिक विकास में मुख्य रुकावट करों का बोझ है। इस बात को बार-बार दोहराना वित्त मंत्रालय की आदत सी हो गई है कि राष्ट्रीय आय को दृष्टिगत रखते हुए भारत में संसार में सबसे कम कर वसूल किया जाता है। सरकारी आंकड़े निश्चय ही इस कथन की पुष्टि करते हैं। आज के हिन्दुस्तान टाइम्स में एक लेख में कहा गया है कि भारत में राष्ट्रीय आय का केवल 14 प्रतिशत ही कर के रूप में लिया जाता है जब अन्य देशों काफी अधिक कर लिया जाता है। ये आंकड़े भ्रामक हैं। मैं चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में माननीय वित्त मंत्री दो बातों पर विचार करें। पहली तो यह कि यहां की प्रति व्यक्ति आय की अन्य देशों की प्रति व्यक्ति आय से तुलना की जाये और दूसरे यह कि यहां पर जनसंख्या का कितना भाग कर देता है और इसकी अपेक्षा अन्य देशों में जनसंख्या का कितना भाग कर देता है। यदि इन दोनों बातों को ख्याल मे रखा जाता है तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि भारत में अन्य देशों की अपेक्षा करों की अधिक भरमार है। जहां तक औद्योगिक गति और आर्थिक जीवन में गतिशीलता लाने का सम्बन्ध है, मुख्यत: दो बातें आवश्यक हैं। प्रथम यह कि औद्योगिक उपक्रमों में रुपया लगाकर जोखिम उठाना लाभदायक है अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि देश में कर इतने बढ़ते जा रहे हैं कि जोखिम वाले उपक्रमों में धन लगाना और जोखिम उठाना लाभदायक नहीं रह गया है। दूसरे, कर ढांचे के कारण न केवल बचत और पूंजीगत मांगों के प्रति अधिक होता है बल्कि इस सरल उपाय से, जिसे वे यह समझते हैं कि उपभोग को और अधिक खर्चीला बना दिया जाय, और अधिक बचत हो सकती है।

मेरे विचार से प्रत्यक्ष करों के ढांचे में बहुत परिवर्तन की आवश्यकता है। मेरा सुझाव है कि सभी अधिकार समाप्त कर दिये जायें और व्यक्तिगत तथा निगमित करों में काफी कमी की जानी चाहिये। दूसरे, अर्जित आय कर पर दोहरा दण्ड लादना, एक तो सम्पत्ति कर द्वारा और दूसरा पुनः अधिकार के रूप में, अवश्य ही समाप्त किया जाना चाहिये। तीसरे, बचत पर छूट अधिक उदार होनी चाहिये और इसमें बाधाएं नहीं डाली जानी चाहिये। सरलीकरण के नाम पर धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिये। सरलीकरण के नाम पर सबसे भयंकर चीज जो है वह दीर्घकालीन लाभ पर करों के सम्बन्ध में है। यदि हम वर्तमान उपबन्धों के आधीन कर तथा उस समय के कर के साथ तुलना करें जबकि दीर्घकालीन पूंजी सम्बन्धी उपबन्धों में शामिल किये जायेंगे, करों का बोझ विशेषकर दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ के रूप में 20,000 से 25,000 रुपये के बीच में है, वास्तव में बहुत अधिक है। अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में लोगों की क्रय-शक्ति बढ़ाये जाने की आवश्यकता है जिससे न केवल उनका जीवन निर्वाह स्तर ही ऊंचा होगा बल्कि औद्योगिक गतिविधि में गिरावट की दशा समाप्त हो जायेगी। यह समय उपभोग रोकने और अधिक निर्यात के लिये आन्तरिक उपभोग कम करने का नहीं है यह समय समस्त क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने का है।

स्रोत पर कटौती के सम्बन्ध में वित्त मंत्री ने जो उत्तर दिया है वह प्रसन्नता योग्य है। ब्याज की अदायगी के सम्बन्ध में स्रोतों पर कर काट लेने के अपवाद के साथ, उन्होंने अन्य प्रस्तावों को छोड़कर बहुत अच्छा काम किया है। परन्तु उन्हें दो बातें करनी चाहिये। सर्व-प्रथम यह कि करदाता को जिस प्रकार का शपथ पत्र देना होता है उसमें स्पष्टता की भी आवश्यकता होती है। शपथ-पत्र में ये शब्द होने चाहिये "मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अन्तर्गत।" दूसरा सुझाव यह है कि उस समय जब कोई व्यक्ति यह घोषित करता है कि उसकी आय कर देय सीमा से अधिक नहीं हैं और इसलिये उसका कर स्रोत पर न काटा जाये, अन्य लोगों को भी जो इसी प्रकार यह घोषित करते हैं और अपने कर निर्धारण पदा-धिकारी से यह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हैं कि वह पहले ही कर दाता हैं, उन्हें आयकर अधि-कारी से यह प्रमाण-पत्र कि उन पर पहले से कर लगाया जा रहा है और इसलिये उनके मामले में भी कर की कटौती स्रोत से नहीं होनी चाहिये, प्रस्तुत की जाने की अनुमति दी जानी चाहिये।

मैंने ऐसा इसलिये कहा क्योंकि मुझे पता है सावधि निपेक्ष खाता और विभिन्न खातों पर कम्पनियों, फर्मों और बैंकों से ब्याज प्राप्त करने वालों में अधिकतर निम्न और माध्यमिक आय के लोग हैं।

K. N. Tiwary (Bettiah) : Finance Minister has presented a balanced budget. Being an agriculturist, I want to draw his attention towards some problems of agriculture.

It has been said that the prices of essential goods should be reduced. The prices of all articles required by agriculturists such as cloth, water, fertiliser, seed etc. are soring high. Unless their prices are checked and brought down, it is not possible to reduce the prices of food articles. Today, peasants do not get good prices for their products whether they may be sugar-cane, wheat, rice or cotton.

Big irrigation projects of Bihar like Gandak Project should not suffer due to lack of funds. At present there is a shoratge of 12 lakh tons of foodgrains. On completion of Gandak Project, the production of food grains would be 20 lakh tons. In that case Bihar will not only fulfil its deficit of foodgrains, but it would also be able to provide food for the other parts of the country.

During the last two years, the sugar production in the country has tremendiously gone down. During the Third Plan we produced 35 lakh tons sugar per year and the target of the Government for the nourth Plan was 37 lakh tons. Now the production has come down from 35 lakh tons to 22½ lakh tons. It is beacuse they have not been paid appropriate prices for their sugar cane products, they are now taking interest in the production of paddy, macca and wheat, in which they are earning profits.

Sixty percent of the sugar-cane goes to Gur and Khandsari. Sugar is produced by the remaining forty percent. It is feared that the production of sugar will be reduced to 30 to 40 percent out of which almost 60% will go to Khandsari and Gur this year. If it happens the production of sugr will further go down and it may result in the production of 12 to 15 lakh tons only. In that case there will not only be reduction in exports of sugar but it will also create a gap between the quantity required for internal consumption and the quantity produced. It will result not only in the loss for foreign exchange, which can be earned by exporting sugar, but also in the revenues of the Government to the extent of Rs. 40-50 crores. In the present circumstances, it is necessary that the sugar factories should pay as much prices for the sugar cane as the Gur and Khandsari industries are paying. Sugar should be decontrolled so that there may be free competition between the two industries. Industrialists are of the opinion that if they are permitted to competets with gur and khandsariwala and the control on sugar is removed, the production of sugar can go upto 25 lakh tons.

Tractors should be manufactured in India. There has been a great demand for the manufacture of small cars in India, but the good tractors which are necessary for us, are being imported from outside. Most of them are lying useless for want of spare parts. It is, therefore, necessary that some tractor factory may be established in the country, in public and private sector, so that cheap tractors may be available for the farmers.

डा० प० मंडल (Vishnupur) : वित्त मंत्री खर्च को इस प्रकार विनियमित करें कि जनता को उससे अधिक से अधिक राहत मिले। हमारी सरकार देश में उत्पादन करने की बजाय देश में निर्यात करने में अधिक क्रियाशील है। सरकार ने स्वतन्त्रता के बाद सिंचाई के मुकाबले खाद्यानों के निर्यात पर अधिक रुपया खर्च किया है।

वित्त मंत्री ने 5 रुपये तक के जूतों पर छूट की घोषणा की है। मैं वित्त मत्री से यह निवेदन करूंगा कि इस छूट को 50 रुपये तक बढ़ाया जाये।

अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने सभा को यह आश्वासन दिया था कि मूल्यों में वृद्धि नहीं होगी। परन्तु प्रतिदिन सामान्य जनता की क्रय शक्ति से अधिक मूल्य बढ़ रहे हैं।

1964 और 1965 के दौरान पश्चिमी बंगाल में बंकुरा जिला अतिरिक्त अनाज वाला जिला था। परन्तु 1966 में वह जिला अकालग्रस्त हो गया। 1966 में पड़े सूखे के

परिणामस्वरूप वहां लोग भीख मांग रहे हैं। सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय योजना कगसाबती परियोजना को मंजूरी दी थी। इसकी लागत 25 करोड़ रुपये थी और इसका क्षेत्र 8 लाख एकड़ था। यदि तीसरी योजना में केवल कंगसाबाती परियोजना को पूरा किया जाता तो बंकूरा हमेशा के लिए एक फालतू जिला रह जाता। इसे केवल पूरा ही नहीं किया गया बल्कि इस सम्बन्ध में सिंचाई मंत्रालय ने कुछ आपत्ति भी की। पिछले वर्ष बहुत विरोध करने पर वह आपत्ति वापिस ले ली गई और कुछ छोटे सिंचाई निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गई। कुछ नलकूप भी बनाये गये, परन्तु वह इस वर्ष बिजली की कमी के कारण कार्य नहीं कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सिंचाई तथा विद्युत मत्रालय और खाद्य मंत्रालय में कोई समन्वय नहीं है। इसी के परिणाम स्वरूप ही ये नलकूप बेकार पड़े रहे हैं। बिजली के तार गांवों में से गुजर रहे हैं, परन्तु वहां बिजली सप्लाई करने के लिये कोई उप स्टेशन नहीं है। शहरों और कस्बों में से होकर बिजली की लाइनें जा रही हैं परन्तु कृषि के प्रयोग के लिये गांवों में से नहीं। अतः मेरा यह विचार है कि सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय को खाद्य मंत्रालय से जोड़ दिया जाये ताकि बिजली की कमी के कारण खाद्य उत्पादन में कोई बाधा न आये।

कृषि के लिये धन जुटाने के बहुत से तरीके हैं परन्तु वह कृषकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं हैं। यदि हम अपने देश में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन करना चाहते हैं तो हमें किसानों की आवश्यकताओं को अवश्य पूरा करना होगा ताकि वह अपनी भूमि पर धन की कमी बिना खेती करते रहे।

हमारी सरकार पिछड़े वर्ग के लोगों से पूरी सहानुभूति रखती है। परन्तु पिछड़े लोगों के लिए रखे गए बजट में से एक तिहाई की कटौती कर दी गई है। अतः मैं वित्त मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि वह इस विषय पर सहानुभूति पूर्ण विचार करें ताकि पिछड़े वर्गों के बजट में भारी कमी न कर दी जाये।

श्री जे० के० चौधरी (त्रिपुरा-पश्चिम) : अमरीकी सेनेट की विदेशी सम्बन्ध समिति की उपसमिति में आज सुबह इस बात का उल्लेख किया गया था कि जर्मनी ने टैंक और हवाई जहाज कैसे बेचे और वे ईरान से पाकिस्तान पहुंच गये। हमारे वैदेशिक कार्य मंत्री ने यह बताया कि जर्मनी के राजदूत ने हमें आश्वासन दिया है कि उन्होंने इस प्रकार की कोई भी चीजें पाकिस्तान को नहीं बेची थी। टैलीप्रिन्टर की ऐसी खबर थी कि जर्मनी की सरकार ने दलालों की एक गैर सरकारी फर्म को एफ-84 हवाई जहाज बेचे और इस गैर सरकारी फर्म ने इन्हें ईरान में मरम्मत के बहाने इन्हें आगे पाकिस्तान भेज दिया। हमें यह विदित है कि जब कभी भी पाकिस्तान भारत पर हमला करेगा तो वे इसे उपलब्ध हो जायेंगे। नदिया जिले के करीमपुर थाना के कुछ गांव, लती तिल्ली-डुम्बरी और अन्य सीमावर्ती जिलों के बारे में कुछ अन्य प्रतिरक्षा प्रश्न भी हैं। यह कहा गया है कि सीमाओं के सीमांकन के पश्चात यह तय हो गया था कि यह गांव भारत के हैं। मंत्री महोदय को यह आदेश देना चाहिये कि इनको अपने अधिकार में ले लिया जाये और फिर देखें क्या होना है।

क्या हमने हाजी पीर दर्रे पर कब्जा नहीं लिया था ? क्या हमने यह नहीं कहा था कि काश्मीर भारत का अंग है ? परन्तु क्या हुआ ? पाकिस्तान आक्रमणकारी था। एडमिरल

निभीट्ज की रिपोर्ट और सुरक्षा परिषद में यू थान्त द्वारा दिये गये वक्तव्य से यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान ने हमला किया था और हमने अपने क्षेत्रों को पाकिस्तान से वापिस लेने के लिये जवाबी हमला किया। परन्तु ताशकन्द में हमने वापिस लिये क्षेत्रों को पाकिस्तान को सौंप दिया। इससे पाकिस्तान द्वारा अधिकृत भारत के क्षेत्रों के सम्बन्ध में हमारे दावे का खोखलापन प्रगट हो जाता है। इसी प्रकार की भूल हमने काश्मीर के सम्बन्ध भी की।

पाकिस्तान अगरतल्ला के पश्चिम के त्रिपुरा की सीमा से केवल एक मील दूर सैनिक प्रयोजनों के लिए एक 60 फुट चौड़ी सड़क बना रहा है। इस क्षेत्र का पानी हावड़ा नदी और दो बड़ी नहरों में पाकिस्तान में जाता हैं। यह सड़क सैनिक प्रयोजन के लिये बनाई गई है। इस सड़क के कारण ये सब नदियां बन्द हो गई हैं। और इसके परिणाम स्वरूप अगरतल्ला पानी में डूब जायेगा। इसे रोकने के लिये सरकार को कुछ कार्यवाही करनी चाहिये।

हम यह जानते हैं कि किस प्रकार विरोध किया जाता है और हम अपने विरोध-पत्रों में यथा सम्भव कटुभाषा का प्रयोग करते करते हैं, परन्तु वे सब रद्दी की टोकरी में चले जाते हैं,

हमें अभी ज्ञात हुआ है कि पाकिस्तान से कछार जिले में शरणार्थी आ रहे हैं। इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसा कब तक चलेगा ? त्रिपुरा में 50 से लेकर 60 व्यक्ति प्रतिदिन आ रहे हैं। इस प्रश्न पर कभी भी समझौता नहीं हुआ।

नेहरू–लियाकत समझौते के अनुसार प्रत्येक देश अपने अल्प संख्यकों के लिए उत्तरदायी था। उसकी किसने परवाह की ? भारत ने, पाकिस्तान ने नहीं। इसी प्रकार ताशकन्द घोषणा का भारत ने ही आदर किया, पाकिस्तान ने नहीं। हम इन बातों को कब तक सहन करते रहेंगे।

हम शान्ति प्रिय हैं। हमारा आक्रमण करने में विश्वास नहीं है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि यदि हम अपने क्षेत्र वापिस लेना चाहते हैं तो हम चीन और पाकिस्तान के आक्रमण की प्रतीक्षा करें। यदि वे भविष्य में हम पर आक्रमण नहीं करते तो जो चीन और पाकिस्तान के पास हमारे क्षेत्र हैं वे उन्हीं के पास रहेंगे। तब चीन और पाकिस्तान से क्षेत्रों के सम्बन्ध में वार्ता से क्या लाभ ?

विभाजन के समय चिटगांव एक पहाड़ी इलाका, जिसमें 3 प्रतिशत मुसलमान थे, पाकिस्तान को दे दिया गया था। यह त्रिपुरा से लगा है। उन्होंने फेनी नदी पर एक बांध बनाया है और उस बांध और जलाशय में उन्होंने त्रिपुरा क्षेत्र के 25,000 वर्गमील को घेर लिया है। उस समय उन्होंने यह वायदा किया था कि वे इसका मुआवजा देंगे। परन्तु अब वे कहते हैं कि वे राज्य क्षेत्र उनके अपने ही हैं और मुआवजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

दूसरी ओर विद्रोही मिजों की पहाड़ियां हैं। यदि वे इन पर कब्जा कर लेते हैं तो इससे त्रिपुरा का बचाव नहीं हो सकेगा और भारत से त्रिपुरा छिन जायेगा।

सिलहट जिले में 12 थाने हैं जो रैडक्लिफ पंचाट के अनुसार भारत को मिलने चाहिये। वे त्रिपुरा से लगे हैं। परन्तु हमने वह प्रश्न नहीं उठाया। वे अब भी पाकिस्तान के कब्जे में हैं। यदि हमारी यही नीति रहती है तो पाकिस्तान और चीन से अपने राज्य क्षेत्र वापिस लेने की बातें करना निरर्थक हैं। इसके विपरीत क्या हमने कभी चीन या पाकिस्तान के किसी छोटे से भाग पर भी कब्जा किया ? क्या हम कह सकते हैं कि हमने पूर्वी पाकिस्तान की एक एकड़ भूमि पर भी कब्जा किया ? अत: मेरे विचार से देश के हित में सरकार को इस सम्बन्ध में शक्तिशाली नीति अपनानी चाहिये ताकि वह अपने इस वायदे को पूरा कर सके कि देश की एक इंच भूमि भी नहीं छोड़ी जायेगी।

Dr. Ram Manohar Lohia (Kannauj) : The danger of foreign aggression is there and our two enemies-China and Pakistan are bent upon to committ aggression against us any time. The Government in the part can face any aggression. But it is, howevee, doubt ful whether the present Government will be able to survive if there is another aggression which is possible at any time before or during the month of October. We are, therefore, in need of a Government which can face the aggression with firm determination and is prepared to flight to the finish. We are to dislodge the enemies from every inch of our motheralnd grabbed by them so far since 1947. I am, therefore, to request the hon. Members to consider how such a strong Government, which can deliver the goods, can be formed at the centre.

It is regretted that the budget presented by the Finance Minister do not reflect that determination which is necessary in regard to the defence of the country or in regard to the food problems.

Without going into the details about the land reforms so far carried out, I can say that they have not succeeded in this connection I would like to suggest that farmers should be provided with the minimum required inputs at the same time and they should be asked to give a minimum prodution If any farmer is not able to show that much production, his land should be handed over to those who can do it. This is the only way I think to increase food production and solve our food problem.

I would now like to draw the attention of the hon. Finance Minister to a discrepancy in the budget which has come to my notice. It has been calculated that the levy on fine and super fine yarn would yield Rs. 7.8 crores and after giving a relief of Rs. 1.4 crores it would come Rs. 6.4 crores. These calculations are based on certain documents like the report on the Power Enquiry Committee. But according to our calculations based on the same document the total incidence of leavy on this item works out to about Rs. 60 crores. I am sure that the hon. Minister will agree with me and if there is such a discrepancy it would be removed because such miscalculations lead to wasteful expenditure.

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : It is a welcome step that this time deficit financing has been avoided.

While analysing the economic problems facing the country, the hon. Finance Minister has pointed out that the level of production is falling, the prices are going etc. But the question is whether this budget and the reliefs proposed by him will enable us to overcome the economic difficulties facing the country at present. Actually the budget and the reliefs proposed by him do not even touch the fringe of those problems. Our country was passing through such a crisis the like of which have never been witnessed during the last twenty years. The prices are going up very rapidly and the whole-sale price index

which was 127.5 in 1960-61 is now 225 and thus there has been 100 percent inerease in the price index. Whereas our progress in the field of the growth of national income and per capita income is very unsatisfactory. In 1960-61 our national income was Rs. 14140 crores, in 1961-62 it was Rs. 14490 crores and in 1965-66 it was only Rs. 15930 crores whereas there should have been an incr ase of 5 percent in it every year. Similarly there has been no considerable increase in the per capita income also. In 1948-49 it was Rs. 249 6 and in 1965-66 it was Rs. 298.3. From these figures it is obvious that our national wealth and our per capita income is in reasing very slowly inspite of the fact that three five years plans have already been implemented.

The position in regard to monev circulation is also not satisfacto y and the bank rate is steadily rising In 1951 it was 3 t 3½ percent, in 1957, it was 4 percent, in 1963, it was 6 percent. It shows that our money market is very tight. A number of industries are clossing down due to recession and a large number of workers are unemployed. Our level of production is also falling. In 1965-66, the rate of production was 3.9 percent, in 1966-67 it was only 3.5 per cent whereas in the first four years of the Third Five Year Plan, it was 7.8 percent. Under the circumstances, it was necessary that a dynamic budget should have been presented so that all these problems could be solved. But unfortunately the budget presented by the Finance Minister is the same routine type and there is no hope that it will lead us anywhere towards progress. Unless drastic action is taken there can be no improvement in the situation.

The question bsfore us is that what is the aim of the economic policies of the Government ? The Congress Party has always been talking about socialism in which essential amenities will be provided to each and every one. But the economic policies so far followed by the Government have failed to bring about any change in the social set up as is obvious from the report of the Commission on Monopolies. According to this Report 48 per cent of the capital invested in our industries belongs to 75 business houses. Similarly, Government has continuously been issuing licences to one and only one business house for the last 9 to 10 years. This matter is now being enquired. into. But the Ministers who have been giving reliefs to these business houses have been kept outside the purview of this enquiry which is not a good thing. There should be a judicial enquiry into all these matters so that Ministers could be exposed. So I was pointing out that the policies of the Gover ment have not succeed in this field also for even to-day 10 crores of people are unfed and crores of people are without cloth. There has been an increase of 65 lakhs in the unemployed persons during the last 15 years. On the basis of this increase their number will rise to one millon after the current five year Plan.

It is true that there has been some progress in the country on the whole but rate of progress has been very slow inspite of the fact that a huge amount of Rs. 45,000 crores has been spent by the Government. Besides the borrowings which were Rs. 2865 crores in 1950-51 to-day there are Rs. 14355 crores in 1966-67. At the same time the increase of duty which was Rs. 67 crores in 1950-51 today they are Rs. 1,626 crores. Further, during the First Five Year Plan good worth Rs. 120 crores was imported and during the Third Five Year Plan the good worth of Rs. 216 crores was imported. Similarly the foreign debt which was Rs. 32 crores in 1950-51 now it is Rs. 4,625 crores in 1966-67. There should be an enquiry to find out as to how far the targets have been realised. The fact is that our Government has been playing a fraud on the people in the name of development and nothing substantial has been achieved. Atleast the beare necessities should be fulfilled. There should be three objectives of our economy viz. food should be provided to each and every one, defence should be strengthened and the country should be made self-sufficient. These three things should be the base of our economic policy. The

Government should try to hold the price line atleast in the case of essential commodities so that these are not out of the reach of the poor people. According to survey which was carried out in Delhi 15 days back, there are three lakhs of people who have neither taken tea nor milk for the last few years.

It is being heard that the Government is going to introduce wage freeze in the country. So long as price freeze is not introduced, the wage freeze will have no meaning and this will on the other hand, increase dis-satisfaction among the Government employees and the result will be that they will not co-operate with the Government and it will prove very harmful to the Government. The reasonable demands of the Goverement employees should be met fully. Subsidised food shou'd be made available to the people and for this purpose an amount of Rs. 250 crores should be provide.

In regard to our defence, I would suggest that atleast Rs 150 cores more should be provided by the Government so that more facilities could be provided to the families of Jawans and more military material such as sub-marines and night fighters could be purchased to strengthen our defence.

Ths incidence of taxation in our country is the highest in the world so much so that the individual tax on earned and unearned income works out to be 88.2 percent and 89-4 percent respectively. The corporate tax on the undistributed profit come to 70 per cent, whereas it is 52 percent in U. S. A. and 51 percent in Germany. The Goveenment should abolish the Annuity Scheme, surcharge and raise the exemption limit of income-tax from Rs. 4,000 to Rs 5,000. Although the Government will lose Rs. 66 crores as a result thereof, the country at large will gain as it will give a fillip to our industry and capital formation.

The sales tax should be abolished and a duty should be levied only at the sources.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

Credit facilities should be provided to the industries and raw materials should be provided at the international price. The bank rate should be lowered from 6 percent to 5 percent.

To say that we are an independent national is wrong as our dependence on other countries in regard to food and financial aid is so much that we are unable to do anything independently. We have to work under the political pressures of the other countries. We should therefore try our utmost to make our country stand on its own legs. To achieve this end we should work with a spirit of dedication.

The Government should cut the non-development expenditure by Rs.300. Luxurious items should be dropped. Our return on the investment of Rs. 2037 crores in public sector comes to less than one percent whereas private industries are earning the rate of 9 percent on their investments. If we make some efforts in this direction, we can also raise our earnings atleast by Rs. 150 crores.

At the same time our administrative expenditure is increasing year after year. In 1956-57 there was a provision of Rs. 38 crores for administrative expenses whereas now in the current financial year Rs. 123 crores and 67 lakhs have been provided for thisi tem.

This expenditure can very easily be cut down by Rs. 50 crores and thus a lot of money can be saved.

श्री मं० रं० कृष्ण (पेद्दपल्लि) : मुझे वित्त मंत्री से सहानुभूति है क्योंकि उन्होंने ऐसे समय पर कार्यभार संभाला है जब देश के सामने अनावृष्टि और अवमूल्यन से उत्पन्न गम्भीर समस्यायें हैं। अवमूल्यन के फलस्वरूप देश को 350 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राशि का भुगतान करना है। उद्योग में मंदी और विभिन्न अन्य चीजों का हमारी अर्थव्यवस्था पर काफी कुप्रभाव पड़ा है। इसके अलावा राज्यों ने रिजर्व बैंक से जो अधिक धन निकाल लिया था उसके लिये भी 108 करोड़ रुपये की व्यवस्था वित्त मंत्री को करनी पड़ रही है। इन सभी बातों के फलस्वरूप वित्त मंत्री को मजबूर होकर लोगों पर इतना अधिक कर लगाना पड़ रहा है।

इसके साथ साथ मैं उन्हें यह भी चेतावनी देना चाहता हूँ कि वह विकास कार्यक्रमों को न रोकें क्योंकि ऐसा करने से देश की प्रगति रुक जाएगी और इससे हमें बाद में और भी गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वित्त पर इतना कड़ा नियंत्रण नहीं होना चाहिये विकास कार्यक्रमों के लिये धन जुटाना ही कठिन हो जाए।

कल मेरे कुछ मित्रों ने नागार्जुन सागर परियोजना का उल्लेख किया था। इससे सम्बन्धित एक और परियोजना है जिसे पोचमपाद परियोजना कहते हैं। वित्त मंत्री कहेंगे कि हम लोगों को इन परियोजनाओं के लिये रकम मांगने की आदत पड़ गई है। परन्तु सभा को यह विदित है कि हम विभिन्न देशों से अनाज आयात करने में काफी धन खर्च कर रहे हैं। परन्तु सरकार के रवैये से कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि हम देश के कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम का आयोजन नहीं कर रहे हैं और अमरीका जैसे कुछ मित्र हमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की बजाय उन पर निर्भर रहने की सलाह दे रहे हैं। इसी कारण नागार्जुन सागर तथा पोचमपाद जैसी परियोजनाओं के लिये धन नहीं जुटाया जा रहा है। यदि इन परियोजनाओं के लिये पर्याप्त धन दिया जाए तो हम अनाज के मामले में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं।

लेनिन ने कहा था कि यदि किसी देश में समाजवाद लाना है तो इसके लिए केवल ट्रैक्टरों और बिजली की आवश्यकता है। परन्तु हमारे देश में शायद यह सोचा जा रहा है कि बिजली तो केवल कमरों को ठंडा करने के लिये है। परन्तु उन देशों में, जिन्होंने तेज रफ्तार से विकास किया है, बिजली का उपयोग कृषि का विकास करने में किया था। यद्यपि इस देश में हमें कृषि से ही अधिक आय करनी है क्योंकि यहां अधिकतम लोग कृषि में लगे हुए हैं। परन्तु जब कृषि के लिए बिजली और धन की व्यवस्था करने की बात आती है तो हम उन विदेशी सरकारों से सलाह लेते हैं, जो हमें इतनी अच्छी सलाह नहीं देते हैं। यदि हमें अर्थव्यवस्था में कोई सुधार लाना है तो हमें कृषि के लिये अधिक धन की व्यवस्था करनी ही

होगी। खेद है कि सरकार सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत एक ट्रैक्टर परियोजना को केवल इस लिये छोड़ रही है कि उस पर सरकार को 20 अथवा 25 करोड़ रुपये लगाने पड़ेंगे।

विश्व युद्ध के पश्चात जब अमरीका और ब्रिटेन ने जर्मनी की सहायता की थी तो जर्मनी ने उनकी सहायता इस शर्त पर लेनी स्वीकार की थी कि सहायता करने वाले देशों को अपनी सहायता के बदले में जर्मनी से वहां की बनी वस्तुओं का आयात करना पड़ेगा और ऐसा करने के लिये जर्मनी के जहाज ही प्रयोग में लाये जायेंगे। खेद है कि हमने ऐसी शर्तों की सम्भावनाओं का पता ही नहीं लगाया। इसके विपरीत हम विदेशी जहाजों में ही अनाज का आयात करते रहे हैं। अवमूल्यन करने की बात को स्वीकार करते समय भी हम कोई ऐसी शर्तें लगा सकते थे परन्तु खेद है कि हमने इस बारे में भी ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई।

1966–67 में यह कहा गया था कि विशाखापटनम के जहाज बनाने के कारखाने में अभी तीन अथवा चार जहाज प्रति वर्ष बनते हैं परन्तु इसको बढ़ाकर छः जहाज प्रतिवर्ष बनाये जायेंगे। ऐसा लगता है कि सरकार इस बात को भूल गई है और जहाजों के निर्माण के लिये वित्त मन्त्रालय धन की उचित व्यवस्था नहीं कर रहा है, यह एक ऐसा उद्योग है जिससे पर्याप्त राजस्व प्राप्त हो सकता है। अतः सरकार को इसके लिये धन की व्यवस्था की है।

सम्भव है कि परिवार नियोजन भारत जैसे देश के लिये एक अच्छी तथा महत्वपूर्ण योजना हो परन्तु जिस प्रकार इस योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है वह मैं समझता हूं ठीक नहीं है। यद्यपि लोगों को नसबन्दी के लिये बहुत प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं तथापि अधिक लोग इसके लिये आगे नहीं आ रहे हैं। इस बात का भी अध्ययन किया जाना चाहिये कि जनसंख्या किस क्षेत्रों में अर्थात् नगरों अथवा देहातों में बढ़ रही है।

पर्यटन से भी हम पर्याप्त धन अर्जित कर सकते हैं। परन्तु कठिनाई यह है कि जिन चिजों से हम पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं उनका हम उचित प्रचार नहीं कर रहे हैं। हैदराबाद में सालार जंग संग्रहालय है जो विश्व में शायद सबसे बड़ा संग्रहालय है। परन्तु पर्यटन विभाग द्वारा जारी की गई पत्रिकाओं आदि में ऐसी चीजों का बहुत कम उल्लेख किया जाता है। इसके अतिरिक्त कोवलम, गुलमर्ग और क़फ़ी जैसे स्थान विदेशियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। परन्तु हम केवल अपने मन्दिरों आदि का ही प्रचार करते हैं। दूसरी ओर विदेशी लोग यह भी विचार करते हैं कि वे भारत में शराब आदि नहीं पी सकते। यदि हमें पर्यटन को बढ़ावा देना है तो हमें इन बातों को छोड़ना होगा।

कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए ट्रैक्टर, अच्छे औजार तथा भूमि सुधार बहुत आवश्यक चीजें हैं। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 67 से 70 प्रतिशत किसानों के पास थोड़ी भूमि हैं तथा वे पुराने औजारों का ही प्रयोग करते हैं। जब तक हम कृषि उत्पादन के लिये पूर्णतया मशीनों का प्रयोग आरम्भ नहीं करते हम अपने उत्पादन में वृद्धि नहीं कर सकते तथा हमें अनाज के लिए विदेशों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। सस्ते ट्रैक्टर तथा कृषि सम्बन्धी औजारों

के सस्ते दामों पर निर्माण के लिए सरकार को गैर-सरकारी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों को सहायता देनी चाहिए ।

प्रतिरक्षा मन्त्री ने सभा में बताया है कि राज्य सरकारों को सड़कें बनाने का जो कार्य सौंपा गया था वह ठीक ढंग से तथा बिना किसी बाधा के हो रहा है और यह हो रही प्रगति से सन्तुष्ट हैं । चीन के आक्रमण के समय यह कहा गया था कि संचार व्यवस्था के अभाव के कारण हमारे सैनिकों को बड़ी कठिनाई उठानी पड़ी थी । इसलिए मेरा निवेदन है कि सभा को गलत सूचना देकर भ्रम में डालने का यत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी हाल ही में एक विधान सभा में कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार सीमावर्ती सड़कें बनाने के लिये राज्य सरकार की सहायता नहीं कर रही है और इसी कारण उस कार्य में बाधा पड़ रही है । मेरा निवेदन है कि परिवहन मन्त्रालय को उचित ध्यान देना चाहिये, जिससे सड़कों के निर्माण का कार्य सन्तोषजनक ढंग से चलता रहे ।

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्तमन्त्री (श्री मोरार जी देसाई) : चर्चा के दौरान उठाई गई सभी बातों का उल्लेख करना मेरे लिए सम्भव नहीं हैं तथापि जहां तक सम्भव होगा मैं उठाई गई बातों से निपटने का यत्न करूंगा । यह कहना उचित नहीं है कि औद्योगिक उत्पादन में कमी हुई है । यह भी कहा गया कि कुछ चीजों के उत्पादनमें 10 तथा 12·9 प्रतिशत की कमी हुई है । मेरे समझ में यह बात नहीं आ सकी कि उत्पादन में शत प्रतिशत किस प्रकार कमी हो सकती है । मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जिनका मैं उल्लेख करना चाहता हूँ । 1966-67 में कोयले का उत्पादन पहले से कम नहीं हुआ बल्कि एक प्रतिशत बढ़ा है । मोटर गाड़ी के टायरों में 5·2 प्रतिशत तथा ट्यूबों में5·7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । जहां तक साइकिल के टायरों का सम्बन्ध है उनका उत्पादन 16·6 प्रतिशत बढ़ा है । सोडा ऐश तथा कास्टिक सोडा के उत्पादन में भी क्रमशः 5·1 तथा 6·4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि उद्योगों के उत्पादन में सचमुच कमी हुई है । परन्तु जिन उद्योगों का उल्लेख किया गया है उनमें कमी नहीं अपितु वृद्धि हुई है ।

कुछ माननीय सदस्यों द्वारा यह भी कहा गया है कि कर-राजस्व के बारे में लगभग 100 करोड़ रुपये का कम अनुमान लगाया गया है । सच यह है कि पिछले दो आय-व्ययकों में ऐसा नहीं हुआ है और इन वर्षों में घाटे की अर्थ-व्यवस्था ही की गई है । प्रश्न यह है कि यदि राजस्व की कुछ अतिरिक्त वसूली हुई है तो वह कैसे हुई है । इसलिये यह बात नहीं है कि राजस्व का अनुमान जानबूझ कर कम लगाया गया है तथा व्यय को बढ़ाकर दिखाया गया है । यदि इन आंकड़ों को स्वीकार कर लिया जाये तो वास्तव में व्यय का अनुमान ही कम लगाया गया है ।

बिजली से चलने वाले करघों सम्बन्धी समिति ने 1964 में यह अनुमान लगाया गया था कि इन करघों को प्रति वर्ष लगभग 1500 लाख रुपये के सूत की आवश्यकता होगी । यह अनुमान इस आधार पर लगाया गया था कि सभी अर्थात 82,000 बिजली से चलने वाले करघे समूचे वर्ष दो शिफ्टों में कार्य करेंगे । परन्तु ऐसा नहीं हो रहा है । आय-व्ययक के दिये गये प्रस्तावों के अलावा राजस्व प्राप्त करने के उद्देश्य से हमने सभी लाइसेंस

प्राप्त बिजली से चलने वाली साईजिंग यूनिटों, कताई मिलों तथा कम्पोजिट मिलों द्वारा फाइन तथा सुपरफाइन काउन्टस के 'साइज्ड' तागे पर शुल्क के भुगतान के आधार पर जो वास्तविक भुगतान हुआ है उसके आंकड़ों पर विचार किया गया है। हमारा अनुमान है कि शुल्क में वृद्धि के फलस्वरूप सुपरफाइन तागे की कुल खरीद में दस प्रतिशत की कमी होगी। यह भी अनुमान लगाया गया है कि सुपर फाइन तथा फाइन काउन्टस के साइज्ड तागे के शुल्क का भुगतान क्रमशः 148 लाख किलोग्राम तथा 86 लाख किलोग्राम के आधार पर होगा। मैंने सुपर फाइन काउन्ट के साइज्ड तागे के शुल्क में 24 जुलाई, 1967 से एक रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से कमी करने का प्रस्ताव किया है और इससे समूचे वर्ष में 1·48 करोड़ रुपये की कमी होने का अनुमान है। इस तरह गत वर्ष वसूल किये गये शुल्कों से यह अनुमान लग सकता है कि बढ़े हुए शुल्कों से इस वर्ष कितना राजस्व प्राप्त हो सकता है। इस आधार पर इसमें केवल 86 अथवा 87 लाख रुपये का फर्क है जो हमारे अनुमान से कुछ अधिक है।

एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि हमें प्रतिरक्षा के मामले में अपने निश्चय को दृढ़ कर लेना चाहिये। मैंने अपने बजट भाषण में यह बात कही थी कि प्रतिरक्षा को प्राथमिकता दी जायेगी। जहां तक प्रतिरक्षा का सम्बन्ध है सभी सम्भव कदम उठाये जायेंगे। देश की रक्षा तभी संभव है जब कि हम एक होकर अपने रक्त की अन्तिम बूंद भी बहा देने को तैयार हों।

श्री दाण्डेकर ने कहा है कि देश में अभी भी घाटे की अर्थव्यवस्था है और उन्होंने पी० एल० 480 का भी उल्लेख किया है। यदि पी० एल० 480 की 145 अथवा 150 करोड़ रुपये की राशि को आयव्ययक में दिखाया जाता है तो हम उसको घाटे की अर्थव्यवस्था नहीं कह सकते। इस राशि को अनाज की बिक्री द्वारा लोगों से वसूल किया जाता है अतः इनको किसी प्रकार भी घाटे की अर्थव्यवस्था नहीं कहा जा सकता।

मेरे माननीय मित्र श्री कंवर लाल गुप्त ने कहा है कि प्रशासनिक व्यय में 50 करोड़ रुपये की कमी की जानी चाहिये. इस समय दिल्ली प्रशासन पर जनसंघ सत्तारूढ़ है। अतः उनको बचत का कोई उदाहरण स्थापित करना चाहिए, परन्तु मैं लोगों की तुरन्त छंटनी कर उनको बेरोजगार नहीं करना चाहता। परन्तु फिर भी हम प्रशासनिक व्यय में धीरे-धीरे कमी कर रहे हैं। इस बारे में जो कदम उठाये गये हैं उनके परिणाम कुछ समय बाद मालूम होंगे।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि हुई है परन्तु इसके साथ-साथ प्रत्यक्ष कर भी बढ़े हैं। इस बारे में मैं माननीय सदस्यों को यह भी बता देना चाहता हूं कि रूस में अधिकतर अप्रत्यक्ष कर ही विद्यमान हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा हैं कि आयकर की छूट की सीमा 4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दी जाये। इससे भी केवल अप्रत्यक्ष करों में ही वृद्धि होगी। यदि हम अप्रत्यक्ष कर कम करना चाहते हैं तो हमें प्रत्यक्ष कर अधिकाधिक लगाने होंगे। लोगों की आय में भी वृद्धि हो रही है। यदि हम यहां पर किसी मानक द्वारा न्यूनतम सीमा पर विचार

करें तो पता लगेगा कि किसी दूसरे देश में आय की न्यूनतम सीमा की अपेक्षा यह बहुत अधिक है। वास्तव में दूसरे देशों में न्यूनतम सीमा बहुत अधिक है और हमारे देश में न्यूनतम सीमा बहुत कम है परन्तु जब हमारे देश में न्यूनतम आय बहुत कम है तो जिन लोगों को इससे दस गुना आय होती हैं तो क्या उन्हें देश को कर का भुगतान नहीं करना चाहिये।

श्री कंवरलाल गुप्त ने कहा है कि अभी तक देश ने कोई प्रगति नहीं की है। मैं यह मानता हूँ कि प्रगति की गति धीमी है। परन्तु यदि प्रगति तेजी से करनी है तो हम सबको परिश्रम करना होगा। हम सबको सहयोग देना होगा न कि एक दूसरे का विरोध करना होगा।

केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के ऋण आदि के सम्बन्धों के बारे में डा० जीवराज मेहता ने बम्बई का वित्त मन्त्री होते समय जो कुछ कहा था, उसका उल्लेख किया गया है। मैं राज्यों की सहायता करना चाहता हूं क्योंकि अन्त में राज्यों के अस्तित्व में ही भारत का अस्तित्व है। केन्द्र राज्यों से बना है। केन्द्र का स्वतः कोई अस्तित्व नहीं है परन्तु यदि केन्द्र शक्तिशाली नहीं होगा और ठीक प्रकार से कार्य नहीं करेगा तो राज्यों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। मेरा विश्वास है कि केन्द्र परिवार का मुखिया है तथा राज्य उस परिवार के सदस्य हैं। अतः केन्द्र ने केवल यह ही नहीं देखना है कि राज्यों को शक्तिशाली बनाया जाये अपितु जितनी राशि वसूल की जा सकती है, की जाये तथा राज्यों को दी जाये। यदि केन्द्र की कोई योजना है तो वह राज्यों के लिये भी है। केन्द्र द्वारा जो राशि व्यय की जाती है, वह राज्यों में व्यय की जाती है। अतः केन्द्र तथा राज्यों के वित्तीय हितों में कोई संघर्ष होने का कोई प्रश्न नहीं है।

जाली नोट छापने वाले मुद्रणालय के बारे में भी कहा गया है। इस सम्बन्ध में वास्तविकता यह है कि पुलिस सांचा अपने हाथ में नहीं ले सकी, क्योंकि जब पुलिस ने सांचा पकड़ना चाहा तो उसको पिघला दिया गया। सांचे के कुछ पुर्जे पकड़े गये हैं। उन्हें नष्ट कर दिया गया है; परन्तु लगभग 8 लाख रुपये के जाली नोट अथवा इससे भी अधिक नोट पकड़ लिये गये तथा उन्हें रिजर्व बैंक में जमा करा दिया गया और उनपर 'जाली' का ठप्पा लगा दिया गया। उन्हें पांच वर्ष के पश्चात् नष्ट किया जाता है। दो अथवा तीन लाख रुपये के मूल्य के और भी जाली नोट हैं। लगभग एक लाख रुपये के मूल्य के नोट परिचालित किये गये होंगे। उसके लिए एक अधिसूचना जारी की गई हैं कि लोग सावधान रहें और उन नोटों को सरकार के हवाले कर दें जिससे उन्हें नष्ट किया जा सके और उन्हें सौ सौ रुपये के नोट दे दिये जायेंगे। यही कुछ किया गया है। यह बात नहीं है कि यह नोट बाजार में चला दिये गये हों अथवा वे परिचालन में स्वीकार किये गये हों।

स्वर्ण नियन्त्रण लागू करने के कोई विशिष्ट उद्देश्य थे। वह उद्देश्य थे चोरी छिपे सोना लाने ले जाने पर नियन्त्रण रखना तथा विदेशी मुद्रा को बचाना जो हमारे देश से बड़े गलत तरीके से बाहर ले जाई जा रही है। जब मैं सरकार छोड़ गया था तो सरकार ने स्वर्ण नियन्त्रण आदेश में परिवर्तन करना ठीक समझा और इसे कुछ ढीला बना दिया गया और उससे तस्कर व्यापार की सम्भावना और भी बढ़ गई। अतः जब मुझ से इस बारे में सुझाव पूछा गया है तो मैंने कहा कि ऐसे स्वर्ण नियन्त्रण आदेश की बजाय मैं इसे समाप्त करना

अधिक ठीक समझता हूं। परन्तु उसके साथ मैंने यह भी कहा कि यदि हम आर्थिक दृष्टि से सुरक्षित रहना चाहते हैं तो इस देश के लिये स्वर्ण नियन्त्रण आदेश बहुत आवश्यक है। अब इसे ठीक प्रकार से पेश करना है ताकि जनता उसे स्वीकार कर ले और उसका पालन भी करे। बाद में जो स्वर्ण नियन्त्रण आदेश जारी किया गया, उसमें यह बात ध्यान से रखी गई है। प्रधान मन्त्री ने दोनों सदनों में अपने नीति के बारे में वक्तव्य में कहा है कि वह समिति के उन मुख्य निष्कर्षों से सहमत है जिसमें कहा गया है कि 14 कैरेट के नियम को—जिससे सोने की मांग में कमी हुई और चोरी छिपे सोना लाने ले जाने में रुकावटे पैदा हुई—भारत की दीर्घकालीन स्वर्ण नीति का एक अंग माना जाना चाहिये। उन्होंने कहा था कि वह इस निष्कर्ष से सहमत है परन्तु सोने के बारे में नीति, जो अपरिवर्तित रही है, के सम्बन्ध में सरकार के दीर्घकालीन उद्देश्यों को दोहराते हुए उन्होंने कहा है कि सरकार मानती है कि मुख्य सामाजिक तथा आर्थिक सुधार, जिनका लक्ष्य शताब्दियों पुरानी परम्पराओं तथा प्रथाओं को बदलना है, कुछ वर्षों में इतनी कारगर सिद्ध नहीं हो सकती। अतः नियन्त्रण उपायों को पर्याप्त सार्वजनिक शिक्षा के साथ-साथ धीरे-धीरे लागू किया जाना चाहिये। सरकार की अब यही नीति है। जो विधेयक यथासमय सभा के समक्ष आयेगा वह इसी नीति पर आधारित होगा।

माननीय सदस्य ने मद्यनिषेध का प्रश्न भी उठाया है वह भली-भांति जानते हैं कि मैंने मद्यनिषेध का पक्ष नहीं छोड़ा है। यदि मैं अकेला भी हुआ तो इसके पक्ष में प्रचार करता रहूगा। परन्तु प्रत्येक राज्य में मद्यनिषेध लागू करना मेरा काम नहीं।

यह सच है कि औद्योगिक उत्पादन गिर गया है और हमें उसमें और वृद्धि करनी है। हम केवल एक दूसरे में दोष निकालकर उसे ऊंचा नहीं उठा सकते बल्कि उसके लिये हमें अधिक अच्छा वातावरण बनाना चाहिये।

जब मैं इस विधेयक पर बोल रहा था तो मैंने यह घोषणा की थी कि थोक मूल्य में प्रति जोड़े पांच रुपये से कम मूल्य वाले जूतों पर कर नहीं लगाया जायेगा तथा 5 से 8 रुपये तक के जूतों के मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं होगी। तब यह कहा गया था कि इस मूल्य में कोई जूतों का जोड़ा नहीं मिलता है। जिन कारखानों पर कर लगाया जा रहा है उनमें 710 लाख जोड़े जूते तैयार किये जा रहे हैं। उनमें से 510 लाख जोड़े जूते 5 रुपये से कम के हैं और 40 लाख जोड़े 8 रुपये से कम मूल्य के हैं। इस प्रकार मैने वास्तव में 87 प्रतिशत उत्पादन को कर से मुक्त कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि "वित्तीय वर्ष 1967-68 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को कार्यरूप देने सम्बन्धी विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The Motion was adopted

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को घाटा
LOSS IN HINDUSTAN STEEL LIMITED

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : दुख की बात है कि समय न रहने के कारण इस महत्वपूर्ण मंत्रालय की मांगों पर चर्चा नहीं की जा सकी। अब मैं इस्पात मंत्रालय के एक सीमित पहलू पर ही चर्चा करना चाहता हूं। मन्त्री महोदय ने हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को हानि के बारे में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए यह बताने का प्रयत्न किया था कि उसे कुल मिलाकर लाभ ही हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा था कि जो कुछ हानि हुई वह आरम्भिक काल की ही थी और इसके अतिरिक्त उसमें कई बातें शामिल थीं। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या यह अनुमान नहीं लगाया गया था कि 1964-65 में घाटे के बाद वे लगभग 11 करोड़ रुपये का लाभ कमायेंगे। किन्तु उनके अपने प्रतिवेदनों के अनुसार केवल 2.1 करोड़ रुपये का लाभ कमाया गया। उससे अगले वर्ष लाभ केवल 1.66 करोड़ रुपये रह गया था। 1966-67 में केवल दुर्गापुर में ही 13 करोड़ रुपये की हानि हुई। मेरा ख्याल हैं कि भिलाई तथा रूरकेला से चाहे कुछ भी आय हुई हो, उससे यह कमी पूरी नहीं हुई होगी।

हमने इस्पात संस्थानों में 960 करोड़ रुपये की पूंजी लगाई है। सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने इस्पात कारखानों में किये जा रहे काम के मुख्य दोष बताने वाले पांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं। उदाहरण के लिये हमें मालूम होता हैं कि उनके पास जो वस्तुओं की सूची है, जिसमें तैयार माल भी शामिल है, उनमें लगभग 121 करोड़ रुपये का माल है जो आठ महीने की बिक्री के मूल्य के समान है। इसी तरह इस समय उनके पास 74 करोड़ रुपये के फालतू पुर्जे पड़े हैं जबकि हमारी वार्षिक आवश्यकता केवल 30 करोड रुपये की है। इसका अर्थ यह है कि यह फालतू पुर्जे हमारी 2½ वर्ष की आवश्यकता के लिये पर्याप्त है। इन बातों तथा इनके अतिरिक्त कुछ अन्य बातों की ओर कई बार ध्यान दिलाया गया है परन्तु सरकार ने इनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। न ही इन्हें कम करने अथवा समाप्त करने का कोई प्रयत्न किया है।

महताब समिति ने 45 सुझाव दिये थे। पहले मन्त्री महोदय ने कहा था कि कुछ सिफारिशों को क्रियान्वित किया जा रहा है तथा उनके परिणाम का बाद में पता चलेगा। यह बात हम विशेषतया जानना चाहते हैं कि कौनसी सिफारिशें मंजूर कर ली गई हैं तथा कौनसी मंजूर नहीं की गई।

आज हिन्दुस्तान स्टील कोयले का सबसे बड़ा ग्राहक है। वे कोयला धोने के अपने दो कारखानों के लिये 2,20,000 टन कोयला खरीदता है। यदि आप कोयला धोने के कारखानों के अधीक्षक द्वारा दिये जा रहे मूल्य को देखें तो आपको मालूम होगा कि प्रति मास लगभग 15 लाख रुपये की हानि होगी, वह प्रति मीट्रीक टन 26.99 रुपये देते हैं जब कि बाजार मूल्य बहुत कम है। कच्चे कोकिंग कोल में भी हिन्दुस्तान स्टील को भारी हानि उठानी पड़ी है। कोयले में राख की मात्रा अधिक होने से घमन भट्टी से उत्पादन कम होता है और इसके परिणामस्वरूप उत्पादन की लागत में वृद्धि होती है।

*आधे घटे की चर्चा।

* Half an hour Discussion

{ श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा पीठासीन हुई
Shrimati Lakshmikanthamma *in the Chair.* }

कुछ कोयले की निजी खानों से तथा कुछ राष्ट्रीय कोयला विकास निगम से प्राप्त किया जाता है। कोयला खरीदने का तरीका ठीक नहीं है। कोयले के संयुक्त नमूना सर्वेक्षण का काम गंतव्य स्थान हर होता है और कोयला लगभग 114 कोयला खानों से खरीदा जाता है। वास्तव में माल लादने के 180 स्थान हैं। किसी व्यापारिक संस्था अथवा उपक्रम के लिये सम्भव नहीं कि वह कोयले के परीक्षण के लिए इतने अधिक कर्मचारी नियुक्त करें। इसके फलस्रूप हमें बहुत घटिया किस्म मिलती हैं और हम अधिक मूल्य देते हैं । कोयला खान या गन्तव्य स्थान पर सम्भरण से उसकी जांच करने का हमें कोई तरीका अपनाना चाहिये और कानूनी जिम्मेवारी होनी चाहिये। परन्तु ऐसा नहीं किया गया है।

इन गैर-सरकारी कोयला खानों से हम जो कोयला प्राप्त करते हैं, क्या वह कोयला खानें आवश्यक उत्पादन कर सकते हैं और क्या 390 परतों में जहां से अभी कोयला निकाला जा रहा हैं, वास्तव में कोयले की वह किस्म निकाली जाती है जिसके लिये उनके साथ ठेके किये गये हैं। इन कोयला खानों में 'ई" से लेकर "एच" वर्ग तक का कोयला बहुत नगण्य है। फिर भी उन्हें क्रयादेश दिया जा रहा है। मन्त्री महोदय को इन कोयला खानों की कार्य-योजनाओं की जांच करनी चाहिये।

इसके अतिरिक्त, जहां तक घटिया कच्चे कोयले की सप्लाई के कारण घाटे का सम्बन्ध है, स्वयं हिन्दुस्तान स्टील के चेयरमैन ने यह माना है कि कोयले तथा कच्चे लोहे से हानि कुल हानि के 90 प्रतिशत से अधिक है। मैं यह जानना चाहता हूं कि स्थिति में सुधार के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है। और उन लोगों के विरुद्ध क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है जो इस घाटे के लिए जिम्मेवार हैं।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि संयंत्र और मशीनरी के कम उपयोग को बढ़ाने के लिये और उर्वरक संयंत्र तथा कोयला धोने के कारखानों को पूरी क्षमता से चलाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है। जब तक सरकार इस्पात के उत्पादन की लागत को कम करने के बारे में कोई व्यापक वक्तव्य नहीं देती और विभिन्न समितियों द्वारा दिये गये सुझावों पर कार्यवाही नहीं करती तब तक वह सरकारी क्षेत्र में तोड़फोड़ के लिये दोषी ठहराई जायेगी।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Mr. Speaker, Sir Instead of having a profit of lakhs of Rupees, it is a matter of shame that Hindustan Steel is running at a loss. I want to ask the Minister that how long it will continue to run at a lo s ? If the officers of this concern are not competent then we should get the competent officers deputed from private sector and appoint them in this concern. We should some how arrange to show profit so that we may take over other big industries also. The hon'ble Minister should make it a point that this loss does not go beyond one or two years and thereafter there should not be any loss at any cost. Will the hon'ble Minister appoint a high power committee consisting of Members of Parliament or any other Experts' Committee which should inquire into the reasons attributed to the losses in public sector industries ?

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : हिन्दुस्तान स्टील के पास बहुत पुराना सामान इकट्ठा हो गया है। वहां के प्रबन्धक तथा कर्मचारी उसी पुराने सामान को इसलिये नहीं हटाते कि उससे और अधिक हानि होगी। यह एक महत्वपूर्ण मामला है जिसकी जांच की जानी चाहिये।

दूसरी बात यह है कि उत्पादन में वृद्धि करने के लिये श्रमिकों और कर्मचारियों को पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। यह स्थिति लगभग सभी औद्योगिक उपक्रमों की है। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

तीसरी बात यह है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में जो कोक आता है उसके वजन का केवल अनुमान लगाया जाता है। उसका वजन नहीं किया जाता क्योंकि वहां पर वजन करने के यंत्र उपलब्ध नहीं है। कोक सप्लाई करने वालों और संयंत्र क्रय विभाग के बीच कुछ सांठ-गांठ है जिसके फलस्वरुप कारखाने की काफी हानि हुई है। इसके अतिरिक्त कोक की किस्म पर भी अच्छी तरह से ध्यान नहीं दिया जाता। इस उपक्रम में अधिक समय तक काम करने वालों को दिये जाने वाले भत्ते में वृद्धि हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मजदूरों और कर्मचारियों को दिये जाने वाला बोनस उत्पादन में वृद्धि को ध्यान में रख कर दिया जाना चाहिये।

श्री श्रीचन्द गोयल (चंडीगढ़) - दुर्गापुर इस्पात संयंत्र सरकारी क्षेत्र के महत्वपूर्ण उपक्रमों में से एक है जिस पर 200 करोड़ रुपये से अधिक रुपया खर्च हुआ है। इस संयंत्र में हुई हानि का ध्यान रखते हुए कई समितियां बनाई गईं। इस सम्बन्ध में पांडे समिति ने भी 82 सिफारिशें की है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन सिफारिशों को क्रियान्वित किए जाने की कोई सामयिक समीक्षा की जाती है, यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि कर्मचारियों की योग्यता और कार्यकुशलता में सुधार करने तथा औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार करने के बारे में दिये गये सुझावों का क्या किया गया है ?

श्री नन्दकुमार सोमानी (नागौर) : क्या यह खेदजनक बात नहीं कि एक उपक्रम पर 960 करोड़ रुपये लगाने के कई वर्ष बाद केवल 1.66 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है। ऐसी स्थिति में हम विश्व के बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। भारत से लोहा अयस्क खरीदने वाला जापान विश्व के बाजार में इस्पात बेच सकता है, परन्तु भारत उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने में भी असमर्थ है। मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस स्थिति में कब तक सुधार कर सकेंगे और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालोर) : एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने स्वीकार किया था कि इस्पात परियोजनाओं में कर्मचारियों की संख्या अत्यधिक है। पार्किन्सन सिद्धान्त के अनुसार कर्मचारियों की वृद्धि से कई गुना खर्च बढ़ जाता है। इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि कर्मचारियों की संख्या कम करने के लिये तथा खर्च में कमी करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

Shri George Fernandes (Bombay-South) : I have always been telling that bureaucracy and corruption are the basic reasons for losses in almost all the public undertakings. I want to know whether the h n'ble Minister is agreeable to decentralize Hindustan Steel Ltd. and entrust various units to those who were running them ? I also want to know whether a time limit will be set for this purpose ?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Chenna Reddy) : We have spent 1000 crores of rupees on the installation of steel plants. In the last few years steel worth Rs. 700 to 900 cores has been produced. Had this steel not been produced in the country whole of this quantity would have been imported. In this manner a lot of foreign exchange has been saved. Of course, it is necessary to reduce the cost of production and remove other shortcomings. Whatever suggestions have been made in this respect, we shall try to implement them as far as possible. It has all along been our endeavour to take care of the interests of all the persons belonging to various States working in steel plants and we have been encouraging their cultural activities. Arrangements have been made to provide schools for them. If labour unions give suggestions in this respect, we shall try to implement them. Action is being taken on the recommendations of Mahtab Committee on public undertakings and we shall inform the House in the manner in which it has been done in the case of Pandey Committee.

There are certain difficulties with regard to the supply of coal. Government had made certain arrangements for joint sampling of coal from the point of destination but all the coal producers had not participated in it. The officials of Hindustan Steel Ltd. do not examine the quality of coal. It is not their responsibility. The officers of coal controller perform this duty who are quite independent. I do agree that their have been instances of supply of coal of inferior quality.

Some more units are being installed in our steel plants. There is a Fertilizer Plant in Rourkerla which is producing calcium amonium nitrate. This plant could not work upto its capacity because of shortage of coke oven gas. We propose to establish a Naphta Reforming Plant. We have placed the orders for this plant and this will be completed in 1968-69. After the installation of this plant, it work upto its full capacity.

It has been stated that we should give incentive to the labour. Steps are being taken in this direction. Besides we are taking serious action against the persons who do not perform their duties well. Recently we have taken a decision to terminate the services of two or three top officials in this regard.

So far the question of accumulation of stores in Hindustan Steel Limited is concerned, it may be stated that about eight months' stock is accumulated as against 36 months' stock in other organisations. I do not like to defend it and we would do our best to reduce to stock to the minimum.

It has also been said that there is over staffing in the public undertakings. I myself maintain this impression. I have got the figures of steel industry in both public and private sector. In TISCO it is 29452. Whereas in IISCO it is 10,000. As compared to than Hindustan Steel is not overstaffed. There is a proposal to set up separate units for the public sector steel plants. Government of India is considering this matter and a proposal has been sent by the Ministry to the economy committee of the cabinet.

We are determined to run the public sector industries successfully. We shall take efficient personnel in these industries from any quarter even if we had to relax the condi-

tions of service. We are developing a second cadre because it will be required for the entire public sector which is at expanding stage at the moment.

We are trying to reduce the cost of production by manufacturing the items which used to be imported hitherto. The personal expenditure of Hindustan Steel is 11.5 per cent whereas it is 17 percent in cases of TISCO and IISCO Hindustan Steel's low profit is due to the high allocation to the depreciation reserve fund and payment of higher interest (Interruption). I had figures about production in public and private sector but due to lack of time I conclude.

इसके पश्चात लोक-सभा बृहस्पतिवार, 27 जुलाई, 1967/5 श्रावण, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, the 27 July, 1967/Sravana 5, 1889 (Saka).